फरवरी, 2018

उच्च न्यायालय वार्षिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द्र ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.

2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

फरवरी, 2018 अंक - 2

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2018) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

प्रायः यह देखा गया है कि अपराध घटित होने के तत्काल पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है किन्तु कभी-कभी रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हो जाता है और अभियुक्त इस विलंब का लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करता है । यहां न्यायालय को यह देखना होता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना घटित होने के तुरन्त पश्चात् दर्ज कराई जा सकती थी या नहीं । न्यायालय को उन सभी परिस्थितियों पर भी विचार करना होता है जो समय से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में बाधक होती हैं जिनमें से एक उदाहरण आहतों को घटना के तुरन्त बाद उपचार के लिए अस्पताल ले जाना होता है और वहां भी आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध न होने के कारण फिर उन्हें अन्य किसी बड़े अस्पताल भेज दिया जाता है । यह एक ऐसा स्वाभाविक प्रयास है जिससे शिकायतकर्ता पक्ष को गुजरना ही पड़ता है । रिपोर्ट दर्ज कराने में इस प्रकार के विलंब को सही अर्थ में विलंब नहीं कहा जाता है । इस भाव को **जसवीर और एक अन्य** बनाम **उत्तराखण्ड राज्य और अन्य** (2018) 1 दा. नि. प. 153 वाले मामले में भलीभांति स्पष्ट किया गया है ।

हमारे समाज में कुछ व्यक्ति आवेश में आकर विरोधी पक्षकार पर अनुचित आरोप लगाने में तनिक भी चूक नहीं करते । मामला अपहरण का हो या व्यपहरण का, लोग अभियुक्त और आहत के बीच संबंध और नाते को भी अनदेखा कर जाते हैं और न्यायालयों को भ्रमित करते हैं । पति अपनी पत्नी का अपहरण या व्यपहरण नहीं कर सकता । इसी स्थिति को **रंजीत सिंह** बनाम **उत्तराखण्ड राज्य** (2018) 1 दा. नि. प. 180 वाले मामले में दर्शाया गया है ।

हमारे देश में दहेज मृत्यु को लेकर बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं ऐसे मामलों में अनेक निर्दोष पति और उसके परिवार के सदस्य कानून के दुरुपयोग का शिकार हो जाते हैं । यदि कोई महिला किसी कारण से आत्महत्या कर लेती है किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हो कि उसके साथ मृत्युपूर्व क्रूरता का व्यवहार किया गया था या उससे दहेज की किसी भी प्रकार की मांग पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी, तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध करने से समाज का रखरखाव और सौहार्द प्रभावित होता है ।

चन्द्रकुमार सुन्दरदास तनेजा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** (2018) 1 दा. नि. प. 250 वाला मामला इसका एक अच्छा उदाहरण है ।

इस अंक में कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

इस अंक में अन्य और सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अशोक कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	295
आशु पुरी **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	266
चन्द्रकुमार सुन्दरदास तनेजा **बनाम** महाराष्ट्र राज्य	250
जसवीर और एक अन्य **बनाम** उत्तराखण्ड राज्य और अन्य	153
दीना नाथ और अन्य **बनाम** राज्य (दिल्ली)	232
पश्चिमी बंगाल राज्य **बनाम** मोहम्मद सोहराब और अन्य	210
रंजीत सिंह **बनाम** उत्तराखण्ड राज्य	180
लालवनेहा **बनाम** मिजोरम राज्य और एक अन्य	224
वेद राम **उर्फ** बदेला **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	194

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	325 – 384

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 178 और 179 – राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता – वाद हेतुक – चालू रहने वाले अपराध की जांच या विचारण का स्थान – चूंकि दंड संहिता की धारा 498क और 364क के अधीन अभिकथित अपराध का वाद हेतुक अमृतसर में उद्भूत हुआ जहां पत्नी अभियुक्त-पति के साथ गई थी और गायब हो गई बल्कि टिहरी, उत्तराखण्ड में भी उद्भूत हुआ जहां पत्नी के साथ पति और पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता का बर्ताव किया गया इसलिए टिहरी के न्यायालय को मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता है ।

रंजीत सिंह बनाम **उत्तराखण्ड राज्य** 180

– धारा 438 – अग्रिम जमानत – जहां मामले के अभिलेखों से यह प्रतिबिंबित होता है कि याची अन्वेषण की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है और अभी सच्चाई का पता लगाया जाना शेष है, अतः याची को अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने का कोई ठोस कारण नहीं है ।

अशोक कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 295

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 का तृतीय खंड – "आशय" और "जानकारी" के बीच भिन्नता का स्पष्टीकरण दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जानकारी स्पष्ट बोध है और न कि उस बात के आशय के रूप में उसे माना जाए ।

आशु पुरी बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 266

– धारा 300 अपवाद-4 और 304, भाग I [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या की

पृष्ठ संख्या

कोटि में न आने वाला मानव वध – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा मृतक की चाकू से हत्या किया जाना – आरोप विरचित किए जाने के दौरान अपीलार्थी द्वारा अपना दोष स्वीकार किए जाने, उसके संस्वीकृत कथन से तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन से साबित हो जाता है कि अपीलार्थी धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304 के अधीन मृतक की मृत्यु कारित करने का दोषी है ।

लालवनेहा बनाम **मिजोरम राज्य और एक अन्य** 224

– धारा 302 और धारा 201 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – अभियुक्त द्वारा अपने पुत्र (मुख्य अभियुक्त) की अभिकथित रूप से सहायता किया जाना – पुलिस द्वारा अभियुक्त के पिता से मुख्य अभियुक्त के संबंध में पूछताछ न किया जाना – अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त-पिता से मुख्य अभियुक्त-पुत्र के संबंध में पुलिस द्वारा कोई पूछताछ की गई थी, अतः उसके पते-ठिकाने के संबंध में गलत या मिथ्या जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए पिता धारा 201 के अधीन अपराध का दोषी नहीं होगा ।

पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम **मोहम्मद सोहराब और अन्य** 210

– धारा 302 और धारा 212 [सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 3] – हत्या – अपराधी को संश्रय देना – साक्ष्य का मूल्यांकन – पुत्र द्वारा हत्या – पिता द्वारा पुत्र के पते-ठिकाने के बारे में किसी को भी न बताए जाने का निर्देश अपने कर्मचारी को देना – पिता द्वारा अपने पुत्र को तत्काल कोलकाता छोड़ने का निर्देश दिया गया था और साथ ही उसके कर्मचारी से कहा गया था कि अपने अभियुक्त-पुत्र के पते-ठिकाने के संबंध में किसी को न बताए, शरण देने का अभियुक्त पिता का यह कृत्य इसलिए

पृष्ठ संख्या

और अधिक आपराधिक हो जाता है कि उसने अपने अभिकर्ता/कर्मचारी को संची में अपने पुत्र के लिए धन उपलब्ध कराने को कहा था, ऐसी स्थिति में अभियुक्त-पिता अपने अभियुक्त-पुत्र को संश्रय देने के अपराध का दोषी होगा ।

पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम **मोहम्मद सोहराब और अन्य** 210

– धारा 304, भाग I – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – घटना के समय अपीलार्थी की आयु 62 वर्ष होना – घटना के समय अपीलार्थी का प्रकोपित होना – पहले कभी किसी अपराध में आलिप्त न रहना – घटना के समय अपीलार्थी की वृद्धावस्था तथा उसका पहले कभी किसी अपराध में आलिप्त न होने को दृष्टिगत करते हुए कारावास की अवधि सात वर्ष से घटाकर छह वर्ष करना न्यायोचित होगा ।

लालवनेहा बनाम **मिजोरम राज्य और एक अन्य** 224

– धारा 304 भाग II – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – अभिलेख के साक्ष्य और मृत्युकालिक कथन से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने मृतका की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके कपड़ों में आग लगाई इसलिए अभियुक्त धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्ध किए जाने का दायी है ।

वेद राम उर्फ **बदेला** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 194

– धारा 304 भाग 2 और 34 – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – जहां साक्षियों के साक्ष्य, मामले की परिस्थितियों और चिकित्सीय साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तों ने यह जानते हुए क्षति पहुंचाई कि पीड़ित को धारदार हथियार से मारने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, वहां अभियुक्तों को दंड संहिता

पृष्ठ संख्या

की धारा 304 के बजाय धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडित किया जाना न्यायोचित होगा ।

दीना नाथ और अन्य बनाम **राज्य (दिल्ली)** 232

– धारा 307 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 11] – हत्या का प्रयास – आहत साक्षी का परिसाक्ष्य – पारिवारिक विवाद – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि – अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् का साबित न किया जाना – चिकित्सक के अनुसार ऐसी क्षति तबल/कुल्हाड़ी जैसे धारदार आयुध से कारित की जा सकती है तथा अभियुक्त के अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में प्रतिरक्षा साक्षी द्वारा उपस्थिति रजिस्टर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अभियुक्तों को, आहतों को क्षति पहुंचाते देखा है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तों का अपराध साबित होता है ।

जसवीर और एक अन्य बनाम **उत्तराखण्ड राज्य और अन्य** 153

– धारा 325 – स्वेच्छया घोर उपहति – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक-आहत की मुक्के और लातों से पिटाई किया जाना – यदि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक-आहत पर मुक्के और लातों से पिटाई की गई जिससे मृतक-आहत को घोर उपहति कारित हुई तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडित किया जाना न्यायसंगत है ।

आशु पुरी बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 266

– धारा 325 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118] – नातेदार साक्षी – यह सुस्थापित है कि जहां मामले में साक्षी नातेदार हैं वहां उसे हितबद्ध या

पृष्ठ संख्या

पक्षपाती साक्षी नहीं कहा जा सकता बल्कि ऐसी स्थितियों में उसके वृत्तांत का अवलंब लेते हुए उसके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए ।

आशु पुरी बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 266

– धारा 498क और 306 [सपठित साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113क] – क्रूरता और आत्महत्या का दुष्प्रेरण – विवाहिता की दाह क्षतियों के कारण मृत्यु – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से न तो यह साबित होता है और न ही उपधारित किया जा सकता है कि पति या पति के नातेदारों द्वारा धन की मांग की गई या पत्नी के साथ ऐसी क्रूरता की गई जिसके परिणामस्वरूप वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुई, वहां अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

चन्द्रकुमार सुन्दरदास तनेजा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** 250

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 118 – नातेदार साक्षी – किसी साक्षी की विश्वसनीयता को नातेदारी का तथ्य प्रभावित नहीं करता – ऐसा नहीं है कि नातेदारी वास्तविक अपराधी को छुपा पाती है और निर्दोषिता व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन किया जाए ।

आशु पुरी बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 266

जसवीर और एक अन्य

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य

तारीख 10 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 11] – हत्या का प्रयास – आहत साक्षी का परिसाक्ष्य – पारिवारिक विवाद – अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि – अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् का साबित न किया जाना – चिकित्सक के अनुसार ऐसी क्षति तबल/कुल्हाड़ी जैसे धारदार आयुध से कारित की जा सकती है तथा अभियुक्त के अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में प्रतिरक्षा साक्षी द्वारा उपस्थिति रजिस्टर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अभियुक्तों को, आहतों को क्षति पहुंचाते देखा है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तों का अपराध साबित होता है ।

इस मामले में सेशन विचारण न्यायालय ने चारों अभियुक्तों अर्थात् नरेश, सुरेश, आशीष **उर्फ** शेषराज और राजेन्द्र को दंड संहिता की धारा 307/34, 323/34, 324/34 और 504 के अधीन आरोपित करने के पश्चात् विचारण किया और परिणामस्वरूप उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जसवीर और तेज सिंह ने अभियुक्तों की दोषमुक्ति के विरुद्ध उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की साथ ही राज्य ने भी इन अभियुक्तों के विरुद्ध अपील की । उच्च न्यायालय ने सेशन विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए,

अभिनिर्धारित – डा. अर्धेन्दु (अभि. सा. 5) ने प्रदीप सिंह की चिकित्सा

परीक्षा की है । इस साक्षी के अनुसार, प्रदीप को गंभीर प्रकृति की क्षति कारित हुई थी जो क्षति सं. 1 है । इस चिकित्सक ने आहत तेज सिंह की भी चिकित्सा परीक्षा की थी । तेज सिंह को कारित हुई क्षति सं. 1, 2, 10 और 14 को संप्रेक्षणाधीन रखा गया । इस साक्षी के अनुसार ऐसी क्षति तबल/कुल्हाड़ी जैसे धारदार आयुध से कारित की जा सकती है । तेज सिंह को कारित हुई क्षति सं. 2 गंभीर प्रकृति की है । (पैरा 16)

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षी पी. के. बहल (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने यह कथन किया है कि तारीख 26 मई, 1998 को वह सहायक आयुक्त, सहारनपुर के पद पर तैनात था । सुरेश चन्द सैनी उसके कार्यालय में आशुलिपिक के रूप में कार्यरत था । उसने श्री सैनी को तारीख 26 मई, 1998 के दिन 10 बजे अपराह्न से 5 बजे पूर्वाह्न तक उपस्थित दिखाया है । तथापि, इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह (न्यायालय में आज) मूल उपस्थिति रजिस्टर लेकर नहीं आया है । वह आवेदन भी साथ नहीं लाया है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि सुरेश चन्द सैनी ने तारीख 21 मई, 1998 को इस कार्यालय में कार्यभार संभाला था । (पैरा 20)

राम स्वरूप (अभि. सा. 3) और जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अभियुक्तों को आहतों को क्षति पहुंचाते हुए देखा है । जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है । यह साक्षी आहतों को अस्पताल लेकर गया था । राम स्वरूप (अभि. सा. 3) और जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त तबल, लाठी, कुल्हाड़ी और सरिए से लैस थे । डा. अर्धेन्दु (अभि. सा. 5) के कथन के अनुसार प्रदीप सिंह को कारित हुई क्षति सं. 1 घोर प्रकृति की है । तेज सिंह को कारित हुई क्षति सं. 2 भी गंभीर प्रकृति की है । (पैरा 25)

विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को असम्यक् महत्व दिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है । यह घटना तारीख 26 मई, 1998 को लगभग 6 बजे अपराह्न में घटित हुई है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 27 मई, 1998 को जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा 2.40 बजे अपराह्न में ही दर्ज करा दी गई है । जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) का आहतों का भाई और चाचा होने के नाते यह प्रयास था कि वह उनकी

जान बचाए । इसलिए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हुए विलंब को अधिक नहीं कहा जा सकता । (पैरा 27)

इस प्रकार, अभियुक्त सुरेश चन्द सैनी और अभियुक्त आशीष **उर्फ** शेषराज अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् साबित करने में असफल रहे हैं । यह अभिवाक् मिथ्या है और विचारण न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार करके गलत किया गया है । अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त नरेश, सुरेश, आशीष और राजेन्द्र घातक आयुधों अर्थात् तबल, लाठी, कुल्हाड़ी और सरिए से लैस होकर तेज सिंह (अभि. सा. 1) और प्रदीप सिंह **उर्फ** टीटू को गंभीर क्षतियां हत्या के आशय से कारित की हैं । इन क्षतियों के परिणामस्वरूप तेज सिंह की दाईं हंसुली और द्वितीय और तृतीय पसली में अस्थिभंग हुआ है । डा. अर्धेन्दु (अभि. सा. 5) ने यह राय व्यक्त की है कि क्षतियां धारदार तथा कुन्द वस्तु से कारित की गई हैं । तेज सिंह (अभि. सा. 1), प्रदीप सिंह (अभि. सा. 2), राम स्वरूप (अभि. सा. 3) और जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) के कथनों की चिकित्सीय साक्ष्य से सम्यक् रूप से संपुष्टि होती है । अभियुक्तों ने आहतों को साधारण तथा गंभीर क्षतियां कारित की हैं और उन्होंने तेज सिंह (अभि. सा. 1) और प्रदीप सिंह (अभि. सा. 2) का आपराधिक अभित्रास भी किया है । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307/34, 323/34, 324/34 और 504 के अधीन अपराध के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है । (पैरा 33, 34 और 35)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2011] (2011) 7 एस. सी. सी. 421 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2552 :
भजन सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** ; 45

[2011] (2011) 4 एस. सी. सी. 324 =
2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1877 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **नरेश और अन्य** ; 44

[2008] (2008) 13 एस. सी. सी. 133 =
ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 314 :
बबलू पासी बनाम **झारखण्ड राज्य और एक अन्य** ; 43

[2007] (2007) 7 एस. सी. सी. 378 =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2786 :
राजेन्द्र सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ; 42

[2004] ए. आई. आर. 2004 उड़ीसा 14 :
बामी बेवा बनाम **कृष्ण चन्द्र स्वायन** उर्फ
गोछायत और अन्य ; 46

[2002] (2002) 8 एस. सी. सी. 165 =
ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3569 :
जयन्तीभाई भेंकरभाई बनाम **गुजरात राज्य** ; 41

[1997] ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 322 :
बिनय कुमार सिंह बनाम **बिहार राज्य** ; 40

[1988] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1796 :
बिराद मल सिंघवी बनाम **आनंद पुरोहित** ; 39

[1981] ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1021 :
हरियाणा राज्य बनाम **शेर सिंह और अन्य** ; 38

[1972] ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 109 :
चन्द्रिका प्रसाद सिंह और अन्य बनाम **बिहार राज्य** । 37

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 91 और 2011 की सरकारी अपील सं. 42.

1999 सेशन विचारण मामला सं. 286 में अपर सेशन न्यायाधीश (द्वितीय), त्वरित न्यायालय, हरिद्वार द्वारा तारीख 16 मार्च, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री विवेक शुक्ला

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री नन्दन आर्य (उप महाधिवक्ता), रामजी श्रीवास्तव और राजेन्द्र सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – चूंकि इन दोनों अपीलों में विधि और तथ्य के एक जैसे प्रश्न सम्मिलित हैं इसलिए इन पर एक साथ कार्यवाही करते हुए एक ही निर्णय द्वारा इन्हें विनिश्चित किया जा रहा है ।

2. ये अपीलें सेशन विचारण मामला सं. 286/99 में अपर सेशन न्यायाधीश (द्वितीय), त्वरित न्यायालय (हरिद्वार) तारीख 16 मार्च, 2011 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं जिसके द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थियों अर्थात् नरेश, सुरेश, आशीष **उर्फ** शेषराज और राजेन्द्र को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 307/34, 323/34, 324/34 और 504 के अधीन आरोपित करते हुए विचारण किया गया और तत्पश्चात् उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया ।

3. 2011 की दांडिक अपील सं. 91 जसवीर सिंह और तेज सिंह द्वारा फाइल की गई है और राज्य द्वारा 2011 की सरकारी अपील सं. 42 फाइल की गई है ।

4. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) ने तारीख 27 मई, 1998 को 2.40 बजे अपराह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें यह प्रकथन किया गया था कि तारीख 26 मई, 1998 को 6.00 बजे अपराह्न में उसका भाई तेज सिंह और भतीजा प्रदीप **उर्फ** टीटू गन्ने के खेत में काम कर रहे थे । इसी दौरान अभियुक्त नरेश, सुरेश, आशीष और राजेन्द्र घटनास्थल पर आए । वे तबल, सरिया, लाठी और कुल्हाड़ी लिए हुए थे । उन्होंने शिकायतकर्ता के भाई और भतीजे पर हमला किया जिसके कारण आहतों को गंभीर क्षतियां पहुंचीं । चीख-पुकार सुनकर जसवीर सिंह, रामस्वरूप, करन, रमेश और सुभाष के साथ घटनास्थल पर आया । उन्होंने भी घटना देखी और अभियुक्तों के हमले से आहतों को बचाया । आहतों को सबसे पहले लकसर अस्पताल ले जाया गया किन्तु इस बात पर ध्यान देते हुए कि उन्हें गंभीर क्षतियां कारित हुई थीं इसलिए उन्हें सरकारी अस्पताल, हरिद्वार ले जाया गया । डा. अर्धेन्दु (अभि. सा. 5) ने आहतों की चिकित्सा परीक्षा की ।

5. इस मामले में अन्वेषण किया गया और सभी महत्वपूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् चालान प्रस्तुत किया गया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर आठ साक्षियों की परीक्षा कराई है ।

7. इसके पश्चात्, अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए । उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा में पी. के. बहल (प्रतिरक्षा साक्षी 1), के. एल. कुरील (प्रतिरक्षा साक्षी 2),

जयपाल सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 3) और सुधीर कुमार जाटव (प्रतिरक्षा साक्षी 4) की परीक्षा कराई ।

8. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया । इसलिए, ये दोनों अपीलें इस न्यायालय के समक्ष फाइल की गई हैं ।

9. शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान् काउंसेल तथा राज्य की ओर से विद्वान् उप महाधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है ।

10. दूसरी ओर, अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने तारीख 16 मार्च, 2011 के निर्णय का समर्थन किया है ।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है साथ ही सम्पूर्ण अभिलेख पर सावधानीपूर्वक विचार किया है ।

12. तेज सिंह (अभि. सा. 1) आहत साक्षी है । इस साक्षी के अनुसार तारीख 26 मई, 1998 को वह अपने पुत्र के साथ गन्ने के खेत में काम कर रहा था । इसी दौरान, अभियुक्त घटनास्थल पर आए । अभियुक्तों के मन में उनके प्रति दुर्भावना थी । सुरेश के पास तबल, नरेश के पास लाठी, राजेन्द्र के पास कुल्हाड़ी और आशीष के पास सरिया था । अभियुक्त गालियां देते हुए खेत में घुसे और उन्होंने तेज सिंह और उसके पुत्र पर हत्या के आशय से हमला कर दिया । उसके पुत्र को क्षतियां पहुंचीं । चीख-पुकार किए जाने पर, राम स्वरूप, करन, सुभाष और रमेश घटनास्थल पर आ गए । इन व्यक्तियों ने तेज सिंह और उसके पुत्र को अभियुक्तों के हमले से बचाया । उसे उसके पुत्र प्रदीप के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लकसर लाया गया जहां से उन्हें चिकित्सक द्वारा सरकारी अस्पताल, हरिद्वार भेज दिया गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उस पर संतोष के साथ छेड़खानी करने और उस पर पलकटी से वार करने के अपराध का आरोप लगाया गया था । इस साक्षी के अनुसार वह एक मिथ्या मामला था ।

13. प्रदीप सिंह (अभि. सा. 2) एक अन्य आहत साक्षी है । इस साक्षी ने तेज सिंह (अभि. सा. 1) के कथन की संपुष्टि की है । इस साक्षी ने यह

अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 26 मई, 1998 को 6.00 बजे अपराह्न में जब वह गन्ने के खेत में काम कर रहा था, अभियुक्त तबल, कुल्हाड़ी, लाठी और सरिए से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे । अभियुक्तों ने उसकी और उसके पिता की हत्या करने के लिए उन्हें गंभीर क्षतियां कारित कीं । चीख-पुकार की गई । राम स्वरूप, करन, सुभाष और रमेश आदि घटनास्थल पर आ गए । उसे और उसके पिता को लकसर अस्पताल ले जाया गया और इसके पश्चात् उन्हें वहां से हरिद्वार अस्पताल भेज दिया गया ।

14. राम स्वरूप (अभि. सा. 3) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन 6.00 बजे अपराह्न में उसने चीख-पुकार की आवाज सुनी थी । उसने देखा कि सुरेश कुमार तबल से, नरेश लाठी से, आशीष सरिए से और राजेन्द्र कुल्हाड़ी से लैस है । अभियुक्तों ने तेज सिंह और उसके पुत्र प्रदीप की पिटाई की । तेज सिंह नीचे गिर गया । जसवीर, सुभाष और करन भी घटनास्थल पर आ गए । राम स्वरूप ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त अपने आयुधों से आहतों पर वार कर रहे थे ।

15. जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इस साक्षी के अनुसार, पारिवारिक विवाद चल रहा था । तारीख 12 सितंबर, 1998 को अभियुक्तों के विरुद्ध असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई गई । यह घटना तारीख 26 मई, 1998 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न में घटित हुई है जब जसवीर सिंह अपने भाई तेज सिंह और भतीजे प्रदीप के साथ गन्ने के खेत में सिंचाई कर रहा था । अभियुक्त, तबल, सरिए, कुल्हाड़ी और डंडे से लैस होकर घटनास्थल पर आए । अभियुक्तों ने आहतों की हत्या के आशय से उन पर हमला किया । आहतों ने चीख-पुकार की जिसे सुनकर राम स्वरूप, करन, सुभाष और रमेश आदि घटनास्थल पर आ गए ।

16. डा. अर्धेन्दु (अभि. सा. 5) ने प्रदीप सिंह की चिकित्सा परीक्षा की है । इस साक्षी के अनुसार, प्रदीप को गंभीर प्रकृति की क्षति कारित हुई थी जो क्षति सं. 1 है । इस चिकित्सक ने आहत तेज सिंह की भी चिकित्सा परीक्षा की थी । तेज सिंह को कारित हुई क्षति सं. 1, 2, 10 और 14 को संप्रेक्षणाधीन रखा गया । इस साक्षी के अनुसार ऐसी क्षति तबल/कुल्हाड़ी जैसे धारदार आयुध से कारित की जा सकती है । तेज सिंह को कारित हुई क्षति सं. 2 गंभीर प्रकृति की है ।

17. डा. आर. के. पाण्डेय (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तेज सिंह को एक्स-रे कराने के लिए भेजा गया था । एक्स-रे की रिपोर्ट के अनुसार तेज सिंह की दाईं ओर की हंसुली और दाईं ओर की ही द्वितीय एवं तृतीय पसली में अस्थिभंग पाया गया । एक्स-रे रिपोर्ट को सम्यक् रूप से साबित किया गया है ।

18. कांस्टेबल राम धन सिंह (अभि. सा. 7) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की है ।

19. उप निरीक्षक सतीश वर्मा (अभि. सा. 8) इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । उसने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । वह घटनास्थल पर पहुंचा । उसने घटनास्थल पर रक्त के कोई भी धब्बे नहीं देखे । उसने आहत को एक्स-रे कराने की सलाह दी ।

20. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षी पी. के. बहल (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने यह कथन किया है कि तारीख 26 मई, 1998 को वह सहायक आयुक्त, सहारनपुर के पद पर तैनात था । सुरेश चन्द सैनी उसके कार्यालय में आशुलिपिक के रूप में कार्यरत था । उसने श्री सैनी को तारीख 26 मई, 1998 के दिन 10.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे पूर्वाह्न तक उपस्थित दिखाया है । तथापि, इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह (न्यायालय में आज) मूल उपस्थिति रजिस्टर लेकर नहीं आया है । वह आवेदन भी साथ नहीं लाया है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि सुरेश चन्द सैनी ने तारीख 21 मई, 1998 को इस कार्यालय में कार्यभार संभाला था ।

21. श्री के. एल. कुरील (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 26 मई, 1998 को वह सरसावा चैक पोस्ट पर व्यापार कर अधिकारी के रूप में तैनात था । अभियुक्त शेषराज (आशीष) भी उसी के साथ तारीख 26 मई, 1998 को 8.00 बजे पूर्वाह्न से तारीख 27 मई, 1998 को 8.00 बजे पूर्वाह्न तक ड्यूटी पर था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष मूल उपस्थिति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दस्तावेज प्रदर्श ख-5 पर की गई कटिंग के निकट हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं । श्री के. एल. कुरील ने यह भी स्वीकार किया है कि दस्तावेज प्रदर्श ख-8 पर शिफ्ट-इंचार्ज के हस्ताक्षर नहीं हैं । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दस्तावेज प्रदर्श ख-5, ख-6 और ख-7 पर

अपने हस्ताक्षरों के साथ तारीख नहीं लिखी है ।

22. जय पाल सिंह, वरिष्ठ सहायक (प्रतिरक्षा साक्षी 3) सहायक उपायुक्त के कार्यालय से रजिस्टर लाया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह आशीष से संबंधित तारीख 26 मई, 1998 से तारीख 27 मई, 1998 के बीच की अवधि वाला कोई भी दस्तावेज नहीं लाया है ।

23. सुधीर कुमार जाटव (प्रतिरक्षा साक्षी 4) ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि सुरेश चन्द का उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध नहीं हो सका है और इसे तलाशा नहीं जा सकता । यह साक्षी तारीख 24 जून, 1998 वाले दस्तावेज प्रदर्श ख-11 पर किए हुए हस्ताक्षरों की शनाख्त नहीं कर सका ।

24. विचारण न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है कि पक्षकारों के बीच शत्रुता चल रही थी और प्रतिरक्षा साक्षी 1 से प्रतिरक्षा साक्षी 4 के कथनों के अनुसार अभियुक्त सुरेश चन्द सैनी और आशीष घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे । विचारण न्यायालय ने तेज सिंह (अभि. सा. 1) और प्रदीप **उर्फ** टीटू (अभि. सा. 2) जोकि आहत साक्षी हैं, के कथनों का मूल्यांकन न करके विधि की दृष्टि से त्रुटि की है । इन दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 26 मई, 1998 को जब वे अपने खेतों में सिंचाई कर रहे थे, उन पर अभियुक्तों द्वारा हमला किया गया । अभियुक्त तबल, लाठी, कुल्हाड़ी और सरिए से लैस थे । उन पर अभियुक्तों द्वारा हत्या के आशय से हमला किया गया । उन्होंने शोर मचाया । उसके पश्चात्, राम स्वरूप, हरपाल, सुभाष और रमेश घटनास्थल पर आ गए । सबसे पहले आहतों को लकसर अस्पताल भेजा गया और इसके पश्चात् उन्हें वहां से सरकारी अस्पताल, हरिद्वार भेज दिया गया ।

25. राम स्वरूप (अभि. सा. 3) और जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अभियुक्तों को आहतों को क्षति पहुंचाते हुए देखा है । जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है । यह साक्षी आहतों को अस्पताल लेकर गया था । राम स्वरूप (अभि. सा. 3) और जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त तबल, लाठी, कुल्हाड़ी और सरिए से लैस थे । डा. अर्धेन्दु (अभि. सा. 5) के कथन के अनुसार प्रदीप सिंह को

कारित हुई क्षति सं. 1 घोर प्रकृति की है । तेज सिंह को कारित हुई क्षति सं. 2 भी गंभीर प्रकृति की है ।

26. डा. आर. के पाण्डेय (अभि. सा. 6) द्वारा किए गए एक्स-रे के अनुसार दाईं हंसुली और दाईं ओर से द्वितीय तथा तृतीय पसली में अस्थिभंग पाया गया है । आहत साक्षियों के कथन महत्वपूर्ण हैं और इन्हें विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता ।

27. विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को असम्यक् महत्व दिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है । यह घटना तारीख 26 मई, 1998 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न में घटित हुई है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 27 मई, 1998 को जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा 2.40 बजे अपराह्न में ही दर्ज करा दी गई है । जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) का आहतों का भाई और चाचा होने के नाते यह प्रयास था कि वह उनकी जान बचाए । इसलिए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हुए विलंब को अधिक नहीं कहा जा सकता ।

28. अभियुक्त सुरेश चन्द सैनी और आशीष **उर्फ** शेषराज ने अन्यत्र मौजूद होने का अभिवाक् किया है । अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् एक दुधारी तलवार है । पी. के. बहल (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और डा. के. एल. कुरील (प्रतिरक्षा साक्षी 2) के कथन विश्वासोत्पादक प्रतीत नहीं होते हैं ।

29. पी. के. बहल (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने तो न्यायालय में उपस्थिति रजिस्टर लेकर आया और न ही उसने सुरेश चन्द सैनी द्वारा फाइल किया गया आवेदन प्रस्तुत किया ।

30. डा. के. एल. कुरील (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष मूल रजिस्टर नहीं किया गया है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दस्तावेज प्रदर्श ख-5 में की गई कटिंग पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दस्तावेज प्रदर्श ख-8 और ख-9 पर शिफ्ट-इंचार्ज के कोई भी हस्ताक्षर नहीं हैं ।

31. जय पाल सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 3) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि जो अभिलेख वह न्यायालय में लेकर आया है, आशीष के कार्यालय में तारीख 26 मई, 1998 से तारीख 27 मई, 1998 तक उपस्थित रहने के संबंध में नहीं हैं ।

32. सुधीर कुमार जाटव (प्रतिरक्षा साक्षी 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में

यह स्वीकार किया है कि उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध नहीं है और इसे तलाश नहीं किया जा सकता ।

33. इस प्रकार, अभियुक्त सुरेश चन्द सैनी और अभियुक्त आशीष **उर्फ** शेषराज अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् साबित करने में असफल रहे हैं । यह अभिवाक् मिथ्या है और विचारण न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार करके गलत किया गया है ।

34. अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित कर दिया है कि अभियुक्त नरेश, सुरेश, आशीष और राजेन्द्र घातक आयुधों अर्थात् तबल, लाठी, कुल्हाड़ी और सरिए से लैस होकर तेज सिंह (अभि. सा. 1) और प्रदीप सिंह **उर्फ** टीटू को गंभीर क्षतियां हत्या के आशय से कारित की हैं । इन क्षतियों के परिणामस्वरूप तेज सिंह की दाईं हंसुली और द्वितीय और तृतीय पसली में अस्थिभंग हुआ है । डा. अर्धेन्दु (अभि. सा. 5) ने यह राय व्यक्त की है कि क्षतियां धारदार तथा कुन्द वस्तु से कारित की गई हैं । तेज सिंह (अभि. सा. 1), प्रदीप सिंह (अभि. सा. 2), राम स्वरूप (अभि. सा. 3) और जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) के कथनों की चिकित्सीय साक्ष्य से सम्यक् रूप से संपुष्टि होती है ।

35. अभियुक्तों ने आहतों को साधारण तथा गंभीर क्षतियां कारित की हैं और उन्होंने तेज सिंह (अभि. सा. 1) और प्रदीप सिंह (अभि. सा. 2) का आपराधिक अभित्रास भी किया है । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307/34, 323/34, 324/34 और 504 के अधीन अपराध के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है ।

36. प्रत्यर्थी-अभियुक्तों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों में कोई सार नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जसवीर सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा दर्ज कराई गई थी जो सुश्री संतोष कुमार (अभियुक्त नरेश की पत्नी) द्वारा तेज सिंह (अभि. सा. 1) के विरुद्ध तारीख 26 मई, 1998 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में थी ।

37. **चन्द्रिका प्रसाद सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्यत्र उपस्थित होने का साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है

---

[1] ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 109.

और इस संबंध में यदि उच्च न्यायालय के इस मत से सहमत होने का कोई तर्कसम्मत आधार नहीं है कि सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया गया है, तब उच्चतम न्यायालय विशेष इजाजत द्वारा की गई अपील में उच्च न्यायालय के मत में हस्तक्षेप नहीं करेगा । इस निर्णय के पैरा 3 में माननीय न्यायाधीशों ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"3. उच्च न्यायालय ने **चन्द्रिका प्रसाद सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् के संबंध में दी गई दलील पर निम्न प्रकार विचार किया है –

चन्द्रिका प्रसाद सिंह की ओर से आठ साक्षियों की परीक्षा कराई गई थी । उसका मुख्य अभिवाक् यह था कि तारीख 3 दिसंबर, 1964 को उसकी चिकित्सा परीक्षा डा. जमुना प्रसाद राय (प्रतिरक्षा साक्षी 1) द्वारा की गई थी क्योंकि उसे मूत्र-संबंधी शिकायत थी । उसे एक अन्य चिकित्सक के पास भेज दिया गया और तारीख 5 दिसंबर, 1964 को उसके रक्त और मल की डा. एस. एस. त्रिपाठी (अभि. सा. 5) द्वारा जांच की गई । डा. वी. एन. सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 4) ने शल्य चिकित्सा की । यह शल्य चिकित्सा फिमोसिस प्रकृति की थी । एक अन्य साक्षी अर्थात् प्रतिरक्षा साक्षी 6 ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि चन्द्रिका प्रसाद सिंह ने तारीख 4 से 12 दिसंबर, 1964 के दौरान किराए पर एक कमरा ले रखा था किन्तु वह निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता है कि उसने चन्द्रिका प्रसाद सिंह को तारीख 5 दिसंबर, 1964 की रात्रि में या 6 दिसंबर, 1964 को प्रातःकाल देखा था या नहीं । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने इन साक्षियों के साक्ष्य पर अपने निर्णय के पैरा 44 में विस्तार से विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि इन प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य को प्रथमदृष्ट्या मान लेने से भी निश्चायक रूप से यह साबित नहीं हो सकता कि चन्द्रिका प्रसाद सिंह घटना घटित होने के समय उपस्थित नहीं हो सकता था । अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दु यह था कि रक्त और मूत्र की जांच और शल्य चिकित्सा का सही समय क्या है किन्तु इसे साक्ष्य में कहीं भी उपदर्शित नहीं किया गया है । यह ग्राम दरभंगा से एक ढलवां सड़क द्वारा जुड़ा है और

इस सड़क पर पर्याप्त संख्या में बसें चलती हैं । इसीलिए, मेरी राय में विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने चन्द्रिका प्रसाद सिंह द्वारा किए गए अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को अविश्वसनीय ठहराकर ठीक ही किया है ।

उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके आधार पर विशेष इजाजत के अनुसार इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया जाए या निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया जाए । अन्यत्र उपस्थित होने के सबूत का भार चन्द्रिका प्रसाद सिंह पर था और हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय के इस मत से असहमत होने का कोई भी तर्कसम्मत आधार नहीं है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया गया है ।"

38. **हरियाणा राज्य** बनाम **शेर सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्यत्र उपस्थित होने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है । निर्णय के पैरा 4 में माननीय न्यायाधीश ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"4. जब अभियुक्त अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् करता है तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 103 के अधीन सबूत का भार अभियुक्त पर होता है जो निम्न प्रकार है –

103. **विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार** – किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा ।

दृष्टांत – (क) क को ख चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की । क को यह स्वीकृति साबित करनी होगी ।

(ख) ख न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे

[1] ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1021.

कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था । उसे यह बात साबित करनी होगी ।

इस मामले में प्रतिरक्षा पक्ष ने अन्यत्र उपस्थित होने के तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इसके प्रतिकूल लीला (अभि. सा. 11) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 21 अक्तूबर, 1973 को सभी अभियुक्तों को लालजी और प्रत्यर्थी का साला शेर सिंह द्वारा ग्राम नन्दकरन माजरा में लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न में उस समय पेश किया गया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था । यह सब अभि. सा. 11 और बहुत से अन्य साक्षियों की मौजूदगी में किया गया था । साक्षियों ने यह कथन किया है कि पुलिस तारीख 17 अक्तूबर से 20 अक्तूबर, 1973 के दौरान मौजूद थी । अभि. सा. 11 के इस साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई है । प्रत्यर्थियों ने यह अभिवाक् किया है कि यह कहना सत्य नहीं है कि घटना के समय वे कहीं और मौजूद थे और तारीख 17 अक्तूबर, 1973 को वे स्वयं घटनास्थल पर वापस आए थे जिसके पश्चात् उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था ।"

39. **बिराद मल सिंघवी** बनाम **आनंद पुरोहित**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन किसी दस्तावेज को स्वीकार्य ठहराने के लिए तीन शर्तों का समाधान किया जाना चाहिए, पहली शर्त यह है कि जिस प्रविष्टि का अवलंब लिया जा रहा है वह किसी सार्वजनिक या अन्य किसी शासकीय रजिस्टर या अभिलेख में की जानी चाहिए, दूसरी शर्त यह है कि प्रविष्टि ऐसी होनी चाहिए जिसमें विवाद्यक तथ्य, सुसंगत तथ्य का उल्लेख किया गया हो और तीसरी शर्त इस प्रकार है कि ऐसी प्रविष्टि किसी लोक सेवक द्वारा शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन के दौरान या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा विधि अनुसार किसी विशेष कर्तव्य का पालन करते हुए, की जानी चाहिए । इस निर्णय के पैरा 15 में माननीय न्यायाधीश ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

"15. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रदर्श 8, 9, 10, 11 और 12 में की गई प्रविष्टियों को, जिन्हें अनंतराम शर्मा

---

[1] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1796.

(अभि. सा. 3) और कैलाश चन्द्र तपारिया (अभि. सा. 5) द्वारा साबित किया गया है, को दृष्टिगत करते हुए हुक्मीचंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म-तिथि साबित हो गई है और इस उपधारणा के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दो अभ्यर्थियों की आयु उनके नामांकन के दिन 25 वर्ष से अधिक हो गई है । हमारी राय में उच्च न्यायालय ने भारी त्रुटि की है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन यह अधिकथित किया गया है कि किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य में, निर्वहन में या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है । धारा 35 के अधीन किसी दस्तावेज को स्वीकार्य ठहराने के लिए तीन शर्तों का समाधान किया जाना चाहिए, जिनमें पहली शर्त यह है कि जिस प्रविष्टि का अवलंब लिया गया है वह सार्वजनिक या किसी शासकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में की जानी चाहिए, दूसरी शर्त यह है कि इस प्रविष्टि में विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए और तीसरी शर्त इस प्रकार है कि ऐसी प्रविष्टि किसी लोक सेवक द्वारा उसकी शासकीय कर्तव्य का निर्वहन करने या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अधीन विशेष कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान की जानी चाहिए । स्कूल रजिस्टर में जन्म-तिथि से संबंधित की गई प्रविष्टि सुसंगत है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन स्वीकार्य है किन्तु स्कूल रजिस्टर में किसी व्यक्ति की आयु से संबंधित प्रविष्टि का साक्ष्यिक महत्व उतना अधिक नहीं है कि ऐसी सामग्री के अभाव में उस व्यक्ति की आयु साबित की जा सके जिस पर आयु अभिलिखित की गई थी । राजा जानकी नाथ राय और अन्य **बनाम** ज्योतिष चन्द्र आचार्य चौधरी (ए. आई. आर. 1941 कलकत्ता 41) वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने वाद के पक्षकार की आयु के संबंध में स्कूल रजिस्टर में की गई प्रविष्टि इस आधार पर त्यक्त कर दी कि यह साबित करने के लिए कोई आधार नहीं था कि वादी की आयु के संबंध में रजिस्टर में जो प्रविष्टि गई है, उसका आधार क्या है । इस प्रकार अधिकथित किए गए सिद्धांत को देश के लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने स्वीकार किया है, जगन नाथ **बनाम** मोती

राम और अन्य (ए. आई. आर. 1951 पंजाब 377), सखी राम और अन्य **बनाम** पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तरी बिहार, मुजफ्फरपुर और अन्य (ए. आई. आर. 1966 पटना 459), घांची वोरा समसुद्दीश ईसाभाई **बनाम** गुजरात राज्य (ए. आई. आर. 1970 गुजरात 178) और राधा किशन टिक्कू और एक अन्य **बनाम** भूषण लाल टिक्कू और एक अन्य (ए. आई. आर. 1971 जम्मू-कश्मीर 62) वाले मामले देखें । इन विनिश्चयों के अतिरिक्त इलाहाबाद, बाम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों ने स्कूल रजिस्टर या स्कूल प्रमाणपत्र में लिखी गई जन्म-तिथि से संबंधित प्रविष्टि के साक्ष्यिक महत्व के प्रश्न पर निर्वाचन के मामलों को लेकर विचार किया है । न्यायालयों ने निरन्तर यह अभिनिर्धारित किया है कि स्कूल रजिस्टर या माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि का कोई भी साक्ष्यिक महत्व तब तक नहीं होगा जब तक कि या तो माता-पिता की परीक्षा साक्षी के रूप में न कराई जाए या उस व्यक्ति की परीक्षा न कराई जाए जिसकी सूचना के आधार पर वह प्रविष्टि की गई है, जगदम्बा प्रसाद **बनाम** श्री जगन्नाथ प्रसाद और अन्य (1969) 42 ई. एल. आर. 465, के. परामलाली **बनाम** एल. एम. अलंगम और एक अन्य (1967) 31 ई. एल. आर. 401 और कृष्ण राव महारू पाटिल **बनाम** ओंकार नारायण वाघ (1958) 14 ई. एल. आर. 386 वाले मामले देखें ।"

40. **बिनय कुमार सिंह** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत अपेक्षित है । निर्णय के पैरा 22, 24 और 26 में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :–

"22. लेटिन शब्द **एलिबी** का अर्थ **कहीं और** से है और इस शब्द का प्रयोग सुविधा के लिए ऐसी स्थिति में किया जाता है जब अभियुक्त यह प्रतिरक्षा लेता है कि घटना घटित होने के समय वह घटनास्थल से इतना दूर था कि यह अत्यंत असंभावी था कि वह इस अपराध में भाग ले पाता । यह मूल विधि है कि दांडिक मामले में, जिसमें अभियुक्त पर अन्य किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया है, तब सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर

[1] ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 322.

होगा कि अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद था और उसने इस अपराध में भाग लिया है । मात्र इस आधार पर यह भार कम नहीं हो सकता कि अभियुक्त ने अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् का अवलंब लिया है । ऐसे मामलों में अभियुक्त के अभिवाक् पर केवल तब विचार किया जाना चाहिए जब अभियोजन पक्ष ने समाधानप्रद रूप से सबूत के भार का निर्वहन कर लिया हो । किन्तु जब एक बार अभियोजन पक्ष सबूत के भार का निर्वहन करने में सफल हो जाता है तब अभियुक्त, जिसने अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् का अवलंब लिया है, को अत्यंत निश्चित रूप से यह साबित करना होगा कि घटनास्थल पर वह मौजूद नहीं था । जब एक बार घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से समाधानप्रद रूप से सिद्ध हो जाती है, तब आमतौर पर न्यायालय को इस संबंध में किसी प्रतिकूल साक्ष्य पर विश्वास करने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए कि अभियुक्त घटना घटित होने के समय अन्यत्र मौजूद था । किन्तु यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की गुणवत्ता और स्तर इस प्रकार का है कि न्यायालय को घटना घटित होने के समय घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी को लेकर युक्तियुक्त संदेह हो सकता है, तब निःसंदेह अभियुक्त उस युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होगा । इस प्रयोजन के लिए, यह प्रतिपादना अधिकथित करना उचित होगा कि ऐसी परिस्थितियों में सबूत का भार अभियुक्त पर अधिक होता है । अतः, अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत अपेक्षित है । इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती कई अवसरों पर इस संबंध में विचार किया है, दूध नाथ पाण्डेय **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1981 क्रिमिनल ला जर्नल 618) और महाराष्ट्र राज्य **बनाम** नरसिंह राव गंगाराम पिम्पले (1984 क्रिमिनल ला जर्नल 4) वाले मामले देखें ।

24. निःसंदेह, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री यू. आर. ललित ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि न्यायालयों को सभी शासकीय अभिलेख की असलियत को उपधारित करना चाहिए था और सबूत के भार का निर्वहन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य से अधिक साक्ष्य स्वीकार करना चाहिए था । हमें यह नहीं भूलना होगा कि उपधारणा केवल सबूत के भार की परिधि में ही नियम के रूप में की जाती है

और इन दोनों अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को अविश्वसनीय ठहराने के लिए निचले न्यायालय द्वारा अवलंब लिए गए समवर्ती कारण पर्याप्त रूप से सारवान् हैं । किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन मंजूर की गई विशेष इजाजत द्वारा फाइल की गई अपील में यह न्यायालय ऐसे ठोस कारणों के आधार पर निकाले गए तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए आनत नहीं होगी, वह भी ऐसी स्थिति में जब हम दोनों न्यायालयों द्वारा दिए गए कारणों से सहमत हों ।

26. अपीलार्थी बिनय कुमार सिंह (अभियुक्त-34) की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सुशील कुमार ने अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् का परिशीलन किया है जिसका अवलंब अभियुक्त विचारण न्यायालय में लिया था । उन्होंने डा. विनोद बिहारी सिन्हा की परीक्षा प्रतिरक्षा साक्षी-36 के रूप में कराई जो नालंदा मेडिकल कालेज, पटना में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर थे । इस साक्षी ने निःसंदेह यह कथन किया है कि अपीलार्थी बिनय कुमार सिंह उक्त मेडिकल कालेज अस्पताल में अपेन्डिसाइटिस के रोगी के रूप में भर्ती हुआ था और वह तारीख 6 फरवरी, 1980 को भी बिस्तर से उठने की स्थिति में नहीं था । इस साक्षी ने इस संबंध में यह बात बैड-हैड-टिकट (रोगी की शैय्या के साथ लगी उपचार पर्ची) के आधार पर कही है जिसे उसने प्रस्तुत भी किया है । किन्तु प्रतिरक्षा साक्षी-6 की प्रतिपरीक्षा से उसके साक्ष्य का मिथ्या होना उपदर्शित होता है । यह मिथ्या प्रतीत होता है कि अपेन्डिसाइटिस के रोग से ग्रस्त मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती किया गया रोगी कभी भी शल्य चिकित्सक को उपचार के लिए नहीं दिखाया गया और इससे इस संबंध में भी घोर संदेह होता है कि क्या यह अपीलार्थी वास्तव में अस्पताल में भर्ती किया गया था जैसा कि प्रतिरक्षा साक्षी-6 द्वारा दावा किया गया है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि रोगी भर्ती होने के तत्काल पश्चात् अस्पताल छोड़कर चला गया था किन्तु अगले दिन पुनः वापस आ गया था । प्रतिरक्षा साक्षी-6 ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए बैड-हैड-टिकट (शैय्या पर्ची) में उसके द्वारा की गई कोई भी प्रविष्टि नहीं है । इस शैय्या पर्ची में रोगी से संबंधित कोई भी पहचान के चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है और प्रतिरक्षा साक्षी-6 की इस अपीलार्थी से पहले से कोई भी

जान-पहचान नहीं थी । अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् के समर्थन में अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार के तुच्छ और असंतोष साक्ष्य के आधार पर निचले दोनों न्यायालयों ने अभियुक्त के अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् ठीक ही त्यक्त किया है ।"

41. **जयन्तीभाई भेंकरभाई** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् पर ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती जब अभियोजन पक्ष द्वारा समाधानप्रद रूप से सबूत के भार का निर्वहन कर दिया गया हो । इस निर्णय के पैरा 19 में माननीय न्यायाधीश ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

"19. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 से अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को दृष्टांत (क) में दर्शाया गया है । सरकार ऑन एविडेंस नामक पुस्तक (15वां संस्करण, पृष्ठ 258) में यह उल्लेख है कि **एलिबी** शब्द एक लैटिन मूल का शब्द है और इसका अर्थ **कहीं और** है । अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाना एक परिपाटी है कि जब घटना घटित हुई थी वह घटनास्थल से इतना दूर था कि यह अत्यंत असंभावी है कि उसने अपराध में भाग लिया है । **एलिबी** भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी विधि में परिकल्पित अपवाद (विशेष या साधारण) नहीं है । यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में अनुमोदित केवल साक्ष्य का नियम है कि ऐसे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के साथ असंगत हैं, सुसंगत होते हैं । अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किए जाने के सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके और यह भार मात्र इस कारण से कम नहीं हो सकता कि अभियुक्त ने अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् का अवलंब लिया है । अभियुक्त द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् पर केवल ऐसी स्थिति में विचार किया जाना चाहिए जब अभियोजन पक्ष द्वारा समाधानप्रद रूप से सबूत के भार का निर्वहन कर दिया गया हो । यदि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किए जाने के तथ्य को साबित करने के लिए सबूत के भार का निर्वहन करने में

---

[1] (2002) 8 एस. सी. सी. 165 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3569.

असफल रहता है, तब इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं होगा कि क्या अभियुक्त ने अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित कर दिया है या नहीं । किंतु जब एक बार अभियोजन पक्ष सबूत का भार निर्वहन करने में सफल हो जाता है तब अभियुक्त को अत्यंत निश्चित रूप से अपने अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करना होगा ताकि उसे घटना के समय घटनास्थल पर उसके उपस्थित होने की संभावना से अपवर्जित किया जा सके । न्यायालय की यह बाध्यता है कि वह अभियुक्त का दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और अन्यत्र उपस्थित होने के संबंध में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करे । यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की गुणवत्ता और स्तर ऐसा है कि न्यायालय को घटना घटित होने के समय घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी को लेकर युक्तियुक्त संदेह होता हो, तब न्यायालय अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए करेगा कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में ऐसी कोई गुंजाइश है जिसके आधार पर अभियुक्त के अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को सही माना जा सके । निःसंदेह, इस संबंध में अधिक भार अभियुक्त पर ही होता है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे । तथापि, अभियोजन पक्षकथन और प्रतिरक्षा पक्षकथन का मूल्यांकन करते समय यदि संतुलन अभियुक्त के पक्ष में हो तब अभियोजन पक्ष असफल हो जाएगा और अभियुक्त न्यायालय के विवेकानुसार युक्तियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार होगा ।"

42. **राजेन्द्र सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है । अभियुक्त इस अभिवाक् को विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित कर सकता है । इस निर्णय के पैरा 8 और 11 में माननीय न्यायाधीश ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

---

[1] (2007) 7 एस. सी. सी. 378 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2786.

"8. इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी कपिल देव सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन अपनी याचिका में यह अभिवाक् किया गया है कि वह अन्यत्र उपस्थित था । साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 103 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा । इस धारा का दूसरा दृष्टांत निम्न प्रकार है –

> (ख) ख न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था । उसे यह बात साबित करनी होगी ।

इस उपबंध के अधीन यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई याचिका में अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करने का भार पूर्ण रूप से अभियुक्त पर ही है । इस विधिक प्रतिपादना में मुश्किल से ही कोई संदेह है । गुरुचरन सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 460), चन्द्रिका प्रसाद सिंह **बनाम** बिहार राज्य (ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 109) और हरियाणा राज्य **बनाम** शेर सिंह (ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1021) वाले मामले देखें । विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करके न कि उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र फाइल करके इस कार्य को किया जा सकता है । ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष को उन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने और यह उपदर्शित करने का अवसर दिया जाएगा कि उनके परिसाक्ष्य ठीक नहीं हैं । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि वास्तव में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी शपथ-पत्र फाइल नहीं किए गए किन्तु जो कुछ फाइल किया गया था उनमें दो या तीन शपथ-पत्रों की प्रतियां थीं जो पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद के समक्ष कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गईं थीं । इस प्रकार, कपिल देव सिंह के अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् के समर्थन में तनिक भी ऐसा कोई विधिक साक्ष्य नहीं है जिसका उच्च न्यायालय अवलंब ले सके और विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश को अभिखंडित करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर सके ।

11. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात्, हमारा यह मत है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथन साक्ष्य की दृष्टि से अग्राह्य होने के कारण विचार में नहीं लिए जा सकते । उच्च न्यायालय ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आदेश को अपास्त करने के लिए पूर्णतया अग्राह्य साक्ष्य का अवलंब लिया है । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई याचिका में पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् पर कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है जिसका निर्वहन वह विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करके न कि शपथ-पत्र फाइल करके या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथनों को प्रस्तुत करके कर सकता है । उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अवैध है और चलने योग्य नहीं है । सह-अभियुक्त दया सिंह की दोषमुक्ति के संबंध में दिए गए अन्य तर्क में भी कोई गुणता नहीं है । इस प्रश्न पर कि यदि सह-अभियुक्त का विचारण पूरा हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन कार्यवाही प्रभावी होगी या नहीं, शशीकांत सिंह **बनाम** तर्केश्वर सिंह (2002) 5 एस. सी. सी. 738 वाले मामले में विचार किया गया है और रिपोर्ट के पैरा 9 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है –

> 9. यहां उपबंध का आशय यह है कि किसी भी अपराध की जांच या उसके विचारण के दौरान न्यायालय को साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, अपराध कारित कर सकता है, तब न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही आरंभ कर सकता है जिसके संबंध में न्यायालय को यह प्रतीत होता हो कि वह अपराध उस व्यक्ति ने कारित किया है । इस प्रक्रम पर, न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अभियुक्त के साथ किया जाए जिसका पहले से उसी न्यायालय में विचारण किया जा रहा है । ऐसे व्यक्ति को यह सुरक्षोपाय उपलब्ध है कि उस व्यक्ति के संबंध में विचारण की प्रक्रिया नए सिरे से ही आरंभ की जाएगी और साक्षियों की

पुनः परीक्षा की जाएगी । संक्षेप में, ऐसे अभियुक्त का विचारण नए सिरे से ही किया जाएगा । नए सिरे से विचारण किए जाने का उपबंध आज्ञापक है । इससे न्यायालय के समक्ष इस प्रकार पेश किए गए व्यक्ति के अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है । केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा कि उस व्यक्ति को जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(4) के अधीन न्यायालय द्वारा अभियुक्त के रूप में विचारण के लिए बुलाया गया है, साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिलाया जाए अपितु नए सिरे से उनकी मुख्य परीक्षा भी उसकी मौजूदगी में की जानी चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में उल्लिखित **अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है** शब्दों से निदेशात्मक भाव प्रतीत होता है । इन परिस्थितियों में **किया जा सकता है** को **किया जाना चाहिए** नहीं माना जा सकता । उपबंध का निर्वचन इस अर्थ के साथ नहीं किया जा सकता कि चूंकि न्यायालय के समक्ष पेश हुए व्यक्ति का विचारण इस नतीजे के साथ पूरा हो गया है कि अब उस अभियुक्त के साथ नए बनाए गए अभियुक्त का विचारण नहीं किया जा सकता जिसका विचारण पहले से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) के अधीन पारित किए गए आदेश के दौरान किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में वह आदेश निष्प्रभावी और अप्रवर्तनीय हो जाएगा और उससे न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर बातिल हो जाएगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति को नए अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया है उसने अपराध कारित किया है और इसी कारण उसे न्यायालय में पेश किया गया है ।

अतः, मात्र इस तथ्य से कि अभियुक्त दया सिंह का विचारण पूरा हो गया है, तारीख 26 मई, 2005 को विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया आदेश बातिल या निष्फल नहीं हो सकता ।"

43. **बबलू पासी** बनाम **झारखण्ड राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि रजिस्टर सुसंगत और ग्राह्य साक्ष्य है लेकिन ऐसे रजिस्टर का महत्व उस दस्तावेज के न होने पर अधिक नहीं होगा जिस पर आयु अभिलिखित की गई हो ।

---

[1] (2008) 13 एस. सी. सी. 133 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 314.

44. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **नरेश और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह दोहराया है कि आहत साक्षी के परिसाक्ष्य को सम्यक् रूप से महत्व दिया जाना चाहिए । उसकी मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता । यह संभव नहीं है कि ऐसा साक्षी वास्तविक हमलावर को बचाने के लिए अन्य किसी व्यक्ति को मिथ्या आलिप्त करेगा । निर्णय के पैरा 26 और 27 में न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> "26. उच्च न्यायालय ने बालक राम (अभि. सा. 5) के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया है जिसे बंदूक की गोली से क्षति पहुंची थी । उसके साक्ष्य को तर्कसम्मत कारण दिए बिना उच्च न्यायालय द्वारा त्यक्त नहीं किया जा सकता था । मात्र छोटे-मोटे विरोधाभासों से उसके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता ।
>
> 27. आहत साक्षी के साक्ष्य को ठोस साक्ष्य के रूप में सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए, इस प्रकार ऐसे साक्षी की मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता । आमतौर पर उसके कथन को अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है और यह संभव नहीं है कि ऐसा साक्षी वास्तविक अपराधी को बचाते हुए अन्य किसी व्यक्ति को अपराध में मिथ्या फंसाएगा । आहत साक्षी का परिसाक्ष्य स्वयं में एक सुसंगत और महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है क्योंकि वह घटना के समय और घटना के स्थान पर क्षतिग्रस्त हुआ है और इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने से उसके परिसाक्ष्य का समर्थन होता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था । इस प्रकार, आहत साक्षी के परिसाक्ष्य को विधि में एक विशेष स्थान दिया गया है । ऐसा साक्षी वास्तविक हमलावर को बचाते हुए अन्य किसी व्यक्ति को अपराध में मिथ्या आलिप्त करना नहीं चाहेगा । इस प्रकार आहत साक्षी के साक्ष्य का अवलंब तब तक लिया जाना चाहिए जब तक कि उसके साक्ष्य को घोर विरोधाभासों और फर्कों के आधार पर त्यक्त किए जाने का कारण न हो । जरनैल सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (2009) 9 एस. सी. सी. 719 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3699 ; बलराजे **उर्फ** त्रिम्बक **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (2010) 6 एस. सी. सी. 673 और अब्दुल सैयद **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एस. सी. सी. 259 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5701 वाले मामले देखिए ।"

---

[1] (2011) 4 एस. सी. सी. 324 = 2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1877.

45. **भजन सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आहत साक्षी का साक्ष्य अत्यंत विश्वसनीय होता है । निर्णय के पैरा 36 में माननीय न्यायाधीश ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

> "36. आहत साक्षी के साक्ष्य को ठोस साक्ष्य के रूप में सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए, इस प्रकार ऐसे साक्षी की मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता । आमतौर पर उसके कथन को अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है और यह संभव नहीं है कि ऐसा साक्षी वास्तविक अपराधी को बचाते हुए अन्य किसी व्यक्ति को अपराध में मिथ्या फंसाएगा । आहत साक्षी का परिसाक्ष्य स्वयं में एक सुसंगत और महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है क्योंकि वह घटना के समय और घटना के स्थान पर क्षतिग्रस्त हुआ है और इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने से उसके परिसाक्ष्य का समर्थन होता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था । इस प्रकार, आहत साक्षी के परिसाक्ष्य को विधि में एक विशेष स्थान दिया गया है । ऐसे साक्षी के बारे में यह गारंटी दी जा सकती है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था और यह संभव नहीं है कि वह वास्तविक अपराधी को बचाते हुए अन्य किसी व्यक्ति को अपराध में मिथ्या आलिप्त करे । आहत साक्षी के साक्ष्य को त्यक्त करने के लिए तर्कसम्मत साक्ष्य का होना आवश्यक है । इस प्रकार, आहत साक्षी के साक्ष्य का अवलंब तब तक लिया जाना चाहिए जब तक कि उसके साक्ष्य को घोर विरोधाभासों और फर्कों के आधार पर त्यक्त किए जाने का कारण न हो । (अब्दुल सईद **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2010)10 एस. सी. सी. 259 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5701, कैलाश और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एस. सी. सी. 793 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 598, दुर्बल **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 2 एस. सी. सी. 676 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 795 और उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** नरेश और अन्य (2011) 4 एस. सी. सी. 324 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. (क्रि.) 761) वाले मामले देखिए ।"

46. **बामी बेवा** बनाम **कृष्ण चन्द्र स्वायन** उर्फ **गोछायत और अन्य**[2] वाले मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने यह

---

[1] (2011) 7 एस. सी. सी. 421 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2552.

[2] ए. आई. आर. 2004 उड़ीसा 14.

अभिनिर्धारित किया है कि लोक अभिलेख में की गई प्रविष्टि पर विचार संगतता के अध्यधीन और पृथक् रूप से नहीं अपितु सम्पूर्ण साक्ष्य का निर्धारण करते हुए विचार किया जाना चाहिए । इस निर्णय के पैरा 13 में यह अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "13. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि प्रदर्श ए और बी से ऐसा प्रतीत होता है कि जयराम को वादी के पिता के रूप में वर्णित किया गया है और राम चन्द्र स्वायन ने वादी का दाखिला स्कूल में कराया था, अतः प्रविष्टि (प्रदर्श 1) से दर्शित होता है कि वादी दत्तक पिता का पुत्र है, किन्तु यह इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि वह जय राम का दत्तक पुत्र है । इस संबंध में उसने भीम मंडल **बनाम** मागा राम कोरायन (ए. आई. आर. 1961 पटना 21) और रघुनाथ बहेरा **बनाम** बालाराम बहेरा (ए. आई. आर. 1996 उड़ीसा 38) वाले मामलों का भी अवलंब लिया है । उपरोक्त दोनों विनिश्चयों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के उपबंध को दृष्टिगत करते हुए दाखिला रजिस्टर की ग्राह्यता को प्रतिपादित किया है । प्रदर्श ए और बी या निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की ग्राह्यता को लेकर वादी द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है । यदि कोई दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसरण में ग्राह्य है, तब वह मात्र इस कारण से स्वतः विश्वसनीय नहीं होगा कि इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए गए दस्तावेज पर सुसंगतता और साक्ष्य का पृथक् रूप से नहीं अपितु सम्पूर्ण रूप से निर्धारण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में विचारण न्यायालय ने सभी सुसंगत साक्ष्य पर विचार करने का कष्ट किया है जिसमें प्रदर्श 1 अर्थात् वादी के स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और प्रदर्श ए अर्थात् सर्पेश्वर एम. ई. स्कूल के दाखिला रजिस्टर में की गई सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रति और प्रदर्श बी अर्थात् उस स्कूल से जारी स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र की प्रति का अपवर्जन किया गया है । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रदर्श 1 से यह उपदर्शित होता है कि वादी को दत्तक पिता द्वारा प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाया गया था और इसीलिए दत्तक पिता का नाम स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में लिखा गया था । प्रदर्श 1 में की गई वह प्रविष्टि स्वर्गीय जयराम गोछायत के दत्तक

पुत्र की हैसियत के सबूत के रूप में वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य में निरन्तर बनी रही है । दूसरी ओर, प्रदर्श ए से यह प्रतीत होता है कि राम चन्द्र स्वायन अर्थात् वादी नैसर्गिक पिता वादी को सर्पेश्वर एम. ई. स्कूल, बलरामपुर दाखिला कराने ले गया था । उस दाखिले रजिस्टर में वादी का नाम कृष्ण चन्द्र गोछायत लिखा गया था और कालम सं. 4 में स्कूल में दाखिला कराने वाले व्यक्ति का नाम राम चन्द्र स्वायन अर्थात् वादी का नैसर्गिक पिता, लिखा गया था । अतः, प्रदर्श 2 में उक्त राम चन्द्र स्वायन को कृष्ण चन्द्र गोछायत के पिता के रूप में वर्णित करना गलत है । अतः, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रदर्श ए और बी से वादी का राम चन्द्र स्वायन का पुत्र होना साबित नहीं होता है और इससे उसके द्वारा दत्तक ग्रहण का अभिवाक् खारिज नहीं होता है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सूक्ष्मता से संवीक्षा करने पर, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इस संबंध में निचले न्यायालय द्वारा कोई भी अनुचित कदम नहीं उठाया गया है ।"

47. तद्नुसार, दोनों अपीलें मंजूर की जाती हैं । अपर सेशन न्यायाधीश (द्वितीय), त्वरित न्यायालय, हरिद्वार द्वारा सेशन विचारण मामला सं. 286/1999 में तारीख 16 मार्च, 2011 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । अभियुक्त नरेश, सुरेश, आशीष **उर्फ** शेषराज और राजेन्द्र को दंड संहिता की धारा 307/34, 323/34 और 504 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है ।

48. तारीख 17 जुलाई, 2017 को अभियुक्त दंड की मात्रा की सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए । तद्नुसार, न्यायालय के रजिस्ट्री विभाग द्वारा पेशी-अधिपत्र तैयार किया जाए ताकि नियत की गई अगली तारीख को दंड की मात्रा की सुनवाई के लिए अभियुक्तों की मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके ।

49. अगली सुनवाई के लिए तारीख 17 जुलाई, 2017 नियत की जाती है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

अस.

रंजीत सिंह

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

तारीख 10 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 178 और 179 – राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता – वाद हेतुक – चालू रहने वाले अपराध की जांच या विचारण का स्थान – चूंकि दंड संहिता की धारा 498क और 364क के अधीन अभिकथित अपराध का वाद हेतुक अमृतसर में उद्भूत हुआ जहां पत्नी अभियुक्त-पति के साथ गई थी और गायब हो गई बल्कि टिहरी, उत्तराखण्ड में भी उद्भूत हुआ जहां पत्नी के साथ पति और पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता का बर्ताव किया गया इसलिए टिहरी के न्यायालय को मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता किशन सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट, न्यू टिहरी के समक्ष एक आवेदन यह अभिकथन करते हुए प्रस्तुत किया कि वह भगत सिंह कालेज, दिल्ली का कर्मचारी है, उसका परिवार ग्राम में रहता है । तीन वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का विवाह रंजीत सिंह **उर्फ** रणवीर सिंह के साथ हुआ था । तथापि, पति, सास, श्वसुर और देवर उसकी पुत्री के साथ पर्याप्त दहेज न लाने के कारण यातनापूर्ण व्यवहार करते थे । वर्ष 2008 में उसकी पुत्री ने उसे इस बारे में बताया । इसके पश्चात्, शिकायतकर्ता किशन सिंह प्रधान अब्बल सिंह राणा और दलीप सिंह (अभियुक्त-2) के ग्राम के प्रधान के साथ अभियुक्त रणवीर सिंह **उर्फ** रंजीत सिंह के घर गया । रंजीत सिंह ने वचन दिया कि किशन सिंह की पुत्री को तंग नहीं करेगा । उसे तारीख 5 सितंबर, 2009 को यह संदेश प्राप्त हुआ कि रणवीर सिंह **उर्फ** रंजीत सिंह उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर रहा है । वह अमृतसर गया और उसे पता चला कि उसकी पुत्री लापता है । उसने रणवीर सिंह से पूछताछ की । इसके पश्चात् उसने तारीख 9 सितंबर, 2009 को पुलिस थाना विजय नगर में इस मामले की शिकायत की जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इस मामले में अन्वेषण किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध सभी औपचारिकताओं

को पूरा करने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर दस साक्षियों की परीक्षा अपने पक्षकथन के समर्थन में कराई । अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए । उन्होंने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । अभियुक्त-अपीलार्थी रंजीत सिंह को ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इसीलिए, यह अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 18/19 अप्रैल, 2006 को अभियुक्त-अपीलार्थी और रीना का विवाह हुआ था । अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्य रीना को कम दहेज लाने के कारण तंग किया करते थे । अभियुक्त रीना को अमृतसर ले गया । रीना अमृतसर से लापता हो गई । (पैरा 14)

सूरत सिंह (अभि. सा. 6) और नरेश सिंह (अभि. सा. 7) के साक्ष्य की संपुष्टि किशन सिंह (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से होती है । इन साक्षियों ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त रीना को शारीरिक और मानसिक यातना दिया करता था । अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की भी मांग की है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप संदेह के परे साबित किए हैं । (पैरा 19)

अब न्यायालय दंड संहिता की धारा 364क पर विचार करेगा । अभियोजन पक्ष ने कोई भी साक्ष्य यह साबित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया है कि अभियुक्त ने मुक्ति-धन पाने के लिए रीना का व्यपहरण किया था । अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि अभियुक्त ने रीना का व्यपहरण या अपहरण किया है और अभियुक्त ने उसे, उसका व्यपहरण या अपहरण करने के पश्चात् परिरुद्ध किया था और उसे जान से मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी दी थी । रीना अभियुक्त की विधिवत रूप से विवाहित पत्नी है । वह अपने पति के साथ अमृतसर गई । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुक्ति-धन पाने के लिए अभियुक्त द्वारा उसका व्यपहरण या अपहरण किया गया । (पैरा 20)

अभियुक्त ने मृतका रीना से दहेज की मांग विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आरंभ की थी । कम दहेज लाने के कारण अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था । मृतका का पिता क्षेत्र के प्रधान

के साथ अभियुक्त-पति के पैतृक ग्राम ढूंगली गया था । इस प्रकार, वाद हेतुक विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी बनता है । (पैरा 23)

अनुप्रयोज्य निर्णय

पैरा

[2011] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1674 :
सुनीता कुमारी कश्यप बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** । 25

अवलंबित निर्णय

[2011] 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 4864 (राज.) :
गुलशन कपूर और अन्य बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ; 26

[2004] (2004) 8 एस. सी. सी. 95 =
ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4865 :
मल्लेशी बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 21

[1999] 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 4657 (इला.) :
श्रीमती सुमन उपाध्याय और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 27

[1997] ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 2465 :
श्रीमती सुजाता मुखर्जी बनाम **प्रशांत कुमार** । 24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 198.

विचारण मामला सं. 5/2011 में विद्वान् जिला और सेशन न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल द्वारा तारीख 25 जून, 2012 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. सम्मल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री डी. के. शर्मा (अपर महाधिवक्ता) और सुश्री ममता जोशी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – यह अपील विचारण मामला सं. 5/2011 में विद्वान् जिला और सेशन न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल द्वारा तारीख 25 जून, 2012

को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 364क और 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अधीन आरोपित करते हुए विचारण किया गया । अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने तथा 20 हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 498क के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया और दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने और दो हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त छह मास कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । अभियुक्त को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और छह मास का कठोर कारावास भोगने तथा पांच सौ रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने के अतिरिक्त एक मास का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । उपरोक्त सभी धाराओं के अधीन अधिरोपित दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता किशन सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट, न्यू टिहरी के समक्ष एक आवेदन यह अभिकथन करते हुए प्रस्तुत किया कि वह भगत सिंह कालेज, दिल्ली का कर्मचारी है, उसका परिवार ग्राम में रहता है । तीन वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का विवाह रंजीत सिंह **उर्फ** रणवीर सिंह के साथ हुआ था । तथापि, पति, सास, श्वसुर और देवर उसकी पुत्री के साथ पर्याप्त दहेज न लाने के कारण यातनापूर्ण व्यवहार करते थे । वर्ष 2008 में उसकी पुत्री ने उसे इस बारे में बताया । इसके पश्चात्, शिकायतकर्ता किशन सिंह प्रधान अब्बल सिंह राणा और दलीप सिंह (अभियुक्त-2) के ग्राम के प्रधान के साथ अभियुक्त रणवीर सिंह **उर्फ** रंजीत सिंह के घर गया । रंजीत सिंह ने वचन दिया कि किशन सिंह की पुत्री को तंग नहीं करेगा । उसे तारीख 5 सितंबर, 2009 को यह संदेश प्राप्त हुआ कि रणवीर सिंह **उर्फ** रंजीत सिंह उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर रहा है । वह अमृतसर गया और उसे पता चला कि उसकी पुत्री लापता है । उसने रणवीर सिंह से पूछताछ की । इसके पश्चात् उसने तारीख 9 सितंबर, 2009 को पुलिस थाना विजय नगर में इस मामले की शिकायत की जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इस मामले में अन्वेषण किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध सभी औपचारिकताओं

को पूरा करने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर दस साक्षियों की परीक्षा अपने पक्षकथन के समर्थन में कराई । अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए । उन्होंने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । अभियुक्त-अपीलार्थी रंजीत सिंह को ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इसीलिए, यह अपील फाइल की गई है ।

3. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है । राज्य की ओर विद्वान् काउंसेल ने तारीख 25 जून, 2012 को दिए गए निर्णय और आदेश का समर्थन किया है ।

4. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और निर्णय और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

5. अब्बल सिंह (अभि. सा. 1) ने यह साक्ष्य दिया है कि वह अपने मूल निवास स्थान अर्थात् उस ग्राम का प्रधान है जिसकी निवासी रीना है । जब रीना अपने ससुराल से आया करती थी वह उससे मिलने आती थी । वह अपने मायके डेढ़ वर्ष पूर्व आई थी उसने अब्बल सिंह को बताया कि उसकी सास, श्वसुर और पति उसे तंग करते हैं और उससे दहेज की मांग करते हैं । वह रीना के पिता के साथ रंजीत सिंह के घर गया । वहां स्थानीय प्रधान भी पहुंचा । रीना के पति को बुलाया गया । उन्होंने रीना को तंग न करने का वचन दिया । 2-3 दिन बाद, रीना अमृतसर चली गई । इसके पश्चात् अब्बल सिंह को पता चला कि रीना देवी लापता है ।

6. किशन सिंह (अभि. सा. 2) रीना का पिता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि रीना और रंजीत सिंह का विवाह अप्रैल, 2006 में हुआ था । उसे यह पता चला कि वर्ष 2008 में उनके संबंध अच्छे नहीं थे । अभियुक्त फ्रिज और मोटर साइकिल की मांग किया करता था । वह अब्बल सिंह (अभि. सा. 1) के साथ रीना की ससुराल गया था । अभियुक्त के ग्राम का प्रधान ज्ञान सिंह भी वहां आ गया । उसने रंजीत सिंह को सुधरने को कहा । रीना को अमृतसर ले जाया गया । वह वहां 5-6 मास तक रही । वह रीना के साथ झगड़ा किया करता था । रीना का गर्भपात हो गया । रीना ने उसे बताया कि अभियुक्त उसकी पिटाई करता है । वह देवी नीता को जानता था जो रीना की पड़ोसी थी । उसकी पुत्री ने उसे अमृतसर बुलाया । तारीख 4 सितंबर, 2009 को रीना ने अपने पिता किशन सिंह को फोन किया और उससे कहा कि उसका पति उसकी हत्या कर

देगा । वह अमृतसर गया किन्तु उसने रीना को लापता पाया । किशन सिंह ने उसके लापता होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई । रंजीत सिंह ने रीना को तलाश करने में कभी सहायता नहीं की । इसके पश्चात्, किशन सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया ।

7. भरत सिंह पुण्डीर (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 24 सितंबर, 2009 को वह नायब तहसीलदार, देवप्रयाग के पद पर था । उसने अभियुक्त के विरुद्ध किशन सिंह द्वारा की गई शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की ।

8. सरजीत कौर (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह रंजीत सिंह और उसकी पत्नी को जानती है । वे उसके घर के निकट रहते थे । रंजीत सिंह रीना की पिटाई किया करता था । गढ़वाली पार्वती नाम की एक महिला उसकी किराएदार थी । रीना यह बताया करती थी कि उसका पति उसे तंग करता है और उसके साथ मारपीट भी करता है । रंजीत सिंह बेरोजगार था ।

9. पार्वती देवी (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह रीना और रंजीत सिंह को जानती है । वे उसके मकान से 20 मिनट की दूरी पर रहते थे । रीना उससे मिलने आया करती थी । रणवीर सिंह उसकी पिटाई किया करता था । रीना के पिता ने उसकी मौजूदगी में रीना को धन दिया था । अभियुक्त ने रीना की बांह में अस्थिभंग किया था ।

10. सूरत सिंह राणा (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि किशन सिंह उसका चाचा है । रीना किशन सिंह की पुत्री है । उसका विवाह 3-4 वर्ष पूर्व रंजीत के साथ हुआ था । रीना की सास और श्वसुर कम दहेज लाने के कारण उसे तंग किया करते थे । वह किशन सिंह और अब्बल सिंह (अभि. सा. 1) के साथ अभियुक्त के ग्राम गया था । वहां पर ग्राम के प्रधान को भी बुलाया गया था । अभियुक्त के परिवार के सदस्यों ने रीना को तंग न करने का वचन दिया था ।

11. नरेश सिंह (अभि. सा. 7) मृतक रीना का भाई है । उसके अनुसार रीना का विवाह तारीख 18/19 अप्रैल, 2006 को हुआ था । उसका पति, सास, श्वसुर और देवर रीना को कम दहेज लाने के कारण तंग किया करते थे । नरेश के पिता, अब्बल सिंह (अभि. सा. 1) और उसकी बहिन रीना के ससुराल गए । वहां पर समझौता हो गया । अभियुक्त उसकी बहिन रीना को अमृतसर ले गया । सितंबर, 2009 में

उसकी बहिन ने नरेश सिंह को बुलाया और बताया कि अभियुक्त नरेश सिंह से बात करना चाहता है । अभियुक्त एक दुकान खोलना चाहता था और उसने एक लाख रुपए की मांग की ।

12. उप निरीक्षक गिरीश चन्द्र (अभि. सा. 9) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने उप निरीक्षक शिवनाथ, पार्वती देवी, श्रीमती सरजीत कौर और नीता देवी के कथन अभिलिखित किए थे ।

13. उप निरीक्षक कमलसिंह रावत (अभि. सा. 10) ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

14. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 18/19 अप्रैल, 2006 को अभियुक्त-अपीलार्थी और रीना का विवाह हुआ था । अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्य रीना को कम दहेज लाने के कारण तंग किया करते थे । अभियुक्त रीना को अमृतसर ले गया । रीना अमृतसर से लापता हो गई ।

15. अब्बल सिंह (अभि. सा. 1) ने विशिष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह रीना के पिता के साथ रीना की ससुराल गया था । वहां पर ग्राम के प्रधान को भी बुलाया गया था । अभियुक्त-पति के परिवार के सदस्यों ने रीना को तंग न करने का वचन दिया था ।

16. किशन सिंह (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री कम दहेज लाने के कारण तंग किए जाने के संबंध में शिकायत किया करती थी । वह अब्बल सिंह (अभि. सा. 1) के साथ अपनी पुत्री की ससुराल गया । वहां पर ग्राम के प्रधान को भी बुलाया गया था । अभियुक्त के परिवार के सदस्यों ने रीना को तंग न करने का वचन दिया । किशन सिंह को यह पता चला कि अभियुक्त उसकी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसकी पिटाई भी करता है । किशन सिंह अमृतसर गया । उसने अपनी पुत्री को वहां पर लापता पाया । किशन सिंह को उसकी पुत्री के पते-ठिकाने के संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । इन परिस्थितियों में, रीना के लापता होने के संबंध में रिपोर्ट की गई और उसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

17. सरजीत कौर (अभि. सा. 4) ने यह भी साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त रीना की पिटाई किया करता था ।

18. पार्वती देवी (अभि. सा. 5) भी रीना के ससुराल के निकट रहती

थी । वह अभियुक्त के मकान से बीस मिनट की दूरी पर रहती थी । इस साक्षी के अनुसार भी अभियुक्त रीना की पिटाई किया करता था । वह धन की मांग भी किया करता था ।

19. सूरत सिंह (अभि. सा. 6) और नरेश सिंह (अभि. सा. 7) के साक्ष्य की संपुष्टि किशन सिंह (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से होती है । इन साक्षियों ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त रीना को शारीरिक और मानसिक यातना दिया करता था । अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की भी मांग की है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप संदेह के परे साबित किए हैं ।

20. अब न्यायालय दंड संहिता की धारा 364क पर विचार करेगा । अभियोजन पक्ष ने कोई भी साक्ष्य यह साबित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया है कि अभियुक्त ने मुक्ति-धन पाने के लिए रीना का व्यपहरण किया था । अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि अभियुक्त ने रीना का व्यपहरण या अपहरण किया है और अभियुक्त ने उसे, उसका व्यपहरण या अपहरण करने के पश्चात् परिरुद्ध किया था और उसे जान से मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी दी थी । रीना अभियुक्त की विधिवत रूप से विवाहित पत्नी है । वह अपने पति के साथ अमृतसर गई । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुक्ति-धन पाने के लिए अभियुक्त द्वारा उसका व्यपहरण या अपहरण किया गया ।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मल्लेशी** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 364क के उपबंधों के लागू किए जाने के पूर्व निम्न संघटक साबित किए जाने चाहिए । माननीय न्यायाधीशों ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

> दंड संहिता की धारा 364क के उपबंध लागू किए जाने के लिए यह साबित किया जाना अपेक्षित है : (1) अभियुक्त ने व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है; (2) इस प्रकार व्यपहरण या अपहरण किए जाने के पश्चात् उस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है; और (3) यह व्यपहरण या अपहरण मुक्ति-धन के लिए किया गया है । दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नेत्रपाल **बनाम** राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र,

[1] (2004) 8 एस. सी. सी. 95 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4865.

दिल्ली [(2001) क्रिमिनल ला जर्नल 1669 (दिल्ली)] वाले मामले में किए गए विनिश्चय का दृढ़तापूर्वक अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई है कि चूंकि अभि. सा. 2 के पिता से मुक्ति-धन की मांग नहीं की गई थी, इसलिए मांग करने का आशय साबित नहीं होता है ।

22. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि वाद हेतुक अमृतसर में बनता है । इस प्रकार विचारण न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करने की कोई अधिकारिता नहीं है ।

23. अभियुक्त ने मृतका रीना से दहेज की मांग विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आरंभ की थी । कम दहेज लाने के कारण अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था । मृतका का पिता क्षेत्र के प्रधान के साथ अभियुक्त-पति के पैतृक ग्राम ढूंगली गया था । इस प्रकार, वाद हेतुक विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी बनता है ।

24. **श्रीमती सुजाता मुखर्जी** बनाम **प्रशांत कुमार**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है कि शिकायत से सतत अपराध (सतत अपराध) दर्शित होता है जिसके अनुसार कुछ अवसरों पर सभी अभियुक्तों ने एक स्थानीय क्षेत्र में भाग लिया है और अन्य अवसरों पर केवल अभियुक्त ने ही एक अन्य क्षेत्र में अपराध में भाग लिया है अर्थात् जहां शिकायत दर्ज कराई गई थी । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 का खंड (ग) लागू होगा । माननीय न्यायाधीशों ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

> 7. प्राइवेट प्रत्यर्थियों को समन तामील कराने के पश्चात् भी अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की ओर से न्यायालय में कोई भी प्रस्तुत नहीं हुआ है । हमने अपीलार्थी की ओर से फाइल की गई शिकायत पर विचार किया है और हमें यह प्रतीत होता है कि शिकायत से दुर्व्यवहार और अपमानित करने के संबंध में सतत अपराध अभियुक्त-प्रत्यर्थियों द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कारित किया गया है और ऐसे चालू रहने वाले अपराध में कुछ अवसरों पर सभी प्रत्यर्थियों ने भाग लिया था और अन्य अवसर पर प्रत्यर्थियों में से किसी एक ने अपराध में भाग

[1] ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 2465.

लिया था । अतः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 का खंड (ग) स्पष्ट रूप से लागू होता है । अतः, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को इस मामले में कार्यवाही करने का निदेश देते हैं । चूंकि यह मामला लम्बे समय से लंबित है, इसलिए मामले की सुनवाई को समीचीन बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । तद्नुसार अपीलें मंजूर की जाती हैं ।

25. **सुनीता कुमारी कश्यप** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि पति द्वारा स्पष्ट रूप से यह प्रकथन किया गया है कि उसके पति और पति के नातेदारों ने उसके साथ रांची में दुर्व्यवहार और क्रूरता कारित की है, इसलिए उसे उसके पति द्वारा उसके मायके अर्थात् गया लाया गया और साथ ही दहेज की मांग पूरी करने के लिए गंभीर परिणामों की धमकी भी दी गई है । इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 और 179 को दृष्टिगत करते हुए, यह अपराध एक सतत अपराध है जो स्थानीय क्षेत्र में एक से अधिक स्थानों पर घटित हुआ है, जिसमें कुछ अवसरों पर सभी अभियुक्तों ने और कुछ अवसरों पर केवल एक अभियुक्त अर्थात् पति ने अपराध में भाग लिया है । माननीय न्यायाधीश ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> 9. प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. बी. सान्याल ने निष्पक्ष रूप से यह दलील दी है कि पति के संबंध में गया के न्यायालय की अधिकारिता को लेकर कोई भी विवाद नहीं है, तथापि, पति के अन्य नातेदारों के संबंध में, जिन्होंने गया में कोई कृत्य नहीं किया, न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है और यदि उनके विरुद्ध मामला बनता था तब पत्नी को चाहिए था कि वह केवल रांची में ही उनके विरुद्ध कार्यवाही करती । इस दलील के समर्थन में, श्री सान्याल ने वाई. अब्राहम अजीत **बनाम** पुलिस निरीक्षक [ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4286] वाले मामले के पैरा 12 का अवलंब लिया है जो निम्न प्रकार है –

---

[1] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1674.

"12. महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संबद्ध न्यायालय की अधिकारिता के अधीन कोई वाद हेतुक बनता है या नहीं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 के निबंधनों में वाद हेतक उस स्थान पर बनता है जहां अपराध कारित किया गया है । अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित किए जाने के लिए वाद हेतुक महत्वपूर्ण है ।

यह सत्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 स्थानीय अधिकारिता को निर्दिष्ट करती है जहां अपराध कारित किया गया है । यद्यपि वाद हेतुक अभिव्यक्ति दंड संहिता की धारा 178 और 179 को दृष्टिगत करते हुए दांडिक मामलों में कोई नई बात नहीं है और इस मामले में के अपीलार्थी की शिकायत में किए गए विशिष्ट प्रकथन को दृष्टिगत करते हुए, हमारा यह मत है कि उक्त विनिश्चय वर्तमान मामले को लागू नहीं होगा ।"

10. श्री सान्याल ने भूरा राम **बनाम** राजस्थान राज्य [ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 2666] वाले मामले में किए गए इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया है जिसमें वाई. अब्राहम अजीत वाले मामले का अनुसरण करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वाद हेतुक उस न्यायालय की अधिकारिता में उद्भूत होता है जहां अपराध कारित किया गया था और उस न्यायालय द्वारा उसका विचारण नहीं किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के अधीन अपराध का कोई भी भाग कारित नहीं किया गया था । इन्हीं कारणों से जैसा कि पूर्वगामी पैराओं में उल्लिखित है, इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि इस प्रतिपादना में कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में कारित किया गया अपराध एक सतत अपराध है और इस अपराध का वह भाग जो गया में घटित हुआ था वह शिकायतकर्ता को तंग किए जाने और उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का सतत अपराध का मात्र एक परिणाम है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 का खण्ड (ग) लागू होगा । उपरोक्त कारण को दृष्टिगत करते हुए, दोनों विनिश्चय इस मामले के तथ्यों को लागू नहीं होंगे और हम श्री सान्याल द्वारा दी गई दलील को स्वीकार नहीं कर सकते ।

11. हमने पहले ही शिकायत में अपीलार्थी द्वारा दिए गए ब्यौरों

पर विचार किया है । पति द्वारा अपीलार्थी-पत्नी के साथ दिल्ली में किए गए दुर्व्यवहार और क्रूरता के संबंध में अपीलार्थी-पत्नी की ओर से किए गए विशिष्ट प्रकथनों तथा इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों के तंग किए जाने के कारण पत्नी को अपना वैवाहिक गृह छोड़ना पड़ा और ऐसी परिस्थितियों में अब वह भरतपुर में अपने पिता के पास रह रही है, मेरी यह सुविचारित राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 और 179 के आधार पर इस मामले में कारित किया गया अपराध एक सतत अपराध है जो एक से अधिक स्थानों पर कारित हुआ है और उनमें से एक स्थान भरतपुर भी है, इसलिए भरतपुर के निचले न्यायालय को उसके समक्ष संस्थित किए गए मामले में कार्यवाही करने की अधिकारिता है ।

26. **गुलशन कपूर और अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पत्नी को उसके पिता के यहां छोड़ दिया गया और उसका स्त्रीधन भी मांगे जाने के बावजूद वापस नहीं किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 179 के अनुसार अपराध के परिणामस्वरूप घटित होने वाली किसी भी बात अर्थात् चालू रहने वाले अपराध की जांच या उसका विचारण अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"11. वर्तमान मामले में, कार्यवाहियों के इस प्रक्रम पर मेरी राय में प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समझौता होने के पश्चात् गैर-अर्जीदार/शिकायतकर्ता अपने पति और ससुराल वालों के साथ पुनः रहने लगी थी किन्तु कुछ ही दिन, उसके पश्चात् पत्नी के साथ दहेज की मांग को लेकर पुनः क्रूरता का व्यवहार किया गया और उसे तारीख 15 नवंबर, 2003 को अपना वैवाहिक गृह छोड़ देने के लिए विवश किया गया और वह भरतपुर स्थित अपने पैतृक गृह आ गई । दिल्ली में याचियों द्वारा दुर्व्यवहार और क्रूरता के संबंध में गैर-अर्जीदार द्वारा किए गए विशिष्ट प्रकथनों और इस तथ्य के आलोक में कि ससुरालवालों के व्यवहार

[1] 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 4864 (राज.).

के कारण पत्नी को दहेज की मांग पूरी न करने के आधार पर अपना वैवाहिक गृह छोड़ने के लिए विवश किया गया और इन परिस्थितियों में अब वह भरतपुर में अपने पिता के साथ रह रही है, मेरी यह सुविचारित राय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 और 179 के अधीन यह अपराध सतत अर्थात् चालू रहने वाला अपराध है जो कई स्थानीय जगहों पर कारित किया गया है जिनमें से एक स्थान भरतपुर है इसीलिए, भरतपुर के निचले न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दांडिक मामले में कार्यवाही करने की अधिकारिता है ।"

27. **श्रीमती सुमन उपाध्याय और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे स्थान पर विधिवत रूप से शिकायत फाइल नहीं की जा सकती जहां वाद हेतुक भागतः बनता हो । यह भी हो सकता है कि वाद हेतुक किसी भिन्न स्थान पर बना हो जहां शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार आदि किया गया था, जैसा कि शिकायत में अभिकथन किए गए हैं किंतु ऐसी स्थिति में संपूर्ण संव्यवहार पर दंड संहिता की धारा 498क और 406 के अधीन क्षेत्रीय अधिकारिता को ध्यान में रखना चाहिए । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"6. अभियुक्त-पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान् काउंसेल की अगली दलील यह है कि विद्वान् मजिस्ट्रेट, बरेली को इस मामले का विचारण करने की कोई भी क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है क्योंकि शिकायत में विवाह को छोड़कर सम्पूर्ण घटना गोरखपुर में घटित होना बताई गई है । मैंने शिकायत की अन्तर्वस्तु का परिशीलन किया है । अभियुक्त-पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल की दलील बिल्कुल भी सही नहीं है । शिकायत के अनुसार ड्राफ्ट, आभूषण और अन्य सामान विवाह के समय बरेली में दिया गया था और यदि तत्पश्चात् किसी प्रकार का कोई न्यासभंग अन्य किसी स्थान पर कारित किया गया है, तब शिकायत बरेली में भी फाइल की जा सकती थी जहां पर वाद हेतुक भागतः बनता है । शिकायत विधिवत रूप से उस स्थान पर फाइल की जा सकती है जहां वाद हेतुक भागतः बनता है । यह भी हो सकता है कि अन्य अपराध के संबंध में वाद हेतुक केवल गोरखपुर

[1] 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 4657 (इला.).

में ही बनता हो जहां शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया था किन्तु सम्पूर्ण संव्यवहार पर विचार किया जाना चाहिए और यदि वाद हेतुक शिकायत में किए गए अभिकथनों के आधार पर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में भागतः बनता है, तब उस मजिस्ट्रेट को संव्यवहार के दौरान कारित किए गए सभी अपराधों का संज्ञान लेने की अधिकारिता होगी भले ही उनमें से कुछ अपराध उसके अधिकारिता क्षेत्र के परे क्यों न कारित किए गए हों । इसलिए, अभियुक्त-पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल की यह दलील असफल हो जाती है ।

28. तद्नुसार, यह अपील भागतः मंजूर की जाती है । अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 364क के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है । अभियुक्त दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अधिनिर्णीत दंडादेश भोगेगा ।

29. इस मामले का अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ संबद्ध न्यायालय को आदेश का अनुपालन किए जाने के लिए वापस भेजा जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

वेद राम उर्फ बदेला

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 12 जून, 2017

न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304 भाग II – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – अभिलेख के साक्ष्य और मृत्युकालिक कथन से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने मृतका की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके कपड़ों में आग लगाई इसलिए अभियुक्त धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्ध किए जाने का दायी है ।

इत्तिलाकर्ता रमेश चौकीदार, ग्राम कारधारा ने तारीख 28 जून, 2007 को लगभग 15.10 बजे पुलिस थाना, देवरानिया, जिला बरेली में यह अभिकथन करते हुए लिखित रिपोर्ट दर्ज की जिसमें कन्हैया लाल कुमार नामक व्यक्ति ने जिसकी आयु लगभग 50 वर्ष है बंगाल से अपने गांव अवड़ी, पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी और अपने नौ बच्चों के साथ प्रवास किया था । लगभग दो वर्ष पूर्व, कन्हैया लाल कुमार की मृत्यु हो चुकी थी जिसके पश्चात् श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने पड़ोसी बाबू राम गंगवार पुत्र बुद्धासेन के साथ अवैध संबंध बना लिए थे और लगभग तीन मास से श्रीमती लक्ष्मी देवी ने स्वतंत्र रूप से उसके मकान में रहना शुरू कर दिया था और इस बात को उसके पुत्र वेद राम **उर्फ** बदेला ने स्वीकार नहीं किया था । घटना की तारीख को लगभग 9.30 बजे अपराह्न अपीलार्थी वेद राम **उर्फ** बदेला अपनी मां श्रीमती लक्ष्मी देवी को बाबू राम गंगवार के मकान से अपने मकान पर लाया और उसके आचरण की आलोचना की जिस पर श्रीमती लक्ष्मी देवी ने विरोध किया और अभियुक्त-अपीलार्थी वेद राम **उर्फ** बदेला ने आवेश की तीव्रता में अचानक प्रकोपित होकर अपनी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के कपड़ों को आग लगा दी तथा भाग गया । श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने कपड़ों पर पानी छिड़कर आग बुझा दी और तत्पश्चात् उसके नातेदारों और गांववासी, होम गार्ड हरीश कुमार के साथ उसे क्षतिग्रस्त हालत में उपचार के लिए बहेड़ी ले गए थे । अभियुक्त-

अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस थाना देवरानिया, जिला बरेली में लिखित रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 308 के अधीन 2007 का अपराध मामला सं. 886 दर्ज किया गया । चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और आवश्यक साधारण डायरी प्रविष्टि रपट सं. 19 के माध्यम से उसी दिन 3.10 बजे तैयार की गई थी । आहत श्रीमती लक्ष्मी देवी की क्षतियों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहेड़ी के डा. जय प्रकाश द्वारा तारीख 28 जून, 2007 को लगभग 1 बजे अपराह्न परीक्षा की गई थी जिस दौरान वह होश-हवास में रही थी तथा बोलने-सोचने समझने की स्थिति में थी । उसे 90 प्रतिशत जली हुई क्षतियों के साथ अस्पताल में लाया गया था तथा डाक्टर द्वारा इस बारे में पूछताछ की गई कि उसे जली हुई क्षतियां कैसे पहुंचीं, उस पर उसने कथन किया है कि उसका पुत्र वेद राम **उर्फ** बदेला ने मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी थी । बाद में आहत श्रीमती लक्ष्मी देवी को आगे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था जहां पर उसकी उपचार के दौरान लगभग 5.40 बजे अपराह्न मृत्यु हो गई । मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित दस्तावेज अभि. सा. 8 कांस्टेबल बृजपाल सिंह द्वारा तैयार किए गए थे, इसके पश्चात् जिसने उसके शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया था । मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी के शव की शव-परीक्षा तारीख 29 जुलाई, 2007 को लगभग 2.15 बजे डा. ए. के. गौतम द्वारा किया गया था जिन्होंने उसकी शवपरीक्षण रिपोर्ट भी तैयार की । मृतका की शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मृत्यु दाह क्षतियों के कारण श्वासावरोध के परिणामस्वरूप हुई थी । मामले का अन्वेषण कार्य उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को सौंपा गया था जिन्होंने तारीख 29 जून, 2017 को घटनास्थल का निरीक्षण किया था और घटना के स्थान का निरीक्षण करने के पश्चात् उसका घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था । उसने घटनास्थल से मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी के जले हुए कपड़े भी अभिगृहीत किए थे और इसका बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304 के अधीन आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली के समक्ष प्रस्तुत किया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 3 बरेली ने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा उनके समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेख पर साक्ष्य की संवीक्षा करते हुए अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसके लिए

पूर्वोक्त दंडादेश अधिनिर्णीत किया । दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – डा. जय प्रकाश ने मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के पश्चात् उसके मृत्युकालिक कथन के नीचे उसके अंगूठे का निशान लिया था और उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य में मृतका का मृत्युकालिक कथन साबित किया और यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करते समय, मृतका पूरी तरह से होश-हवास में थी और परिस्थितियों को समझने की स्थिति में थी । डा. जय प्रकाश की प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा जोरदार प्रति-परीक्षा की गई थी परंतु वे डा. जय प्रकाश से कुछ भी प्राप्त करने में विफल हुए जिससे कि मृतका के मृत्युकालिक कथन की सत्यता पर संदेह प्रकट कर सकें । इस प्रकार, हमने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका का मृत्युकालिक कथन अभियोजन पक्षकथन के संगत है जिसकी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूर्ण रूप से संपुष्टि की गई थी और इसलिए, हमने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषिता के निष्कर्ष में बाधा पहुंचाने का कोई कारण नहीं पाया है । अपीलार्थी ने यह कथन करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष अन्यत्र रहने का अभिवाक् किया था कि घटना के समय पर, वह अपने घर में मौजूद नहीं था परंतु सोमपाल के खेत में कार्य कर रहा था, बाद में उसे उसकी माता के गंभीर हालत के बारे में लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न किसी व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था, वह अतिशीघ्र अपने घर पर पहुंचा था और वहां पहुंचकर, उसने देखा कि गांववासी बाबू राम और काली चरण पहले ही उसकी माता को अस्पताल ले गए थे जिसके पश्चात् वह प्रतिरक्षा साक्षी 1 सोमपाल और अपनी बहिन प्रतिरक्षा साक्षी 2 हीरा काली के साथ बहेड़ी अस्पताल गई थी और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माता जली हुई हालत में पड़ी हुई है । अपने अन्यत्र रहने के अभिवाक् को साबित करने के लिए अपीलार्थी ने सोमपाल और हीरा काली की प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 के रूप में परीक्षा कराई । प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 का साक्ष्य न तो विश्वास प्रेरित हुआ और न यह विश्वसनीय प्रतीत हुआ है । जहां तक प्रतिरक्षा साक्षी 2 हीरा काली का संबंध है, उसने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय पर वह अपने वैवाहिक गृह में थी और घटना का समाचार प्राप्त होने पर अपने पैतृक घर पर पहुंची थी । जहां तक प्रतिरक्षा साक्षी 1

सोमपाल का संबंध है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी का बड़ा पुत्र बाड़े लाल और अभियुक्त-अपीलार्थी का भाई उसके कर्मचारी थे और इस प्रकार, उसके मिथ्या साक्ष्य देने की संभावना से अभियुक्त-अपीलार्थी का बचाव होता है, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती और यह स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा साक्षी 1 सोमपाल के परिसाक्ष्य के आधार पर अन्यत्र रहने के अभिवाक् को स्वीकार करें । इस प्रकार, मैंने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी किसी अकाट्य साक्ष्य द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में अन्यत्र रहने के अभिवाक् को साबित करने में विफल रहा है । वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने बिना यह विनिर्दिष्ट करते हुए दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया कि क्या दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा भाग (I) या भाग (II) के अधीन है । मामले के तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य से यह उपदर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया कार्य या तो पूर्व नियोजित या पूर्वचिंतन से किया गया था किंतु यह कार्य आवेश की तीव्रता और अचानक प्रकोपन के किया गया था जब इसकी माता ने अपने उपपति को त्यागने से इनकार कर दिया । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह साबित होता हो कि अभियुक्त-अपीलार्थी का वह कार्य जिससे मृतका की मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए । मृतका ने अपने मृत्युकालिक कथन में कोई ऐसा अभिकथन नहीं किया है जिससे यह इंगित हो सकता हो कि अपीलार्थी ने उसकी मृत्यु कारित किए जाने के आशय से उसके कपड़ों में आग लगाई थी । इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304 के भाग (II) की परिधि के अंतर्गत आता है । (पैरा 22, 23, 24, 27 और 28)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 77 ए. सी. सी. 182 :
भज्जु उर्फ **करण सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 16

[2010] (2010) 70 ए. सी. सी. 853 (एस. सी.) :
मुन्नावर और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 15

[1976] (1976) 3 एस. सी. सी. 104 :
मुन्ना राजा और एक अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 16

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की जेल अपील सं. 228.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विवेक कुमार सिंह (सहायक काउंसेल)

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र कुमारी पुनीता पांडेय तथा राज्य की ओर से विद्वान् सहायक सरकारी अधिवक्ता श्री सगीर अहमद को सुना गया है ।

2. यह दांडिक जेल अपील, पुलिस थाना देवरानिया, जिला बरेली में भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304 के अधीन 2007 के मामला अपराध सं. 886 से उद्भूत 2008 के सेशन विचारण सं. 42 (राज्य बनाम वेद राम **उर्फ** बदेला) में अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 3, बरेली द्वारा पारित तारीख 6 दिसंबर, 2010 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी वेद राम **उर्फ** बदेला को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000/- रुपए जुर्माने से और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह मास के अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया था ।

3. संक्षेप में यह कथन किया है कि इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभि. सा. 1 इत्तिलाकर्ता रमेश चौकीदार, ग्राम कारधारा ने तारीख 28 जून, 2007 को लगभग 15.10 बजे पुलिस थाना, देवरानिया, जिला बरेली में यह अभिकथन करते हुए लिखित रिपोर्ट दर्ज की जिसमें कन्हैया लाल कुमार नामक व्यक्ति ने जिसकी आयु लगभग 50 वर्ष है बंगाल से अपने गांव अवड़ी, पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी और अपने नौ बच्चों के साथ प्रवास किया था । लगभग दो वर्ष पूर्व, कन्हैया लाल कुमार की मृत्यु हो चुकी थी जिसके पश्चात् श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने पड़ोसी बाबू राम गंगवार पुत्र बुद्धासेन के साथ अवैध संबंध बना लिए थे और लगभग तीन मास से श्रीमती लक्ष्मी देवी ने स्वतंत्र रूप से उसके मकान में रहना शुरू कर दिया था और इस बात को उसके पुत्र वेद राम **उर्फ** बदेला ने स्वीकार नहीं किया

था । घटना की तारीख को लगभग 9.30 बजे अपराह्न अपीलार्थी वेद राम **उर्फ** बदेला अपनी मां श्रीमती लक्ष्मी देवी को बाबू राम गंगवार के मकान से अपने मकान पर लाया और उसके आचरण की आलोचना की जिस पर श्रीमती लक्ष्मी देवी ने विरोध किया और अभियुक्त-अपीलार्थी वेद राम **उर्फ** बदेला ने आवेश की तीव्रता में अचानक प्रकोपित होकर अपनी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के कपड़ों को आग लगा दी तथा भाग गया । श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने कपड़ों पर पानी छिड़कर आग बुझा दी और तत्पश्चात् उसके नातेदारों और गांववासी, होम गार्ड हरीश कुमार के साथ उसे क्षतिग्रस्त हालत में उपचार के लिए बहेड़ी ले गए थे । अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस थाना - देवरानिया, जिला बरेली में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) के आधार पर दंड संहिता की धारा 308 के अधीन 2007 का अपराध मामला सं. 886 दर्ज किया गया । चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-13) और आवश्यक साधारण डायरी प्रविष्टि रपट सं. 19 के माध्यम से उसी दिन 3.10 बजे तैयार की गई थी । आहत श्रीमती लक्ष्मी देवी की क्षतियों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहेड़ी के डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) द्वारा तारीख 28 जून, 2007 को लगभग 1 बजे अपराह्न परीक्षा की गई थी जिस दौरान वह होश-हवास में रही थी तथा बोलने-सोचने समझने की स्थिति में थी । उसे 90 प्रतिशत जली हुई क्षतियों के साथ अस्पताल में लाया गया था तथा डाक्टर द्वारा इस बारे में पूछताछ की गई कि उसे जली हुई क्षतियां कैसे पहुंचीं, उस पर उसने कथन किया है कि उसका पुत्र वेद राम **उर्फ** बदेला ने मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी थी । बाद में आहत श्रीमती लक्ष्मी देवी को आगे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था जहां पर उसकी उपचार के दौरान लगभग 5.40 बजे अपराह्न मृत्यु हो गई । मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित दस्तावेज अभि. सा. 8 कांस्टेबल बृजपाल सिंह द्वारा तैयार किए गए थे, इसके पश्चात् जिसने उसके शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया था । मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी के शव की शव परीक्षा तारीख 29 जुलाई, 2007 को लगभग 2.15 बजे डा. ए. के. गौतम (अभि. सा. 6) द्वारा किया गया था जिन्होंने उसकी शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-5) भी तैयार की । मृतका की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क-15) से शव पर मृत्यु पूर्व क्षतियों से यह उपदर्शित होता है जो निम्नलिखित है :–

> "पूरे शव पर जली हुई क्षतियां थीं, सिर के बाल झुलसे हुए थे । संपूर्ण शव के मध्य भागों में लाल रेखाएं मौजूद थीं । त्वचा कई

स्थानों पर छिली हुई थी ।"

आंतरिक परीक्षा – मस्तिष्क और दोनों फेफड़े संकुचित थे । दांत 13/13 यकृत संकुचित था और पिताशय भरा हुआ था । प्लीहा और दोनों वृक्क संकुचित थे । जननांग और गर्भाशय सामान्य थे और गर्भाशय खाली पड़ा हुआ था । अन्य भाग सामान्य थे, आमाशय खाली था, लघु आंतों में गैस भरी हुई थी और बड़ी आंत में मल पदार्थ और गैस भरी हुई थी ।

4. मृतका की शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मृत्यु दाह क्षतियों के कारण श्वासावरोध के परिणामस्वरूप हुई थी । मामले का अन्वेषण कार्य उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (अभि. सा. 7) को सौंपा गया था जिन्होंने तारीख 29 जून, 2017 को घटनास्थल का निरीक्षण किया था और घटना के स्थान का निरीक्षण करने के पश्चात् उसका घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-6) तैयार किया था । उसने घटनास्थल से मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी के जले हुए कपड़े भी अभिगृहीत किए थे और इसका बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-7) तैयार किया गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304 के अधीन आरोप पत्र (प्रदर्श क-8) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

5. चूंकि आरोप पत्र में उल्लिखित अपराध का सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली ने अभियुक्त के विचारण हेतु मामला सेशन न्यायाधीश, बरेली को सुपुर्द किया था जहां इसे 2008 के सेशन विचारण सं. 42, राज्य बनाम वेद राम **उर्फ** बदेला के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था और मामले को विचारण के लिए अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय सं. 3, बरेली को भेज दिया गया था । जिन्होंने आरोप के प्रश्न पर अभियोजन और अभियुक्त-अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् और अभिलेख की सामग्री के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304 के अधीन आरोप विरचित किया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने आरोप से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 8 साक्षियों की परीक्षा की जिनमें इत्तिलाकर्ता रमेश (अभि. सा. 1), बाबू राम (अभि. सा. 2), कालीचरण (अभि. सा. 3) की तथ्य के साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई थी जबकि

डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) जिन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहेड़ी पर मृतका की क्षतियों की परीक्षा की और उसकी क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) तैयार की और उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया, जगत पाल सिंह (अभि. सा. 5) जिन्होंने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और सुसंगत साधारण डायरी प्रविष्टि तैयार की थी, डा. ए. के. गौतम (अभि. सा. 6) जिन्होंने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया और उसकी शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क 5) तैयार की तथा कांस्टेबल ब्रजपाल सिंह (अभि. सा. 8) जिन्होंने मामले में अन्वेषण किया और आरोप पत्र प्रस्तुत किया, उनकी औपचारिक साक्षियों के रूप में परीक्षा की गई । हेड मोहर्रिर जगत पाल सिंह (अभि. सा. 5) की न्यायालय साक्षी के रूप में परीक्षा की गई थी ।

7. अभियुक्त-अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है परंतु यह स्वीकार किया है कि उसकी माता को अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है जबकि वास्तविक अपराधियों को छोड़ दिया गया, अभियुक्त ने यह प्रकट करने के लिए प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 के रूप में सोमपाल और हीरा काली की परीक्षा की कि घटना की तारीख और समय को अभियुक्त-अपीलार्थी अपने खेतों पर काम कर रहा था और जब उसे उसकी माता की गंभीर दशा के बारे में बतलाया गया था तब वह अपने घर चला गया था और उस समय बाबू राम गंगवार (अभि. सा. 2) और कालीचरण (अभि. सा. 3) उसे पहले ही बरेली अस्पताल ले गए थे ।

8. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 3 बरेली ने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा उनके समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेख पर साक्ष्य की संवीक्षा करते हुए अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसके लिए पूर्वोक्त दंडादेश अधिनिर्णीत किया ।

9. विद्वान् न्यायमित्र, कुमारी पुनीता पांडेय द्वारा यह दलील दी गई कि चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए तथ्य के सभी तीन साक्षी अपीलार्थी की दोषिता को साबित करने में विफल हुए हैं जिससे कि अभियोजन पक्षकथन को समर्थन मिले और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अपीलार्थी की दोषसिद्धि जो

मृतका द्वारा डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) के समक्ष किए गए अभिकथित मृत्युकालिक कथन पर आधारित है, जिनसे कोई विश्वास प्रेरित नहीं होता है जिसे मृतका द्वारा स्वैच्छिक रूप से उचित मानसिक दशा में किया जाना साबित नहीं किया गया है, इसलिए मामले को कायम नहीं रखा जा सकता और खारिज किए जाने योग्य है । उसने दंड की मात्रा(अपीलार्थी के लिए अधिनिर्णीत 10 वर्ष का कारावास) को भी चुनौती दी । विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र रहने के अभिवाक् की दलील में अविश्वास करके गलती की है ।

10. विद्वान् न्यायमित्र कुमारी पुनीता पांडेय के अनुसार सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखे जाने पर जिनसे अपीलार्थी की दोषसिद्धि का परिणाम निकलता है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी आज तक 9 वर्ष, 11 मास और 16 दिन से अधिक कारावास पहले ही भोग चुका है और फिर भी निरंतर जेल में भी है, ऐसी दशा में इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपीलार्थी की अभिलिखित दोषसिद्धि पुष्टि किए जाने योग्य है, तब इसमें आजीवन दंड के अधिनिर्णय को परिवर्तित किया जाना चाहिए, उनमें से एक दंड अपीलार्थी द्वारा पहले ही भोगा जा चुका है ।

11. इसके विपरीत, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री सगीर अहमद ने यह दलील दी है कि न तो अपीलार्थी की अभिलिखित दोषसिद्धि पर और न उसके लिए अधिनिर्णीत दंड के गुणागुण पर इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया गया । मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी के मृत्युकालिक कथन से यह साबित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़कने के पश्चात् आग लगा दी थी, इस तथ्य के होते हुए भी कि तथ्य के सभी तीनों साक्षी अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देने में विफल हुए हैं और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था । इस अपील में गुणागुण की कमी है और इसे खारिज किया जाता है ।

12. हमने विद्वान् न्यायमित्र कुमारी पुनीता पांडेय और विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री सगीर अहमद को सुना और संपूर्ण निचले न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया ।

13. अभिलेख से यह दर्शित होता है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने इत्तिलाकर्ता रमेश (अभि. सा. 1), बाबू राम गंगवार (अभि. सा. 2), काली चरण (अभि. सा. 3) की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में पेश किया

गया था, परंतु उनमें से सभी तीन अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने में विफल हुए हैं और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था । अपीलार्थी की दोषिता को साबित करने के लिए अभिलेख पर केवल यह साक्ष्य है कि मृतका का मृत्युकालिक कथन जो उसके द्वारा डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) के समक्ष किया गया था जिन्होंने उसकी क्षतियों की परीक्षा की और उसे पहले चिकित्सा सहायता दी और तारीख 28 जून, 2007 को लगभग 1 बजे अपराह्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहेड़ी में उसकी क्षति रिपोर्ट (प्रदर्श क 2) तैयार की । मृतका के मृत्युकालिक कथन को डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) द्वारा उसकी क्षति रिपोर्ट स्वयं लिखी गई थी । मृत्युकालिक कथन का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

"मेरे लड़के वेद राम पुत्र कन्हैया लाल ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर सुबह 8 बजे के समय पर मुझे आग से जला दिया ।"

14. मृत्युकालिक कथन का सिद्धांत विधिक सूक्ति "नेमो मोरीटरस प्रेज्युमीटस मेंटायर" में प्रतिष्ठापित है जिसका यह अभिप्राय है कि "मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा" मृत्यु कालिक कथन का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसमें इसके पश्चात "साक्ष्य अधिनियम" कहा गया है) की धारा 32 में अंतर्विष्ट है क्योंकि साधारण नियम का अपवाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में अंतर्विष्ट है, जिसमें यह उपबंध किया है कि सभी मामलों में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए अर्थात् इस पर किसी साक्षी का साक्ष्य होना चाहिए जिसने यह कहा है कि उसने ऐसा देखा, वास्तव में मृत्युकालिक कथन ऐसे व्यक्ति का कथन है जिसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है । ऐसे कथन कतिपय मामलों में स्वयं सुसंगत तथ्य हैं ।

15. **मुन्नावर और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया जा सकता है यदि मृतक घटना के पश्चात् अधिक समय तक जीवित रहा है और मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के पश्चात् मृत्यु हुई हो । साक्ष्य से यह दर्शित हो सके कि जब मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया था तब उसकी दशा प्रत्यक्ष रूप से नाजुक या खतरनाक नहीं थी ।"

---

[1] (2010) 70 ए. सी. सी. 853 (एस. सी.).

16. उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रकट **भज्जु** उर्फ **करण सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का यहां पर उल्लेख करना सुसंगत होगा जिसमें अधिकांश समरूप तथ्य थे । मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया गया था क्योंकि तथ्य के साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था और समान प्रतिरक्षा की गई थी कि मृतका को आग लग गई थी जब वह खाना बना रही थी । **मुन्ना राजा और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में माननीय न्यायालय के निर्देश का अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिया गया जिस पर यह मत व्यक्त किया गया, जो इस प्रकार है :–

> "मुन्ना राजा और एक अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई कि मृत्युकालिक कथन की पक्षद्रोही साक्षियों के परिसाक्ष्य से संपुष्टि नहीं हो सकती, इससे मुश्किल से कोई सहायता मिलती है । जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है कि कोई साक्षी या प्राधिकारी जो मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करते समय शामिल नहीं है, पक्षद्रोही घोषित हो गए थे । इसके प्रतिकूल, उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है और युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया है कि मृतक द्वारा किया गया मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय, सत्य और स्वैच्छिक किया गया था । हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि अभियुक्त द्वारा स्वयं इस निर्णय का अवलंब लेते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मृत्युकालिक कथन पर बिना उसकी संपुष्टि के भी कार्यवाही की जा सकती है और यह दोषसिद्धि का आधार हो सकता है । उक्त निर्णय का पैरा 6 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है –
>
> > '..... यह सुस्थापित है कि यद्यपि मृत्युकालिक कथन इस कारण से सावधानी से होना चाहिए कि कथन को करने वाले की प्रतिपरीक्षा नहीं हो सकती, न तो विधि का ऐसा नियम है और न प्रज्ञा का नियम है जिससे कि विधि का नियम कठोर हो

---

[1] (2012) 77 ए. सी. सी. 182.

[2] (1976) 3 एस. सी. सी. 104.

कि मृत्युकालिक कथन पर तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि इसकी संपुष्टि न हो (देखिए – खुशाल राव **बनाम** मुंबई राज्य) यह सही है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि हुई है परंतु यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि मृत्युकालिक कथन में इस कारण से कोई दुर्बलता है कि इसकी संपुष्टि होनी आवश्यक थी ।'"

17. माननीय न्यायालय ने इस रिपोर्ट के पैरा 22 में यह भी अभिनिर्धारित किया है कि :–

"इस बारे में विधि अति स्पष्ट है कि यदि मृत्युकालिक कथन विधि के अनुसरण में अभिलिखित किया गया है जो विश्वसनीय है और घटना का अकाट्य और संभव स्पष्टीकरण दिया गया है तब मृत्युकालिक कथन का निश्चित तौर पर न्यायालय द्वारा अवलंब लिया जा सकता है और साक्ष्य के एकमात्र टुकड़े के रूप में उसे लिया जा सकता जो अभियुक्त की दोषसिद्धि का परिणाम हो सकती है । इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) सुना-सुनाया साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में सामान्य नियम का अपवाद है । धारा 32 का खंड (1) मृतका के कथन को ग्राह्य बनाता है जो 'मृत्युकालिक कथन' के रूप में सामान्यतया वर्णित किया जाता है ।"

18. उच्चतम न्यायालय ने अभियोजन पक्षकथन के संगत होते हुए मृतका के मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया जिसकी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूर्ण रूप से संपुष्टि की गई थी, दो न्यायालयों द्वारा अभिलिखित अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषिता के समवर्ती निष्कर्ष पर बाधा नहीं डालता है । विधि की पूर्वोक्त प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए इस मामले में अभिलिखित मृतका का मृत्युकालिक कथन सभी विधिक अपेक्षाओं को पूरा करता है और यह अभियोजन कहानी तथा चिकित्सा साक्ष्य के भी समरूप है ।

19. इस प्रकार, इस विवाद्यक पर पूर्वोक्त नजीरों का परिशीलन करने से जो कुछ प्रकट होता है, यह है कि यदि मृत्युकालिक कथन विधि के अनुसरण में अभिलिखित किया गया है तो यह विश्वसनीय है और जिसमें घटना की दशाओं का अकाट्य और संभव स्पष्टीकरण दिया है, तब

न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन का अवलंब लिया जा सकता है, साक्ष्य के एकमात्र टुकड़े को रूप दे सकता है, जिसका परिणाम अभियुक्त की दोषसिद्धि हो सकती है ।

20. अब हम पूर्वोक्त सिद्धांत की कसौटी पर मृतका के मृत्युकालिक कथन की परीक्षा करने के लिए अग्रसर होते हैं ।

21. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, मृतका श्रीमती लक्ष्मी देवी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहेड़ी में तारीख 28 जून, 2007 को 1.00 बजे अपराह्न डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) के समक्ष मृत्युकालिक कथन किया था जहां उसके नातेदारों और गांववासियों द्वारा घटना के पश्चात् तत्काल उसे उपचार के लिए ले जाया गया था ।

22. डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) ने मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के पश्चात् उसके मृत्युकालिक कथन के नीचे उसके अंगूठे का निशान लिया था और उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य में मृतका का मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श 2) साबित किया और यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करते समय, मृतका पूरी तरह से होश-हवास में थी और परिस्थितियों को समझने की स्थिति में थी । डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) की प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा जोरदार प्रतिपरीक्षा की गई थी परंतु वे डा. जय प्रकाश (अभि. सा. 4) से कुछ भी प्राप्त करने में विफल हुए जिससे कि मृतका के मृत्युकालिक कथन की सत्यता पर संदेह प्रकट कर सकें ।

23. इस प्रकार, हमने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका का मृत्युकालिक कथन अभियोजन पक्षकथन के संगत है जिसकी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूर्ण रूप से संपुष्टि की गई थी और इसलिए, हमने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषिता के निष्कर्ष में बाधा पहुंचाने का कोई कारण नहीं पाया है ।

24. अपीलार्थी ने यह कथन करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष अन्यत्र रहने का अभिवाक् किया था कि घटना के समय पर, वह अपने घर में मौजूद नहीं था परंतु सोमपाल के खेत में कार्य कर रहा था, बाद में उसे उसकी माता के गंभीर हालत के बारे में लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न किसी व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था, वह अतिशीघ्र अपने घर पर पहुंचा था और वहां पहुंचकर, उसने देखा कि गांववासी बाबू राम और कालीचरण

पहले ही उसकी माता को अस्पताल ले गए थे जिसके पश्चात् वह प्रतिरक्षा साक्षी 1 सोमपाल और अपनी बहिन प्रतिरक्षा साक्षी 2 हीराकाली के साथ बहेड़ी अस्पताल गई थी और वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माता जली हुई हालत में पड़ी हुई है । अपने अन्यत्र रहने के अभिवाक् को साबित करने के लिए अपीलार्थी ने सोमपाल और हीरा काली की प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 के रूप में परीक्षा कराई । प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 का साक्ष्य न तो विश्वास प्रेरित हुआ और न यह विश्वसनीय प्रतीत होता हो । जहां तक प्रतिरक्षा साक्षी 2 हीरा काली का संबंध है, उसने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय पर वह अपने वैवाहिक गृह में थी और घटना का समाचार प्राप्त होने पर अपने पैतृक घर पर पहुंची थी । जहां तक प्रतिरक्षा साक्षी 1 सोमपाल का संबंध है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि श्रीमती लक्ष्मी देवी का बड़ा पुत्र बाड़े लाल और अभियुक्त-अपीलार्थी का भाई उसके कर्मचारी थे और इस प्रकार, उसके मिथ्या साक्ष्य देने की संभावना से अभियुक्त-अपीलार्थी का बचाव होता है, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती और यह स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा साक्षी 1 सोमपाल के परिसाक्ष्य के आधार पर अन्यत्र रहने के अभिवाक् को स्वीकार करें । इस प्रकार, मैंने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी किसी अकाट्य साक्ष्य द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में अन्यत्र रहने के अभिवाक् को साबित करने में विफल रहा है ।

25. अब, इस बारे में अगला प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अपीलार्थी के दंड को कम किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो उसकी सीमा क्या होगी जैसाकि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अनुरोध किया गया है ।

26. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदन का मूल्यांकन करते हुए यह लाभदायक होगा कि दंड संहिता की धारा 304 के सार पर विचार करें जो इस प्रकार है :–

> **धारा 304** – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड – जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह (आजीवन

कारावास) से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए ।

अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

27. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने बिना यह विनिर्दिष्ट करते हुए दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया कि क्या दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा भाग (I) या भाग (II) के अधीन है । मामले के तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य से यह उपदर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया कार्य या तो पूर्व नियोजित या पूर्व-चिंतन से किया गया था किंतु यह कार्य आवेश की तीव्रता और अचानक प्रकोपन के किया गया था जब इसकी माता ने अपने उपपति को त्यागने से इनकार कर दिया । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह साबित होता हो कि अभियुक्त-अपीलार्थी का वह कार्य जिससे मृतका की मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए । मृतका ने अपने मृत्युकालिक कथन में कोई ऐसा अभिकथन नहीं किया है जिससे यह इंगित हो सकता हो कि अपीलार्थी ने उसकी मृत्यु कारित किए जाने के आशय से उसके कपड़ों में आग लगाई थी ।

28. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थी की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 304 के भाग (II) की परिधि के अंतर्गत आता है ।

29. इस मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी विचारित राय है कि न्याय के उद्देश्य को पूर्ति तभी होगी यदि

अपीलार्थी के दंड को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय करने में छह मास का अतिरिक्त कारावास को कम किया जाए ताकि उसके द्वारा पहले ही लगभग 9 वर्ष 11 मास और 16 दिनों का कारावास भोगा जा चुका है ।

30. उपरगामी चर्चा के प्रकाश में अपील सफल रहती है और भागतः मंजूर की जाती है ।

31. दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है । तथापि, अपीलार्थी के लिए अधिनिर्णीत दंड (10 वर्ष का कारावास) और 15,000/- रुपए का जुर्माना को परिवर्तित किया जाता है और तद्नुसार, उसके द्वारा पहले भोगी गई कारावास की सजा को कम किया जाता है ।

32. इस सीमा तक, आक्षेपित निर्णय और आदेश को उपांतरित किया जाता है ।

33. अभियुक्त-अपीलार्थी वेद राम **उर्फ** बदेला जेल में है । उसे तब तत्काल निर्मुक्त किया जाएगा जब तक कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो जो मामले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के उपबंध के अनुपालन के अध्यधीन है ।

34. तथापि, खर्चों के बाबत कोई आदेश नहीं दिया जाता ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

पश्चिमी बंगाल राज्य

बनाम

मोहम्मद सोहराब और अन्य

तारीख 25 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 212 [सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 3] – हत्या – अपराधी को संश्रय देना – साक्ष्य का मूल्यांकन – पुत्र द्वारा हत्या – पिता द्वारा पुत्र के पते-ठिकाने के बारे में किसी को भी न बताए जाने का निर्देश अपने कर्मचारी को देना – पिता द्वारा अपने पुत्र को तत्काल कोलकाता छोड़ने का निर्देश दिया गया था और साथ ही उसके कर्मचारी से कहा गया था कि अपने अभियुक्त-पुत्र के पते-ठिकाने के संबंध में किसी को न बताए, शरण देने का अभियुक्त पिता का यह कृत्य इसलिए और अधिक आपराधिक हो जाता है कि उसने अपने अभिकर्ता/कर्मचारी को रांची में अपने पुत्र के लिए धन उपलब्ध कराने को कहा था, ऐसी स्थिति में अभियुक्त-पिता अपने अभियुक्त-पुत्र को संश्रय देने के अपराध का दोषी होगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और धारा 201 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – अभियुक्त द्वारा अपने पुत्र (मुख्य अभियुक्त) की अभिकथित रूप से सहायता किया जाना – पुलिस द्वारा अभियुक्त के पिता से मुख्य अभियुक्त के संबंध में पूछताछ न किया जाना – अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त-पिता से मुख्य अभियुक्त-पुत्र के संबंध में पुलिस द्वारा कोई पूछताछ की गई थी, अतः उसके पते-ठिकाने के संबंध में गलत या मिथ्या जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए पिता धारा 201 के अधीन अपराध का दोषी नहीं होगा ।

इस मामले में चार अभियुक्तों अर्थात् तौसीफ सोहराब **उर्फ** सम्बिया, मोहम्मद सोहराब (सम्बिया का पिता), शाहनवाज खान **उर्फ** सोनू **उर्फ** शानू और मोहम्मद नूर आलम **उर्फ** जानी का विचारण दंड संहिता की धारा 120ख/302 के अधीन किया गया । सेशन विचारण न्यायालय ने तौसीफ सोहराब **उर्फ** सम्बिया को दंड संहिता की धारा 302/304/307/201/427

और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 115/94 के अधीन आरोपित करते हुए शेष तीनों अभियुक्तों को सभी आरोपों से उन्मुक्त कर दिया । सेशन न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर राज्य ने तीनों अभियुक्तों अर्थात् पक्षकार सं. 1 से 3 की उन्मुक्ति के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करते हुए तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 212 के अधीन आरोप विरचित किए जाने के लिए विचारण न्यायालय को निदेश देते हुए,

अभिनिर्धारित – "संश्रय" शब्द की परिभाषा समावेशित प्रकृति की है जिसमें शरण, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध या गोलाबारूद या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के साधन या उसकी गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसकी सहायता करना आता है । उपर्युक्त अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापक निबंधनों में लिया गया है जिसमें नैसर्गिक रूप से विरोधी पक्षकार सं. 1 द्वारा किए गए प्रयास सम्मिलित हैं जिनके अनुसार उसने अपने पुत्र को तत्काल कोलकाता छोड़ने का निर्देश दिया था और साथ ही उसने अपने कर्मचारी से कहा था कि वह अपने पुत्र के पते-ठिकाने के संबंध में पुलिस या किसी भी व्यक्ति को न बताए । शरण देने का उसका यह कृत्य इस आधार पर और अधिक आपराधिक हो जाता है कि उसने अपने अभिकर्ता मोहम्मद अहतिसान को रांची में अपने पुत्र को धन उपलब्ध कराने का निवेदन किया था और उसका पुत्र वहां छिपा हुआ था । विरोधी पक्षकार सं. 1 और मुख्य अभियुक्त के बीच पिता और पुत्र की नातेदारी और गोपनीय वार्तालाप, जो घटना के तत्काल पश्चात् उनके बीच हुआ था, को दृष्टिगत करते हुए युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 यह जानता था और उसके पास विश्वास करने का कारण था कि उसका पुत्र एक अपराधी है क्योंकि उसने अपने पुत्र को तत्काल कोलकाता छोड़ने की सलाह दी थी और तत्पश्चात् जब उसका पुत्र रांची में छिपा हुआ था तब उसे वित्तीय सहायता भी पहुंचाई थी । (पैरा 13 और 15)

अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि विरोधी पक्षकार सं. 1 ने या तो साक्ष्य मिटाया था या ऐसे अपराध की सूचना दी थी जिसके बारे में वह जानता था या उसे यह विश्वास था कि अपराधी को मिथ्या रूप से बचाया जा रहा है । मेरे समक्ष ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि विरोधी पक्षकार सं. 1 से पुलिस द्वारा उसके पुत्र के पते-ठिकाने के संबंध में पूछताछ की गई थी ।

अतः, उसके पुत्र के पते-ठिकाने के संबंध में गलत या मिथ्या जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । उसके कर्मचारी को उसके पुत्र के पते-ठिकाने और अपराध में प्रयोग किए गए वाहन के ब्यौरे पुलिस या अन्य किसी भी व्यक्ति को न दिए जाने के संबंध में दिए गए निदेश से दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध नहीं बन सकता । उक्त दांडिक उपबंध के लागू किए जाने के लिए सबसे आवश्यक यह है कि अपराधी स्वयं मिथ्या या गलत सूचना स्वयं को छिपाने के लिए दे किन्तु अन्य किसी व्यक्ति को ऐसा निदेश देने से यह अपराध गठित नहीं हो सकता । साक्ष्य विलुप्त करने का अर्थ अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य विलुप्त करना है न कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराधी को पकड़े जाने से बचाना । (पैरा 16)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1962] ए. आई. आर. 1962 गुजरात 225 :
जोगता किकला बनाम **राज्य** । 16

दांडिक (पुनरीक्षणीय) अधिकारिता : 2017 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1990.

2016 के सेशन विचारण मामला सं. 76 में तारीख 26 मई, 2017 को विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय-II)कोलकाता के उन्मुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से — सर्वश्री सास्वत गोपाल मुखर्जी (लोक अभियोजक), साबिर अहमद और (सुश्री) अनुसूया सिन्हा

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री दीप चैम कबीर, मजहर हुसैन चौधरी, मो. जीशानुद्दीन, (सुश्री) जोनकी साहा, देबाशीष रॉय, दानिश हक और अरिन्दम डे

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची – राज्य ने, विद्वान् सेशन अपर न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-II , बिचार भवन, कोलकाता द्वारा सेशन मामला सं. 76/2016 में तारीख 26 मई, 2017 को पारित किए गए आदेश को वर्तमान मामले में विरोधी पक्षकारों को उन्मोचित किए जाने की सीमा तक चुनौती दी है ।

2. अभियोजन पक्षकथन अभिकथित रूप से इस प्रकार है कि तारीख 13 जनवरी, 2016 को प्रातःकाल जब गणतंत्र दिवस की परेड का अभ्यास खिदरपुर मार्ग पर दक्षिण से उत्तर दिशा में रैड-रोड की ओर किया जा रहा था, तब मुख्य अभियुक्त तौसीफ सोहराब **उर्फ** सम्बिया सफेद रंग की आउडी क्यू 7 कार चलाते हुए, जिस पर कोई भी नम्बर प्लेट लगी हुई नहीं थी, जानबूझकर प्रतिषिद्ध क्षेत्र (नो-ड्राइविंग-जोन) में सड़क पर रखी हुई स्टील की रेलिंग को तोड़ते हुए तेज गति में तथा खतरनाक तरीके से कार चलाकर प्रवेश कर गया । स्टील-गार्ड-रेलिंग खिदरपुर मार्ग के दोनों ओर लगाई हुई थी जिसका प्रयोग रेसकोर्स के घोड़ों के लिए किया जाता है । कार के चालक ने विद्यासागर सेतु के निकट लगे हुए गार्ड, जो गणतंत्र दिवस की परेड के प्रयोजनार्थ लगाए गए थे, पर ध्यान नहीं दिया और वह खिदरपुर रोड और लवर्स लेन के चौराहे के निकट फोर्ट विलियम के दक्षिणी गेट तक पहुंच गया । जब ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल ने, जो वर्दी में था, हाथ हिलाकर उसे रोकने का प्रयास किया, तब उन पर कोई ध्यान दिए बिना ड्राइवर ने खिदरपुर मार्ग की उत्तर दिशा में रखे गार्ड-रेलिंग में टक्कर मार दी और वह जैनसन एण्ड निकोलसन आइलैंड की ओर तीव्र गति में चला गया । चूंकि कार खिदरपुर रोड के पश्चिम दिशा में उतावलेपन से जा रही थी, परेड में भाग लेने वाले सिपाही उसी दिशा में खिदरपुर मार्ग पर जा रहे थे । जैनसन एण्ड निकोलसन आइलैंड पर वर्दी में तैनात पुलिस पदधारी ने अभियुक्त को हाथ से इशारा करके पुनः रोकने का प्रयास किया किन्तु चालक उसके इशारों को अनदेखा करते हुए खिदरपुर रोड के पश्चिम दिशा में प्रवेश कर गया और जैनसन एण्ड निकोलसन आइलैंड से यू-टर्न लिया यद्यपि उस समय रैड-रोड खुला हुआ था और वहां पर गार्ड-रेलिंग लगी हुई नहीं थी । इसके पश्चात् अभियुक्त ने अपनी कार खिदरपुर मार्ग के पूर्व में चलाई और उस समय परेड के सिपाही जैनसन एण्ड निकोलसन आइलैंड की ओर बढ़ रहे थे और सड़क पर बने डिवाइडर और उनके बीच बहुत तंग स्थान था । उक्त अभियुक्त ने अपनी कार रोकने के बजाय कार की गति भयानक रूप से बढ़ा दी और परेड की विपरीत दिशा में तंग स्थान से होकर गुजरा । इस खतरनाक कृत्य से अभियुक्त ने भारतीय वायु सेना के कारपोरल अभिमन्यु रंगालाल जो भारतीय वायु सेना के ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (जी.टी.आई.) हैं, को टक्कर मारी जिन्होंने पहले तो स्वयं इस टक्कर से बचने का प्रयास किया किन्तु उन्हें कार के सामने वाले शीशे से टकराने पर गंभीर क्षति कारित हो ही गई । इसके बावजूद, अभियुक्त ने अपनी कार नहीं रोकी और आहत

कारपोरल को टक्कर मारते हुए वहां से भाग गया । इस घटना के पूर्व वायु सेना के आहत कारपोरल ने अपना हाथ खींचकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया था किन्तु वह उस कार की टक्कर से बच न सके जो तीव्र गति से चल रही थी । अपराध कारित करने के पश्चात्, अभियुक्त खिदरपुर मार्ग से होता हुआ वहां से भाग गया और लवर्स लेन वाले चौराहे के निकट उसने पुनः गार्ड-रेलिंग में टक्कर मारी जो भयानक रूप से सड़क पर दूर जाकर गिरा जिससे उस स्थान पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदधारी का जीवन भी संकटग्रस्त हो गया । उक्त गार्ड-रेलिंग से टकराने पर कार के एयरबैग खुल गए और कार के इंजन ने पूर्णतया काम करना बंद कर दिया जिससे अभियुक्त को लगभग 150 मीटर की दूरी पर खिदरपुर रोड के दक्षिणी द्वार के निकट रुकना पड़ा और वह कार से उतरकर भाग गया । साक्षियों ने देखा कि अभियुक्त तौसीफ सोहराब **उर्फ** सम्बिया कार की ड्राइवर सीट से उठकर बाहर निकल रहा है और अपना बायां हाथ हिलाते हुए वहां से भाग गया ।

3. कर्नल रिचर्ड फर्नेन्डिस (कमांडिंग आफिसर), 12 गढ़वाल राइफल्स, गैरिसन बटालियन, फोर्ट विलियम, कोलकाता की शिकायत के आधार पर तारीख 13 जनवरी, 2016 को मामला सं. 9 भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 120ख/302 के अधीन पुलिस थाना मैदान के अन्तर्गत सफेद रंग की आउडी क्यू 7 कार के चालक और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया और अन्वेषण आरंभ किया गया । इसके पश्चात्, अभियुक्त तौसीफ सोहराब **उर्फ** सम्बिया अपने पिता मोहम्मद सोहराब (विरोधी पक्षकार सं. 1) और उसके मित्र अर्थात् शाहनवाज खान **उर्फ** सोनू **उर्फ** शानू और मोहम्मद नूर आलम **उर्फ** जॉनी (विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3) जो तौसीफ सोहराब के साथ स्कोडा कार (नं. डब्ल्यू बी 02 डब्ल्यू 05777) में थे, की सहायता से फरार हो गया और उपर्युक्त दर्दनीय घटना के तत्काल पश्चात्, मुख्य अभियुक्त के साथ हो गया । इसके पश्चात् उक्त विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 ने विरोधी पक्षकार सं. 3 के घर में संश्रय लिया । इसके पश्चात् मुख्य अभियुक्त सम्बिया विरोधी पक्षकार सं. 3 के घर पर उनसे मिला और वे सब उक्त स्कोडा कार से चले गए । इसके पश्चात्, मुख्य अभियुक्त और विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 रांची भाग गए और अपने साथियों की सहायता से तारीख 14 जनवरी, 2016 की रात में खूंटी में स्थित हदीसा बीबी के मकान में जाकर छिप गए । यह भी अभिकथन किया गया है कि पहले कटक जाने का इरादा किया था किन्तु बाद में उन्होंने अपना इरादा

बदल दिया और हदीसा बीबी के घर में ही ठहर गए । मोहम्मद सोहराब अर्थात् विरोधी पक्षकार सं. 1 ने अपने पुत्र के लिए रांची में अपने साथी अर्थात् मोहम्मद अहतिसान के माध्यम से धन का बंदोबस्त किया । तारीख 15 जनवरी, 2016 को मुख्य अभियुक्त कोलकाता आया और विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 कहीं और चले गए । तत्पश्चात्, मुख्य अभियुक्त सम्बिया को कोलकाता में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि विरोधी पक्षकार सं. 3 के मकान में संश्रय लेने के पूर्व सम्बिया को मोहम्मद अहतिसान के गैराज में आना पड़ा जो उनके कर्मचारी राजेश मलिक के नियंत्रण में था । उस समय विरोधी पक्षकार सं. 1 ने राजेश मलिक को फोन किया और उसे अपने पुत्र सम्बिया को फोन देने को कहा और उससे धीमी आवाज में बात की । इसके पश्चात्, सम्बिया राजेश से यह कहकर गैरेज से चला गया कि उसके पिता ने उससे कहा है कि वह तुरन्त कोलकाता छोड़ दे । विरोधी पक्षकार सं. 1 ने भी राजेश मलिक को यह निर्देश दिया कि वह सम्बिया और सफेद आउडी कार के बारे में पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति को कुछ न बताए ।

4. अन्वेषण के दौरान यह भी सामने आया है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 ने अपने अभिकर्ता मोहम्मद अहतिसान को रांची में फोन किया था और अपने पुत्र सम्बिया को धन और अन्य कोई भी सहायता दिए जाने का प्रबंध करने को कहा था । इसके अनुसरण में अहतिसान ने सम्बिया को रांची में ही बीस हजार रुपए दे दिए ।

5. अन्वेषण पूरा होने पर मुख्य अभियुक्त तौसीफ सोहराब **उर्फ** सम्बिया के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/304/307/201/427 और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 115/94 और विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 212 तथा विरोधी पक्षकार सं. 1 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 201/212 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और विचारण तथा निपटारे के लिए विचारण न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया । विरोधी पक्षकार सं. 1 से 3 ने उन पर लगाए गए आरोपों से उन्मुक्त होने के लिए प्रार्थना की । विचारण न्यायाधीश ने तारीख 26 मई, 2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा, दंड संहिता की धारा 302/304/307/201/427 और मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115/94 के अधीन मुख्य अभियुक्त सम्बिया को आरोपित करते हुए, उस मामले में के विरोधी पक्षकार सं. 1 से 3 को उन पर लगाए गए सभी आरोपों से उन्मुक्त कर दिया ।

6. विद्वान् लोक अभियोजक श्री मुखर्जी के साथ विद्वान् काउंसेल श्री अहमद और सुश्री सिन्हा ने यह दलील दी है कि अभियुक्तों को उन्मुक्त करने वाला आक्षेपित आदेश स्पष्टकारी आदेश नहीं है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 से 3 ने मुख्य अपराधी को संश्रय दिया था, अतः दंड संहिता की धारा 212 के अधीन उन पर आरोप विरचित किए जाने से इनकार करना अवैध था । यह भी दलील दी गई है कि साक्षियों के कथन से यह दर्शित होता है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 अपराध कारित किए जाने से अवगत था और उसने अपने पुत्र को गिरफ्तारी से बचने के लिए तत्काल कोलकाता छोड़ देने की सलाह दी थी । उसने अपने कर्मचारी को यह भी निर्देश दिया था कि वह अपने पुत्र के पते-ठिकाने या अपराध में प्रयोग किए गए वाहन के ब्यौरे पुलिस सहित किसी भी व्यक्ति को न बताए । लोक अभियोजक ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि अभिलेख पर ऐसी सामग्री भी प्रकट हुई है जिससे पता चलता है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 ने अपने अभिकर्ता मोहम्मद अहतिसान को रांची में यह निर्देश दिया था कि वह मुख्य अभियुक्त को सहायता के रूप में धन दे ताकि वह विधि की प्रक्रिया में हेर-फेर कर सके । विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा, विरोधी पक्षकार सं. 1 को अभिकथित अपराधों से उन्मुक्त करते समय, ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री को अनदेखा किया गया है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि उपरोक्त सामग्री से स्पष्ट रूप से अभिकथित अपराधों के संघटक प्रकट होते हैं और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दंड संहिता की धारा 201/212 के अधीन आरोप विरोधी पक्षकार सं. 1 के विरुद्ध विरचित किए जाने चाहिए थे ।

7. विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 के संबंध में, विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि वे अभिकथित घटना के ठीक पूर्व मुख्य अभियुक्त के साथ थे और उसके तत्काल पश्चात् सभी रांची भाग गए और उन्होंने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तारी से बचाने के लिए खूंटी में छिपा दिया । यह भी सामने आया है कि वे अभियुक्त कटक भागने की योजना बना रहे थे किन्तु तत्पश्चात् उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और वापस रांची में ही तारीख 15 जनवरी, 2016 तक ठहरे रहे और उसके पश्चात् वहां से चले गए । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट रूप से घोर संदेह होता है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 ने मुख्य अभियुक्त को यह जानते हुए संश्रय दिया था कि उसने अपराध कारित किया है और उन्हें इस कारण से उन्मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था ।

8. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार सं. 1 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री कबीर ने यह दलील दी है कि इस तथ्य से संबंधित सबसे ठोस यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त सम्बिया घटना घटित होने के पश्चात् घर के गैराज में आया था क्योंकि उस स्थान पर लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरे से प्राप्त किया गया वीडियो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया । उन्होंने यह भी दलील दी है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 को इस घटना के बारे में जानकारी थी और उसने न्याय से बचने के लिए अपने पुत्र को भाग जाने की सलाह दी थी क्योंकि राजेश मलिक के कथन से यह उपदर्शित नहीं होता है कि पिता और पुत्र के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत किस संबंध में थी । कॉल-चार्ट से निश्चायक रूप से यह बातचीत भी साबित नहीं होती है । विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलील के समर्थन में अनेक नजीरों का अवलंब लिया है जिनमें यह उल्लेख है कि मात्र किसी साक्षी से ऐसे अपराध के संबंध में जिसके बारे में अभियुक्त जानता था या उसे यह विश्वास था कि वह अपराध मिथ्या है, अभियुक्त के पते-ठिकाने के बारे में न बताने का निवेदन करना साक्ष्य छिपाने या कोई सूचना देने की कोटि में नहीं आता है । अतः, उसके मुवक्किल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 201 के अधीन कोई भी आरोप विरचित नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह भी दलील दी है कि मुख्य अभियुक्त को संश्रय देने के संबंध में प्रस्तुत की गई सामग्री निराधार है और इससे इस संबंध में घोर संदेह नहीं होता है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 ने अभिकथित अपराध में भाग लिया है ।

9. विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री रॉय ने यह दलील दी है कि उसके मुवक्किलों की अभिकथित भूमिका पर घटना की उत्पत्ति को दृष्टिगत करते हुए विचार किया जाना चाहिए था कि यह घटना तारीख 13 जनवरी, 2016 को प्रातःकाल से घटित होना आरंभ हुई है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आउडी कार के चालक सहित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत की गई थी और पब्लिक-मीडिया द्वारा यह दर्शाया गया कि उसके मुवक्किल भी वर्तमान मामले में संदिग्ध हैं । तद्नुसार, उनका मुख्य अभियुक्त के साथ होना, जैसा कि साक्षियों के कथन से पता चलता है, ऐसा कार्य नहीं माना जा सकता जिसे इस मामले में के मुख्य अपराधी सम्बिया को संश्रय देने की कोटि में रखा जा सके । यह भी दलील दी गई है कि मुख्य अपराधी के साथ मात्र मौजूद रहना, अपराधी को संश्रय देने की कोटि में नहीं आ

सकता और तद्नुसार, उसके मुवक्किलों को ठीक ही उन्मुक्त किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने संश्रय (हारबरिंग) शब्द की अनेक परिभाषाओं का अवलंब अपनी दलील के समर्थन में लिया है कि एक संदिग्ध अन्य किसी व्यक्ति को संश्रय नहीं दे सकता ।

10. मैंने अन्वेषण के दौरान प्राप्त की गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों की दलीलों पर विचार किया है । साक्षियों के कथनों से यह दर्शित होता है कि तारीख 13 जनवरी, 2016 को प्रातःकाल मुख्य अभियुक्त सम्बिया, जो सफेद आउडी कार चला रहा था, विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 जो स्कोडा कार (नं. डब्ल्यू बी 02 डब्ल्यू 05777) में थे, के साथ-साथ अपनी आउडी कार चला रहा था । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह भी पता चलता है कि घटना के ठीक पहले विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 मुख्य अभियुक्त जिसने अपनी कार तीव्र गति से रैड-रोड पर कई गार्ड-रेलिंगों को तोड़ते हुए चलाई, से अलग-अलग हो गए थे और मुख्य अभियुक्त ने भारतीय वायु सेना के एक कारपोरल अधिकारी की मृत्यु उस समय कारित की जब वह गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए परेड का अभ्यास कर रहे थे । मुख्य अभियुक्त के अत्यंत भयावह कृत्य से आहत की मृत्यु हुई है जिसके पश्चात् वह निकट के किसी स्थान पर अपनी कार छोड़कर घटनास्थल से भाग गया । इसके तत्काल पश्चात् मुख्य अभियुक्त ने अपने घर के गैराज में संश्रय ले लिया जो उनके नियोजक अर्थात् राजेश मलिक के नियंत्रणाधीन था । राजेश मलिक के कथन से यह दर्शित होता है कि मुख्य अभियुक्त सम्बिया ने मोबाइल फोन पर अपने पिता अर्थात् विरोधी पक्षकार सं. 1 से धीमी आवाज में बात की थी और उसके तुरन्त बाद उसके पिता ने अपने कर्मचारी राजेश से कहा कि वह उसके पुत्र सम्बिया और अपराध से संबंधित वाहन के पते-ठिकाने के बारे में किसी को न बताए । राजेश के कथन से यह भी पता चलता है कि मुख्य अभियुक्त ने उसे यह बताया था कि उसके पिता ने उसे यह निर्दिष्ट किया है कि वह तुरन्त कोलकाता से चला जाए । इसके तुरन्त बाद सम्बिया विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 से विरोधी पक्षकार सं. 3 के निवास पर मिला और वे सभी उपरोक्त स्कोडा कार से चले गए । इसके बाद स्कोडा कार को लावारिस छोड़ दिया गया और उपरोक्त व्यक्ति रांची में जाकर छिप गए । सरफराज, दानिश और हदीसा बीबी जैसे साक्षियों के कथनों से यह दर्शित होता है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 सहित मुख्य अभियुक्त ने षड्यंत्र रचा और सबसे पहले उन्होंने कटक जाने का इरादा किया किन्तु इसके

पश्चात् उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और खूंटी में स्थित हदीसा बीबी के निवास पर एक रात रुक गए । इसी दौरान, विरोधी पक्षकार सं. 1 ने अपने अभिकर्ता मोहम्मद अहतिसान से रांची में सम्पर्क किया और उससे अपने पुत्र सम्बिया, जो फरार था, को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता करने को कहा । इसके पश्चात् तारीख 15 जनवरी, 2016 को मोहम्मद अहतिसान से धन प्राप्त करने के पश्चात् मुख्य अभियुक्त विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 से अलग हो गया और कोलकाता चला गया । उसी दिन कोलकाता वापस पहुंचकर, मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया ।

11. यह दलील दी गई है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 द्वारा मोहम्मद अहतिसान को मुख्य अभियुक्त को धन दिए जाने के संबंध में जो निदेश दिया गया था वह मुख्य अभियुक्त को फरार होने के लिए नहीं अपितु उसे वापस कोलकाता जाकर स्वयं को पुलिस के समक्ष समर्पण करना था । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि मुख्य अभियुक्त सम्बिया पुलिस के समक्ष समर्पण करने गया था । इसके प्रतिकूल, यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण अभिक्रम ने फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया । मोहम्मद अहतिसान के कथन से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 ने उससे अपने पुत्र की सहायता करने के लिए धन देने को कहा था ताकि वह पुलिस के समक्ष समर्पण कर पाता । विरोधी पक्षकार सं. 1 की ऐसी तथ्यात्मक प्रतिरक्षा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से साबित नहीं होती है और इस प्रक्रम पर मुख्य अभियुक्त को संश्रय देने के आरोप से मुक्त करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 52क के अधीन संश्रय को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :–

> 52क. संश्रय – धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां कि संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो, संश्रय शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद, या प्रवहण के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता है ।

13. "संश्रय" शब्द की परिभाषा समावेशित प्रकृति की है जिसमें शरण, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध या गोलाबारूद या एक स्थान से

दूसरे स्थान जाने के साधन या उसकी गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसकी सहायता करना आता है । उपर्युक्त अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापक निबंधनों में लिया गया है जिसमें नैसर्गिक रूप से विरोधी पक्षकार सं. 1 द्वारा किए गए प्रयास सम्मिलित हैं जिनके अनुसार उसने अपने पुत्र को तत्काल कोलकाता छोड़ने का निर्देश दिया था और साथ ही उसने अपने कर्मचारी से कहा था कि वह अपने पुत्र के पते-ठिकाने के संबंध में पुलिस या किसी भी व्यक्ति को न बताए । शरण देने का उसका यह कृत्य इस आधार पर और अधिक आपराधिक हो जाता है कि उसने अपने अभिकर्ता मोहम्मद अहतिसान को रांची में अपने पुत्र को धन उपलब्ध कराने का निवेदन किया था और उसका पुत्र वहां छिपा हुआ था ।

14. घर के गैराज में लगे सी.सी.टी.वी. के फुटेज से प्राप्त "ठोस साक्ष्य" और कॉल-सूची तथा राजेश मलिक के कथन के बीच अभिकथित विरोधाभासों को अनदेखा करने के संबंध में विद्वान् काउंसेल की दलील से अभियोजन वृत्तांत अन्तर्निहित रूप से असंभावी नहीं हो सकता और न ही विरोधी पक्षकार सं. 1 के विरुद्ध बना प्रथमदृष्ट्या मामला निष्फल हो सकता है । आरोप विरचित किए जाने के प्रक्रम पर न्यायालय से यह अपेक्षित नहीं है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की संवीक्षा उसकी संभाव्यता को परखने के लिए करे अपितु न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल इस पर विचार करे कि मामला प्रथमदृष्टया बनता है या नहीं ।

15. यह भी दलील दी गई है कि फरार अभियुक्त का मात्र समर्थन करना या उसकी सहायता करना दंड संहिता की धारा 212 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है जब तक कि ऐसा अपराध कारित करने वाला अभियुक्त यह न जानता हो या उसे यह विश्वास न हो कि जिस व्यक्ति को वह संश्रय दे रहा है या छिपा रहा है, वह एक अपराधी है । विरोधी पक्षकार सं. 1 और मुख्य अभियुक्त के बीच पिता और पुत्र की नातेदारी और गोपनीय वार्तालाप, जो घटना के तत्काल पश्चात् उनके बीच हुआ था, को दृष्टिगत करते हुए युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 यह जानता था और उसके पास विश्वास करने का कारण था कि उसका पुत्र एक अपराधी है क्योंकि उसने अपने पुत्र को तत्काल कोलकाता छोड़ने की सलाह दी थी और तत्पश्चात् जब उसका पुत्र रांची में छिपा हुआ था तब उसे वित्तीय सहायता भी पहुंचाई थी ।

16. तथापि, यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि अभिलेख पर ऐसी

कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि विरोधी पक्षकार सं. 1 ने या तो साक्ष्य मिटाया था या ऐसे अपराध की सूचना दी थी जिसके बारे में वह जानता था या उसे यह विश्वास था कि अपराधी को मिथ्या रूप से बचाया जा रहा है । मेरे समक्ष ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि विरोधी पक्षकार सं. 1 से पुलिस द्वारा उसके पुत्र के पते-ठिकाने के संबंध में पूछताछ की गई थी । अतः, उसके पुत्र के पते-ठिकाने के संबंध में गलत या मिथ्या जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । उसके कर्मचारी को उसके पुत्र के पते-ठिकाने और अपराध में प्रयोग किए गए वाहन के ब्यौरे पुलिस या अन्य किसी भी व्यक्ति को न दिए जाने के संबंध में दिए गए निदेश से दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध नहीं बन सकता । उक्त दांडिक उपबंध के लागू किए जाने के लिए सबसे आवश्यक यह है कि अपराधी स्वयं मिथ्या या गलत सूचना स्वयं को छिपाने के लिए दे किन्तु अन्य किसी व्यक्ति को ऐसा निदेश देने से यह अपराध गठित नहीं हो सकता । साक्ष्य विलुप्त करने का अर्थ अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य विलुप्त करना है न कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराधी को पकड़े जाने से बचाना । **जोगता किकला** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में यदि विरोधी पक्षकार सं. 1 के आचरण पर उपरोक्त विधिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए, तब मेरे लिए यह स्वीकार करना कठिन होगा कि मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दंडनीय अपराध के आवश्यक संघटक विरोधी पक्षकार सं. 1 के संबंध में, प्रकट होते हैं ।

17. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए मेरा यह मत है कि विरोधी पक्षकार सं. 1 पर दंड संहिता की धारा 212 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने का संदेह होता है, किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से इस अपराध के संघटक इस पक्षकार के विरुद्ध प्रकट नहीं होते हैं ।

18. विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 की अपराध में भूमिका पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि वे घटना के तत्काल पश्चात् मुख्य अभियुक्त के साथ मौजूद थे । घटना के तुरन्त बाद सभी अभियुक्त रांची भाग गए और वे हदीसा बीबी के मकान में जाकर छिप गए । इसी दौरान उन्होंने कटक जाने की योजना बनाई किन्तु बाद में यह विचार बदल दिया । विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 का मुख्य अभियुक्त के साथ घटना के ठीक

---

[1] ए. आई. आर. 1962 गुजरात 225.

पूर्व और पश्चात् बना यह सहयोजन और उनका रांची में विभिन्न स्थानों पर एक साथ फरार होना स्पष्ट रूप से इस युक्तियुक्त विश्वास का द्योतक है कि उन्हें यह जानकारी थी कि सम्बिया वर्तमान मामले में का अपराधी है और उन्होंने सम्बिया को रांची में विभिन्न स्थानों पर छिपाने का प्रयास किया था ।

19. यह दलील दी गई है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 अन्वेषण के आरंभिक प्रक्रम पर यह समझ रहे थे कि वे भी हत्या के अपराध के अभियुक्त हैं । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने सह-अभियुक्त अर्थात् सम्बिया को संश्रय दिया था ।

20. मैंने इन निवेदनों पर सूक्ष्मता से विचार किया है किन्तु यह बात मेरी समझ से बाहर है कि "संश्रय" शब्द की परिभाषा, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 52क के अधीन परिभाषित है, के अन्तर्गत वह अभियुक्त नहीं आता है जिसने जानते हुए एक अन्य अभियुक्त को विधि के अधीन दंडित होने से बचाया था । इस संबंध में एकमात्र अपवाद पति/पत्नी है और कोई नहीं । इसके अतिरिक्त, संहिता में "संश्रय" शब्द की स्पष्ट और विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मत है कि निर्दिष्ट की गई विभिन्न शाब्दिक (कोश-विषयक) नजीरें बहुत ही कम संगत हैं । इस प्रकार, मेरा यह मत है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 और 3 के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 212 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के संबंध में प्रथमदृष्ट्या मामला प्रकट हुआ है ।

21. अन्त में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि मैंने इस बात पर गहराई से विचार किया है कि विचारण न्यायाधीश ने इस मामले में के विरोधी पक्षकार सं. 1 से 3 को उन पर लगाए गए आरोपों से उन्मुक्त करने के लिए बहुत ही संक्षिप्त और औपचारिक रीति में कार्य किया है । यद्यपि, न्यायालय से आरोप विरचित करते समय कारण अभिलिखित करना अपेक्षित नहीं हैं किन्तु फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अधीन कानूनी आदेश है कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों से उसे उन्मुक्त करने के लिए तर्कसम्मत कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए ।

22. मैंने विद्वान् न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का परिशीलन किया है किन्तु मैंने उनके द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में तनिक भी कोई ऐसा कारण नहीं पाया है जिसके आधार पर विरोधी पक्षकार सं. 1 से 3 को वर्तमान मामले में उन्मुक्त किया जाना चाहिए । यह ध्यान में रखना चाहिए कि

अभियुक्तों को निराधार उन्मुक्त करने से विचारण सम्यक् रूप से प्रभावित होता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल आहत पर पड़ता है अपितु वे अभियुक्त भी प्रभावित होते हैं जो अभिरक्षा में रहते हुए विचारणाधीन होते हैं जैसा कि वर्तमान मामले में है ।

23. उपर्युक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए मैं विरोधी पक्षकार सं. 1 से 3 को वर्तमान मामले में उन्मुक्त किए जाने की सीमा तक आक्षेपित आदेश को अपास्त करता हूं । विचारण न्यायालय को विरोधी पक्षकार सं. 1 से 3 को दंड संहिता की धारा 212 के अधीन आरोप विरचित करने का निदेश दिया जाता है ।

24. मैं यह स्पष्ट करता हूं कि पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर यदि तर्कसम्मत साक्ष्य से उक्त अपराध के संघटक प्रकट होते हैं जो विचारण के दौरान अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं विरोधी पक्षकार सं. 1 का दंड संहिता की धारा 201 के अधीन आरोप से उन्मुक्त होना उक्त आरोप को विरचित करने में विचारण न्यायालय के समक्ष रुकावट नहीं बनेगा । मैं यह भी मत व्यक्त करता हूं कि इस आवेदन का निपटारा करते समय मेरे द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों का विचारण के पश्चात्वर्ती प्रक्रम से कोई लेना-देना नहीं होगा और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विचारण प्रक्रिया प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक विधि के अनुसरण में इस आदेश में की गई किसी भी मताभिव्यक्ति से प्रभावित हुए बिना विनिश्चित की जाएगी ।

विचारण न्यायालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह विचारण प्रक्रिया समीचीन करे और यह ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त अभिरक्षा में रहते हुए विचारणाधीन है, निकट भविष्य में कोई तारीख नियत करे ।

तद्नुसार, पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है ।

इस आदेश की अधिप्रमाणित प्रति, यदि आवेदन किया जाए, पक्षकारों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर तत्काल दी जाएगी ।

तद्नुसार, आदेश किया गया ।

अस.

लालवनेहा

बनाम

मिजोरम राज्य और एक अन्य

तारीख 12 मई, 2017

न्यायमूर्ति माइकल जोथनखुमा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 अपवाद-4 और 304, भाग I [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा मृतक की चाकू से हत्या किया जाना – आरोप विरचित किए जाने के दौरान अपीलार्थी द्वारा अपना दोष स्वीकार किए जाने, उसके संस्वीकृत कथन से तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन से साबित हो जाता है कि अपीलार्थी धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304 के अधीन मृतक की मृत्यु कारित करने का दोषी है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304, भाग I – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – घटना के समय अपीलार्थी की आयु 62 वर्ष होना – घटना के समय अपीलार्थी का प्रकोपित होना – पहले कभी किसी अपराध में आलिप्त न रहना – घटना के समय अपीलार्थी की वृद्धावस्था तथा उसका पहले कभी किसी अपराध में आलिप्त न होने को दृष्टिगत करते हुए कारावास की अवधि सात वर्ष से घटाकर छह वर्ष करना न्यायोचित होगा ।

इस मामले में अपीलार्थी ने मृतक की चाकू मारकर मृत्यु कारित की है । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध से आरोपित किया किन्तु धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया साथ ही उसे सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारा 304 के अधीन कायम रखी किन्तु दण्ड में रियायत करते हुए कठोर कारावास की अवधि सात वर्ष से घटाकर छह वर्ष कर दी । विचारण न्यायालय के निर्णय को उपरोक्त रूप में कायम रखते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि पूर्णतया इनकार किए जाने, मौन बने रहने और

अपराधजन्य सामग्री के संबंध में स्पष्टीकरण न देने की स्थिति में न्यायालय विधि के अनुसरण में अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का हकदार होगा । वर्तमान मामले में, आरोप विरचित किए जाने के दौरान अपीलार्थी द्वारा अपना दोष स्वीकार किया जाना, उसका संस्वीकृति कथन, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 3) का कथन जैसी सभी बातें अपीलार्थी के दोषी होने की ओर इशारा करती हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के समय उसके मौन रहने और घटना से इनकार करने तथा ऊपर कथित अन्य साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियुक्त मृतक की मृत्यु कारित करने का दोषी है । तथापि, जैसा कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए यह अपराध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु दंड संहिता की धारा 304 के अधीन गठित होता । (पैरा 18)

इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि में कोई भी कमी नहीं है । तथापि, अपीलार्थी की घटना के समय वृद्धावस्था अर्थात् 62 वर्ष की आयु तथा अपीलार्थी के प्रकोपन और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि अपीलार्थी कभी भी इस प्रकृति के अपराध में आलिप्त नहीं रहा है, यह न्यायालय तारीख 22 अप्रैल, 2016 को अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित दंडादेश को उपान्तरित करता है और अपीलार्थी को छह वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त दो मास का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट करता है । (पैरा 19)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 5 एस. सी. सी. 353 =
ए. आई. आर. 2014 एस. सी. (सप्ली.) 1109 :
राजकुमार बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 18

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 28.

2015 के दांडिक विचारण मामला सं. 271 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, आइजोल द्वारा तारीख 20 अप्रैल, 2016 को पारित निर्णय और तारीख 22 अप्रैल, 2016 को पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री जॉनी एल. टोचोंग (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थियों की ओर से सुश्री लिन्डा एल. फेमबाल (अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति माइकल जोथनखुमा – विद्वान् न्यायमित्र श्री जॉनी एल. टोचोंग को सुना गया है । अपर लोक अभियोजक सुश्री लिन्डा एल. फेमबाल की भी सुनवाई की गई है ।

2. वर्तमान अपील 2015 के दांडिक विचारण मामला सं. 271 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, आइजोल द्वारा तारीख 20 अप्रैल, 2016 को पारित निर्णय और तारीख 22 अप्रैल, 2016 को पारित दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 2,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर दो मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया था ।

3. संक्षेप में, अभियोजन वृत्तांत इस प्रकार है कि तारीख 11 सितंबर, 2014 को लगभग 6.10 बजे पूर्वाह्न में लल्लोमकीमा पुत्र रोकुंगा (एल) निवासी बिलखोतलीर क्वालमावी द्वारा इस संबंध में लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उसका चाचा वनलालता (आयु 48 वर्ष) को तारीख 10 सितंबर, 2014 को लगभग 7 बजे अपराह्न में अपीलार्थी द्वारा चाकू मारा गया है जिसके परिणामस्वरूप आहत वनलालता की प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, बिलखोतलीर को जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई । तारीख 11 सितंबर, 2014 को पुलिस थाना वेरन्टे में मामला सं. 51/2014 दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज कराया गया और मामले में अन्वेषण किया गया ।

4. आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, तारीख 19 मार्च, 2015 को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया । अपीलार्थी ने आरोप पर विचार किए जाने के दौरान, मृतक को चाकू मारने का दोषी होने का अभिवाक् किया जिसकी मृत्यु चाकू लगने से हो गई थी । अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया कि उसने आहत की पिटाई भूल से कर दी थी क्योंकि आहत उसके अंडे चोरी किया करता था ।

5. विचारण न्यायालय ने कुल मिलाकर 9 अभियोजन साक्षियों और एक प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा कराई । विचारण न्यायालय ने तारीख 12 सितंबर, 2014 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थी के संस्वीकृति कथन पर भी विचार किया जिसमें

अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया उसने मृतक की बाईं ओर की पसलियों में चाकू मारा था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा कराई जाने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 2,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त दो मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया ।

6. विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी है कि तारीख 20 अप्रैल, 2016 का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषी होने का निष्कर्ष चाकू और कपड़ों पर लगे रक्त के धब्बों से संबंधित न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बिना निकाला है । विद्वान् न्यायमित्र ने यह भी दलील दी है कि अपीलार्थी को वर्तमान मामले में मिथ्या फंसाया गया है क्योंकि मृतक की हत्या खोलरेमतंगा नामक व्यक्ति के मकान में की गई थी जिसकी पत्नी के साथ अपीलार्थी का अभिकथित रूप से प्रेम प्रसंग चल रहा था ।

7. दूसरी ओर, अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी ने आरोप विरचित किए जाने के दौरान और संस्वीकृति कथन अभिलिखित किए जाने के समय पर यह स्वीकार किया है कि उसने मृतक को चाकू मारा है । अपर लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के कथन में यह उल्लेख है कि उसे यह याद नहीं है कि उसने मृतक को चाकू मारा था या नहीं क्योंकि उस समय अपीलार्थी बुरी तरह शराब के नशे में था । अपर लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3, जो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, का साक्ष्य इस संबंध में है कि अपीलार्थी ने मृतक पर चाकू से वार किया है । इस प्रकार अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी की अपील में कोई सार नहीं है और यह खारिज की जानी चाहिए ।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है ।

9. अपीलार्थी ने आरोप विरचित किए जाने के दौरान यह कथन किया है कि उसने आहत के साथ गलती से मारपीट की थी क्योंकि वह अपीलार्थी के अंडे चोरी किया करता था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थी का संस्वीकृति कथन निम्न प्रकार है :–

> "बिलखोतलीर के निवासी वनलालता (आयु 48 वर्ष) मेरा मित्र है । हम एक साथ मद्यपान किया करते थे । मैं मुर्गीपालन का काम

करता हूं और साथ ही अंडों का उत्पादन भी करता हूं । वनलालता मेरे लिए अंडे चोरी करता था । जब मैंने उससे मालूम किया कि वह मेरे अंडे क्यों खा जाता है, इस पर उसने इनकार किया और यह बहाना बनाया कि अंडे चूहे खा जाते होंगे । इस प्रकार मेरे अंडे कम होते गए । एक दिन एक अंडा फिर से गायब हुआ और हम दोनों में कहा-सुनी हो गई । उसने मेरी दाईं भौंह पर घूसा मारा और आज भी मेरी भौंह पर क्षति है । जब उसने मुझे घूसा मारा था हम दोनों मेरे घर के अन्दर थे । मैं सब्जी काटने में व्यस्त था । जैसे ही उसने मुझे घूसा मारा, वह तुरन्त बाहर की ओर भागा और श्री कालरेमतंगा के घर में घुस गया जो मेरे घर से लगभग तीसरा मकान था । क्योंकि मैं अत्यंत क्रोध में था, मैं रसोई का चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ा । मैंने वनलालता को उस मकान से बाहर निकलने को ललकारा । जब उसने इनकार कर दिया, तब मैं उस मकान में चला गया और मैंने उसकी बाईं ओर की पसलियों पर चाकू से उस समय वार किया जब वह शांत खड़ा हुआ था ।"

10. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी द्वारा किया गया कथन मूल रूप से इस संबंध में है कि उसे एक रात पहले घटित हुई घटना याद नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह मत्तता की हालत में था ।

11. अभि. सा. 2 का साक्ष्य इस संबंध में है कि जब मृतक अभि. सा. 2 के घर पर सिगरेट और पान खरीदने आया था, तब अपीलार्थी उस दुकान पर आया था और उसने अपीलार्थी पर दो अंडे चोरी करने का आरोप लगाया था । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने मृतक को दबोच लिया था और उसके बाईं ओर चाकू से वार किया था । अभि. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को अपने घर से धक्का देकर बाहर किया था और उससे कहा था कि अपीलार्थी ने उसके घर में जो कुछ किया है वह उससे खिन्न है । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी ने यह कहा था कि अगर उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो वह कोई भी शिकायत नहीं करेगा । इसके पश्चात् जब मृतक के शरीर से रक्त बह रहा था तब अभि. सा. 2 ने मृतक की देखभाल की । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसकी पत्नी लालखुमी और लल्लामावमा मृतक को आटोरिक्शा से प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले गए किन्तु मृतक की रास्ते में ही मृत्यु हो गई । अभि. सा. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में जो साक्ष्य दिया है उसकी पुष्टि निम्न प्रकार की गई है :–

"लालवनेहा हमारे घर आया था और उस समय मेरी पत्नी

हमारी दुकान पर सिगरेट और पान लेने गई थी । मेरी पत्नी उस स्थान पर मुझसे पहले ही पहुंच गई थी जहां लालवनेहा और लालता मौजूद थी । मैं उस समय टेलीविजन देख रहा था जब यह घटना घटित हुई थी, मैं इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हूं । मेरी पत्नी ने इस घटना के बारे में बताया था इसलिए मैं वहां गया और लालवनेहा को घर से बाहर धकेला । जब वह अन्दर आया था, लालवनेहा ने अपनी धोती के चारों ओर गमछा लपेटा हुआ था, मैंने उसे चाकू हाथ में लिए हुए नहीं देखा था । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लालवनेहा ने लालता को चाकू नहीं मारा ।"

12. अभि. सा. 3 का साक्ष्य निम्न प्रकार है :–

"मैं अभियुक्त लालवनेहा को जानती हूं, वह मेरा पड़ोसी है, उसके और हमारे मकान के बीच में तीन मकान हैं ।

तारीख 10 सितंबर, 2014 की रात में वनलालता हमारे घर लगभग 7 बजे अपराह्न में भोजन के पश्चात् आया । हमने एक साथ टेलीविजन देखा, जब हम टेलीविजन देख रहे थे अभियुक्त लालवनेहा ने वनलालता को बाहर से बार-बार पुकारा, उसने हमारे घर से बाहर जाने को कहा और उसकी ओर अंगुलि भी उठाई । अभियुक्त वनलालता पर अंडे चोरी करने का आरोप लगा रहा था । वनलालता ने अभियुक्त से कहा कि मैंने तुम्हारे अंडे चोरी नहीं किए हैं न ही मैंने अंडे लिए हैं । अभियुक्त लालवनेहा हमारे घर के अन्दर आया, वह कमीज पहने हुए नहीं था और उसने अपनी धोती के चारों ओर गमछा लपेटा हुआ था । उसने बैठे हुए वनलालता को दबोच लिया, वनलालता ने मेरे पति को आवाज लगाई यू थांग, उसके हाथ में चाकू था । मैं और मेरा पति तुरन्त उनके निकट गए, वनलालता पहले ही नीचे गिर चुका था । अभियुक्त ने उस पर पुनः चाकू से वार करने का प्रयास किया और मेरे पति ने उसे पीछे से पकड़ लिया । मैंने उसके हाथ से चाकू छीनकर अपने घर के बाहर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया । अभियुक्त ने वनलालता को बाईं ओर चाकू मारा था । घटना के पश्चात्, मैंने वनलालता के भतीजे अर्थात् लालोमोमा को बुलाया और हम वनलालता को अस्पताल ले गए । अस्पताल जाते समय रास्ते में ही वनलालता की मृत्यु हो गई । अभियुक्त लालवनेहा का सदैव क्रूरतापूर्ण आचरण रहा है ।"

13. चिकित्सक (अभि. सा. 8) के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक को कटी हुई क्षतियां पहुंची थीं और यह भी दर्शित होता है कि बाएं फेफड़े के ऊपर और निचले पिंड में विदीर्ण घाव हैं और वक्षीय गुहा में

लगभग दो लीटर रक्त मौजूद है । बाएं फेफड़े में कारित हुई क्षति के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई है ।

14. अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य मूल रूप से इस संबंध में है कि उसने अपराध में प्रयोग किए गए आयुध को अभिगृहीत किया है और साक्षियों और अभियुक्त की परीक्षा किए जाने से पूछताछ करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला गठित पाया गया ।

15. एकमात्र प्रतिरक्षा साक्षी (डी. डब्ल्यू. 1) का साक्ष्य इस संबंध में है कि मृतक का प्रेम प्रसंग खोलरेमतंगा की पत्नी के साथ चल रहा था जिसके घर में यह घटना घटित हुई है ।

16. अपीलार्थी द्वारा ली गई यह प्रतिरक्षा कि पूरी तरह मत्तता की हालत में होने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए अपराध से नहीं बचा सकती कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी को शराब उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी जानकारी में लाए बिना किसी व्यक्ति द्वारा पिलाई गई थी ।

17. दंड संहिता की धारा 86 निम्न प्रकार है :–

> "86. **किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय का ज्ञान का होना अपेक्षित है** – उन दशाओं में, जहां कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, कोई व्यक्ति, जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानों उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता जब तक कि वह चीज, जिससे उसे मत्तता हुई थी, उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो ।"

18. **राजकुमार** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पूर्णतया इनकार किए जाने, मौन बने रहने और अपराधजन्य सामग्री के संबंध में स्पष्टीकरण न देने की स्थिति में न्यायालय विधि के अनुसरण में अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का हकदार होगा । वर्तमान मामले में, आरोप विरचित किए जाने के दौरान अपीलार्थी द्वारा अपना दोष स्वीकार किया जाना, उसका संस्वीकृति कथन, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 3) का कथन जैसी

---

[1] (2014) 5 एस. सी. सी. 353 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. (सप्ली.) 1109.

सभी बातें अपीलार्थी के दोषी होने की ओर इशारा करती हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के समय उसके मौन रहने और घटना से इनकार करने तथा ऊपर कथित अन्य साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियुक्त मृतक की मृत्यु कारित करने का दोषी है । तथापि, जैसा कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए यह अपराध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु दंड संहिता की धारा 304 के अधीन गठित होता ।

19. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि में कोई भी कमी नहीं है । तथापि, अपीलार्थी की घटना के समय वृद्धावस्था अर्थात् 62 वर्ष की आयु तथा अपीलार्थी के प्रकोपन और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि अपीलार्थी कभी भी इस प्रकृति के अपराध में आलिप्त नहीं रहा है, यह न्यायालय तारीख 22 अप्रैल, 2016 को अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित दंडादेश को उपान्तरित करता है और अपीलार्थी को छह वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त दो मास का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट करता है ।

20. दांडिक विचारण मामला सं. 271/2015 में दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपर सेशन न्यायाधीश, आइजोल द्वारा तारीख 20 अप्रैल, 2016 को पारित निर्णय एतद्द्वारा कायम रखा जाता है ।

21. तथापि, तारीख 22 अप्रैल, 2016 को पारित दंडादेश उपरोक्त सीमा तक उपान्तरित किया जाता है ।

22. तद्नुसार अपील का निपटारा किया जाता है ।

23. विद्वान् न्यायमित्र श्री जॉनी एल. टोचोंग द्वारा दी गई विधिक सहायता को दृष्टिगत करते हुए 7,500/- रुपए प्रतिमास फीस के रूप में नियत किए जाते हैं जिसका संदाय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

24. निचले न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाता है ।

अपील का निपटारा किया गया ।

अस.

दीना नाथ और अन्य

बनाम

राज्य (दिल्ली)

तारीख 15 फरवरी, 2017

न्यायमूर्ति पी. एस. तेजी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304 भाग 2 और 34 – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – जहां साक्षियों के साक्ष्य, मामले की परिस्थितियों और चिकित्सीय साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तों ने यह जानते हुए क्षति पहुंचाई कि पीड़ित को धारदार हथियार से मारने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, वहां अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 304 के बजाय धारा 304 भाग 2 के अधीन दंडित किया जाना न्यायोचित होगा ।

अभियोजन पक्ष के अभिलेख से उद्भूत तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 22 अप्रैल, 1997 को लगभग 10 बजे अपराह्न में जब इत्तिलाकर्ता मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) अगार नगर, कच्चा कालोनी में स्थित अपने घर लौटा, उसे पता चला कि उसके पड़ोसी की उसके बच्चों के साथ दिन के समय कहासुनी हो गई है । इस पर, मोहिन्दर सिंह ने दीना नाथ से मालूम किया और उसने अपने बच्चों के साथ झगड़ा करने पर आक्षेप किया, अपीलार्थी दीना नाथ 2/3 व्यक्तियों के साथ मिलकर, जो उसी के पड़ोस में रहते थे, मोहिन्दर सिंह और उसके मौसा अशोक की लाठियों और डंडों से पिटाई की । अपीलार्थी दीना नाथ ने किसी धारदार वस्तु से मोहिन्दर सिंह के उदर में क्षति पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप मोहिन्दर सिंह के शरीर से रक्त बहने लगा । जब श्रीमती अंगूरी (अभि. सा. 2), जो कि सास है और बनवारी, मोहिन्दर सिंह को बचाने आए, तब उनके साथ भी मारपीट की गई है । इसके पश्चात् अभियुक्त भाग गए । पुलिस थाना सुल्तानपुरी में एक सूचना दैनिक डायरी सं. 91बी के अनुसार प्राप्त हुई और हैड कांस्टेबल उम्मेद सिंह द्वारा अन्वेषण किया गया । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आहतों को अस्पताल ले जाया गया । हैड कांस्टेबल उम्मेद सिंह अस्पताल पहुंचा और उसने आहतों के चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्राप्त किए । मोहिन्दर सिंह का कथन अभिलिखित किया

गया जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन मामला दर्ज कराया गया । घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, स्थल-नक्शा तैयार किया गया, अन्य साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए और इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दंड संहिता की धारा 307/323 भी जोड़ी गई । अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । आहत अशोक कुमार का उपचार अनेक अस्पतालों में किया गया किन्तु परिणामतः तारीख 10 जुलाई, 1997 को उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस उप निरीक्षक सांवरमल द्वारा मृत्यु समीक्षा कराई गई और मृतक अशोक के शव का शवपरीक्षण भी कराया गया । तद्नुसार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दंड संहिता की धारा 302 और जोड़ी गई । अन्वेषण पूरा होने पर, न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया और अपीलार्थियों के विरुद्ध तारीख 28 मई, 1999 को दंड संहिता की धारा 323/304/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिस पर अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । अपीलार्थी-अभियुक्त जैनुल्लाह विचारण के लंबित रहने के दौरान फरार हो गया और उसे अपराधी उद्घोषित किया गया और केवल तीन अपीलार्थियों का विचारण किया गया । अपीलार्थियों का दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों की परीक्षा की । ये साक्षी मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1), श्रीमती अंगूरी देवी (अभि. सा. 2), सहायक उप निरीक्षक धर्म सिंह, विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग (अभि. सा. 3), हैड कांस्टेबल सतबीर सिंह (अभि. सा. 4), उप निरीक्षक मनोहर लाल (अभि. सा. 5), थाना सुल्तानपुरी के भारसाधक अधिकारी जे. एस. मलिक (अभि. सा. 6), डा. अशोक जयसवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सब्जी मंडी, शवगृह, सिविल अस्पताल, दिल्ली (अभि. सा. 7), उप निरीक्षक सांवरमल, चतुर्थ बटालियन, डी. ए. पी. (अभि. सा. 8), हैड कांस्टेबल उम्मेद सिंह (अभि. सा. 9), डी. डी. यू. अस्पताल का अभिलेख लिपिक जे. सी. वशिष्ठ (अभि. सा. 10) और इसी अस्पताल के चिकित्सक डा. एस. के. शर्मा (अभि. सा. 11) हैं । अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण अपराधजन्य साक्ष्य अपीलार्थियों के समक्ष रखा गया और उनके कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए जिनमें उन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की । अपीलार्थियों ने अपनी प्रतिरक्षा में चार साक्षियों अर्थात् जयश्री लाल (प्रतिरक्षा साक्षी 1), सुरिन्दर तिवारी (प्रतिरक्षा साक्षी 2), चन्नू तिवारी (प्रतिरक्षा साक्षी 3) और अमर नाथ (प्रतिरक्षा साक्षी 4) की

परीक्षा कराई । मामले के तथ्यों और दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपस्थित सामग्री पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304/307/323/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपने निर्णय द्वारा दोषसिद्ध किया और उपरोक्त रूप में दंडादिष्ट किया । इसीलिए, आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटान करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री से यह सिद्ध हो गया है कि घटना के दिन, मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी दीना नाथ द्वारा धारदार आयुध से क्षति कारित की गई है । अन्य अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए धारा 34 के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है किन्तु अपीलार्थी चन्द्रेश्वर गिरी और रविन्दर तिवारी के विरुद्ध आहत मोहिन्दर को किसी भी आयुध से क्षति कारित करने का कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी चन्द्रेश्वर गिरी और रविन्दर तिवारी को दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन दोषसिद्ध करने का कोई आधार नहीं है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अपराध में उनकी कोई भी विशेष भूमिका न हो, दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने वाले आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक उपान्तरित किया जाता है कि मात्र अपीलार्थी दीना नाथ दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है । तद्नुसार, अपीलार्थी चन्द्रेश्वर और रविन्दर तिवारी को दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । जहां तक दंड संहिता की धारा 304/34 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किए जाने का संबंध है, इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थियों को प्रारंभ में दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन अपराध के लिए आलिप्त किया गया था और आहत अशोक की मृत्यु के पश्चात् उनका विचारण दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किया गया । मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) के साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि जब उसने अपीलार्थी दीना नाथ से मालूम किया और इस पर आपत्ति की कि उसने उसके बच्चों के साथ झगड़ा क्यों किया है तब अपीलार्थी दीना नाथ अन्य अभियुक्तों के साथ, जो उसके पड़ोस में रहते थे, मोहिन्दर सिंह और उसके मौसा अशोक पर लाठियों और डंडों से मारपीट करने लगा । इस

झगड़े के दौरान अपीलार्थी दीना नाथ ने किसी धारदार आयुध से मोहिन्दर सिंह के उदर पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से रक्त बहने लगा । जब श्रीमती अंगूरी (अभि. सा. 2), जो मोहिन्दर सिंह की सास है और बनवारी उसे बचाने आए, तब अपीलार्थियों ने उनके साथ भी लाठी और डंडों से मारपीट की । अपीलार्थियों के इन कृत्यों से तारीख 10 जुलाई, 1997 को आहत अशोक की मृत्यु हो गई । मृतक अशोक की शवपरीक्षण रिपोर्ट का परिशीलन किया गया है, जिससे यह दर्शित होता है कि डी. 2 और डी. 3 कशेरुक में विरूपता है और पुराना अस्थिभंग दिखाई पड़ता है और मृतक ट्रामैटिक पैराप्लेजिया से पीड़ित था । चिकित्सक ने यह राय दी है कि मृत्यु के समय मृतक के शरीर में बिस्तर पर पड़े रहने के कारण घाव हो गए थे और उसकी मृत्यु रक्तपूतिता के परिणामस्वरूप हुई थी जिसका संबंध ट्रामैटिक पैराप्लेजिया से था । मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) और अंगूरी देवी (अभि. सा. 2) के अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक अशोक के कंधे और पीठ पर लाठियों और डंडों से वार किए गए थे और मृतक के सिर पर भी निर्दयतापूर्ण हमला किया गया था और उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर क्षतियां कारित हुई थीं । इस न्यायालय की सुविचारित राय के अनुसार अभिलेख पर यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री मौजूद है कि सभी अभियुक्तों ने मृतक के साथ मारपीट की है और इन्हीं क्षतियों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त को क्षति पहुंचाने के संबंध में विशेष रूप से प्रत्येक अभियुक्त-अपीलार्थी की भूमिका स्पष्ट की है । मामले की संवीक्षा करने पर, न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता कि आहत अशोक को अपीलार्थी और आहत व्यक्तियों के बीच झगड़ा होने के दौरान क्षतियां पहुंची थीं और घटना के तीन मास के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई थी । मृतक अशोक की शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी मेरूरज्जु में क्षति कारित हुई थी जिसमें पहले कभी अस्थिभंग हुआ था और उसी के परिणामस्वरूप डी. 2 और डी. 3 कशेरुक में विरूपता आई है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा मृतक के बाएं कंधे और पीठ पर क्षति कारित की गई थी जिसके कारण उसे ट्रामैटिक पैराप्लेजिया हो गया था । मामले के तथ्यों के आधार पर और इस न्यायालय की सुविचारित राय के अनुसार अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304 (भाग 2)/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने का एक उचित मामला है, चूंकि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि अपीलार्थियों का आशय आहत की हत्या कारित

करने का था बल्कि अपीलार्थियों द्वारा मृतक के शरीर पर कारित की गई क्षतियों से यह दर्शित होता है कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी थी कि उनके द्वारा मृतक अशोक की पिटाई किए जाने से मृत्यु हो सकती है । तद्नुसार, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 3 सितंबर, 2002 को पारित किए गए निर्णय को दंड संहिता की धारा 304 (भाग 2) के अधीन उपान्तरित करते हुए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया जाता है । जहां तक दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का संबंध है, आहत साक्षी मोहिन्दर सिंह, अंगूरी देवी और बनवारी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थियों द्वारा झगड़े के दौरान उन पर भी हमला किया गया था । अंगूरी देवी और बनवारी के अभिसाक्ष्य के अनुसार उन्हें क्षतियां पहुंची थीं । चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार उन्हें साधारण क्षतियां पहुंची थीं और यह सम्यक् रूप से सिद्ध हो गया है कि ये क्षतियां उन्हें अपीलार्थियों द्वारा कारित की गई थीं । उपरोक्त चर्चा तथा इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, इस न्यायालय को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए तारीख 3 सितंबर, 2002 के इस आक्षेपित निर्णय में कोई भी अवैधता या कमी दिखाई नहीं देती है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । तथापि, यह न्यायालय अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन उपान्तरित करता है और अपीलार्थी दीना नाथ को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करता है और अन्य अभियुक्तों-अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए कोई भी न्यायोचित्य न पाते हुए, दीना नाथ को छोड़कर सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । साथ ही वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए, यह न्यायालय दंड संहिता की धारा 304/34 के अधीन की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 (भाग 2)/34 के अधीन उपान्तरित करता है । (पैरा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 10 एस. सी. सी. 259 =
2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5701 :
अब्दुल सईद बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 23

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील सं. 766.

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, दिल्ली के तारीख 3 सितंबर, 2002 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. पी. त्रिपाठी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुदर्शन जून (अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति पी. एस. तेजी – वर्तमान अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित तारीख 3 सितंबर, 2002 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई है और इस निर्णय के अनुसार अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304/307/323/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया था और तारीख 5 सितंबर, 2002 को दंडादिष्ट किया गया था जिसके द्वारा अपीलार्थियों को 3 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक अपीलार्थी को 1,000/- रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने से अतिरिक्त 6 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । प्रत्येक अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए 1,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के अतिरिक्त कठोर कारावास दंडादिष्ट किया गया । दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थियों को पृथक् रूप से एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया ।

2. अभियोजन पक्ष के अभिलेख से उद्भूत तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 22 अप्रैल, 1997 को लगभग 10 बजे अपराह्न में जब इत्तिलाकर्ता मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) अगार नगर, कच्चा कालोनी में स्थित अपने घर लौटा, उसे पता चला कि उसके पड़ोसी की उसके बच्चों के साथ दिन के समय कहासुनी हो गई है । इस पर, मोहिन्दर सिंह ने दीना नाथ से मालूम किया और उसने अपने बच्चों के साथ झगड़ा करने पर आक्षेप किया, अपीलार्थी दीना नाथ 2/3 व्यक्तियों के साथ मिलकर, जो उसी के पड़ोस में रहते थे, मोहिन्दर सिंह और उसके मौसा अशोक की लाठियों और डंडों से पिटाई की । अपीलार्थी दीना नाथ ने किसी धारदार वस्तु से मोहिन्दर सिंह के उदर में क्षति पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप मोहिन्दर सिंह के शरीर से रक्त बहने लगा । जब श्रीमती अंगूरी (अभि. सा. 2), जो कि सास है और बनवारी, मोहिन्दर सिंह को बचाने आए, तब उनके साथ भी मारपीट की गई है । इसके पश्चात् अभियुक्त भाग गए । पुलिस थाना

सुल्तानपुरी में एक सूचना दैनिक डायरी सं. 91बी के अनुसार प्राप्त हुई और हैड कांस्टेबल उम्मेद सिंह द्वारा अन्वेषण किया गया । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आहतों को अस्पताल ले जाया गया । हैड कांस्टेबल उम्मेद सिंह अस्पताल पहुंचा और उसने आहतों के चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्राप्त किए । मोहिन्दर सिंह का कथन अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन मामला दर्ज कराया गया । घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, स्थल-नक्शा तैयार किया गया, अन्य साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए और इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दंड संहिता की धारा 307/323 भी जोड़ी गई । अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । आहत अशोक कुमार का उपचार अनेक अस्पतालों में किया गया किन्तु परिणामतः तारीख 10 जुलाई, 1997 को उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस उप निरीक्षक सांवरमल द्वारा मृत्यु समीक्षा कराई गई और मृतक अशोक के शव का शवपरीक्षण भी कराया गया । तद्नुसार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दंड संहिता की धारा 302 और जोड़ी गई ।

3. अन्वेषण पूरा होने पर, न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया और अपीलार्थियों के विरुद्ध तारीख 28 मई, 1999 को दंड संहिता की धारा 323/304/34 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिस पर अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । अपीलार्थी-अभियुक्त जैनुल्लाह विचारण के लंबित रहने के दौरान फरार हो गया और उसे अपराधी उद्घोषित किया गया और केवल तीन अपीलार्थियों का विचारण किया गया ।

4. अपीलार्थियों का दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों की परीक्षा की । ये साक्षी मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1), श्रीमती अंगूरी देवी (अभि. सा. 2), सहायक उप निरीक्षक धर्म सिंह, विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग (अभि. सा. 3), हैड कांस्टेबल सतबीर सिंह (अभि. सा. 4), उप निरीक्षक मनोहर लाल (अभि. सा. 5), थाना सुल्तानपुरी के भारसाधक अधिकारी जे. एस. मलिक (अभि. सा. 6), डा. अशोक जयसवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सब्जी मंडी, शवगृह, सिविल अस्पताल, दिल्ली (अभि. सा. 7), उप निरीक्षक सांवरमल, चतुर्थ बटालियन, डी. ए. पी. (अभि. सा. 8), हैड कांस्टेबल उम्मेद सिंह (अभि. सा. 9), डी. डी. यू. अस्पताल का अभिलेख लिपिक जे. सी. वशिष्ठ (अभि. सा. 10) और इसी अस्पताल के चिकित्सक डा. एस. के. शर्मा (अभि. सा. 11) हैं ।

5. अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण अपराधजन्य साक्ष्य अपीलार्थियों के समक्ष रखा गया और उनके कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए जिनमें उन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की । अपीलार्थियों ने अपनी प्रतिरक्षा में चार साक्षियों अर्थात् जयश्री लाल (प्रतिरक्षा साक्षी 1), सुरिन्दर तिवारी (प्रतिरक्षा साक्षी 2), चन्नू तिवारी (प्रतिरक्षा साक्षी 3) और अमर नाथ (प्रतिरक्षा साक्षी 4) की परीक्षा कराई ।

6. मामले के तथ्यों और दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपस्थित सामग्री पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304/307/323/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपने निर्णय द्वारा दोषसिद्ध किया और उपरोक्त रूप में दंडादिष्ट किया । इसीलिए, आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है ।

7. महत्वपूर्ण साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर विचार करते हुए अपीलार्थियों के काउंसेल ने अभियोजन पक्षकथन में महत्वपूर्ण विरोधाभासों पर बल दिया है और यह प्रतिवाद किया है कि अभियोजन वृत्तांत के अनुसार झगड़ा अभि. सा. 1 के बच्चों और अपीलार्थी दीना नाथ के बच्चों के बीच हुआ था किन्तु अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके बच्चे मंगोलपुरी गए हुए थे, अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि घटना दिन के समय घटित हुई है, जबकि अभियोजन वृत्तांत के अनुसार घटना 10 बजे अपराह्न में घटित हुई है, अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उस पर किसी धारदार आयुध/वस्तु से हमला किया गया था और उसके आमाशय से रक्त बहने लगा था किन्तु अभियोजन पक्ष ने उसके कपड़ों से या घटनास्थल से रक्त बरामद नहीं किया है, अभियोजन वृत्तांत के अनुसार अभि. सा. 1 दिन के समय बच्चों के साथ हुए झगड़े के संबंध में पूछताछ करने गया था किन्तु अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी का झगड़ा उसकी बहिन के साथ हुआ था । तथापि, अभि. सा. 2 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के समय बहुत से व्यक्ति इकट्ठा हो गए थे किन्तु अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई है और अभि. सा. 3 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और विरोधाभासी कथन दिए हैं । जहां तक डा. अशोक (अभि. सा. 7), जिन्होंने

मृतक अशोक कुमार के शव का शवपरीक्षण किया है, का संबंध है, यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष की कहानी और घटनाक्रम के अनुसार मृतक को सबसे पहले डी. डी. यू. अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से उसकी छुट्टी कर दी गई, इसके पश्चात् मृतक को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया और उसकी वहां से भी छुट्टी कर दी गई, इसके पश्चात् उसे जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी वहां से भी छुट्टी कर दी गई । अतः, चिकित्सक निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि मृतक की मृत्यु तारीख 22 अप्रैल, 1997 को हुई घटना के परिणामस्वरूप हुई है या नहीं, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब मृतक की मृत्यु ढाई महीने के पश्चात् हुई हो । अपीलार्थियों की ओर से यह भी दलील दी गई है कि कांस्टेबल उम्मेद सिंह (अभि. सा. 9) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है क्योंकि घटना का समय 10 बजे अपराह्न है और अभि. सा. 9 ने यह कथन किया है कि वह घटनास्थल पर 7.30/8.00 बजे अपराह्न में दैनिक डायरी सं. 91बी प्राप्त करने के पश्चात् पहुंचा था । जहां तक डा. एस. के. शर्मा (अभि. सा. 11) के कथन का संबंध है यह दलील दी गई है कि वे मुख्य चिकित्सक अधिकारी की हैसियत से कार्यालय में उपस्थित थे और उन्होंने डा. प्रीति के हस्ताक्षरों की शनाख्त की है किन्तु डा. एस. के. शर्मा मृतक के उपचार के समय मौजूद नहीं थे और वे मृतक की मृत्यु के कारण के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दे सकते, अतः, उनके परिसाक्ष्य का कोई महत्व नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने उस चिकित्सक की परीक्षा नहीं कराई है जिसने आहत की चिकित्सा परीक्षा की थी । रक्त-रंजित वस्त्रों को केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया, अतः, अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी पर संदेह होता है, अपीलार्थियों को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित नहीं किया गया है, शनाख्त परेड नहीं कराई गई है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अगले दिन लगभग 6.50 बजे पूर्वाह्न में दर्ज कराई गई है और इस विलंब को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, अभियोजन पक्ष ने अपराध का हेतु साबित नहीं किया है और अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

8. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजन ने यह निवेदन किया है कि मृतक अशोक की मृत्यु अपीलार्थी दीना नाथ और अन्य अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा लाठियों और डंडों से किए गए प्रहारों से हुई है और अपीलार्थी दीना नाथ मृतक अशोक के उदर पर

धारदार आयुध का प्रयोग करके वार किया है । मृतक और आहतों को पहुंची क्षतियों की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से सम्यक् रूप से होती है । अतः, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया निर्णय और दंडादेश किसी भी अनियमितता या अवैधता से ग्रसित नहीं है और यह निर्णय तर्कसम्मत है, अतः, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

9. मैंने दोनों पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा सामग्री का परिशीलन किया है ।

10. अभियोजन का सम्पूर्ण पक्षकथन यह है कि तारीख 22 अप्रैल, 1997 को जब मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) लगभग 10 बजे अपराह्न में अपने घर वापस आया, उसे पता चला कि उसके पड़ोसी दीना नाथ की उसके बच्चों के साथ दिन के समय में कहासुनी हो गई है । जब उसने दीना नाथ से अपने बच्चों के साथ झगड़ा करने के बारे में पूछताछ की, तब दीना नाथ अपने ही पड़ोस में रहने वाले 2-3 व्यक्तियों के साथ आया और उस पर और उसके मौसा अशोक पर लाठी और डंडों से हमला किया । यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी दीना नाथ ने अशोक के उदर पर किसी धारदार वस्तु से वार किया था जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से रक्त बहने लगा । जब मोहिन्दर सिंह की सास अंगूरी (अभि. सा. 2) उसे बचाने आई, तब अपीलार्थियों ने उसके साथ भी मारपीट की । इसके पश्चात् वे वहां से भाग गए ।

11. आहतों को अस्पताल ले जाया गया । इस घटना की सूचना दैनिक डायरी सं. 91बी के अनुसार पुलिस थाने सुल्तानपुरी में प्राप्त हुई और हैड कांस्टेबल उम्मेद सिंह (अभि. सा. 9) द्वारा मामले में अन्वेषण किया गया । उसने अभि. सा. 1 का कथन अभिलिखित किया और दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन मामला दर्ज किया । घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और स्थलनक्शा तैयार किया गया और अन्य साक्षियों के कथनों के आधार पर दंड संहिता की धारा 307/323 जोड़ी गई । अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । आहत अशोक का उपचार कई अस्पतालों में कराया गया और परिणामस्वरूप तारीख 10 जुलाई, 1997 को उसकी मृत्यु हो गई, अतः, इस मामले में दंड संहिता की धारा 302 और जोड़ी गई ।

12. प्रश्नगत घटना के उपरोक्त वर्णन से अब हम सुसंगत साक्षियों के अभिसाक्ष्य की सत्यता पर विचार करेंगे । प्रथम इत्तिलाकर्ता मोहिन्दर

सिंह (अभि. सा. 1) ने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि घटना के दिन् अर्थात् तारीख 22 अप्रैल, 1997 को जब वह काम के पश्चात् अपने घर वापस आया, तब उसने घर के बाहर शोर सुना और वहां पहुंचकर देखा कि अभियुक्त उसके मौसा अशोक के साथ मारपीट कर रहा है । अभियुक्तों में से एक के हाथ में लकड़ी का हत्था था जिसमें लोहे की राड लगी हुई थी और दूसरे अभियुक्त के पास लोहे की राड थी और अभियुक्तों ने उसके मौसा अशोक और इत्तिलाकर्ता पर हमला किया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त दीना नाथ ने उसके पेट पर किसी धारदार वस्तु से हमला किया था जिसके परिणामस्वरूप उसके पेट से रक्त बहने लगा था । उसकी सास अंगूरी देवी और नन्दलाल घटनास्थल पर पहुंचे किन्तु कोई भी अन्य व्यक्ति वहां नहीं गया । इसके पश्चात्, वह अर्थात् इत्तिलाकर्ता मोहिन्दर सिंह बेहोश हो गया । पुलिस आहतों को पी. सी. आर. वाहन द्वारा अस्पताल ले गई ।

13. राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी सास अंगूरी देवी को भी अभियुक्तों द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप क्षतियां पहुंची थीं । इस साक्षी ने अपनी शनाख्त के आधार पर की गई अभियुक्तों की गिरफ्तारी स्वीकार की है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि समय के बीत जाने के साथ-साथ वह इन तथ्यों को भूल गया था । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके मौसा अशोक को उसके सिर पर क्षति पहुंची थी । उसको उसकी पीठ में भी क्षति कारित हुई थी ।

14. अभि. सा. 1 के उपरोक्त अभिसाक्ष्य में प्रश्नगत घटना स्वीकार की गई है, लाठी और डंडों से वार किए जाने का अभिकथन किया गया है और इसके अतिरिक्त धारदार आयुध से वार किए जाने का भी अभिकथन किया गया है । इस तथ्य के अतिरिक्त, अभि. सा. 1 द्वारा अपने कथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब उसके पेट पर किसी धारदार आयुध से वार किया गया था तब उसके पेट से रक्त बहने लगा था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी दीना नाथ द्वारा किसी धारदार वस्तु से उसके पेट पर हमला किया गया है ।

15. अंगूरी देवी (अभि. सा. 2) अभि. सा. 1 की सास है और उसने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि लगभग 10 बजे अपराह्न में अपीलार्थी अपनी बहिन के साथ झगड़ा कर रहे थे । अपीलार्थी अपने साले

मोहिन्द्र और अशोक के साथ मारपीट कर रहे थे । अंगूरी देवी वहां पहुंची और बीच-बचाव के कारण उसकी पीठ पर हमला किया गया । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने आहतों को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा था और उसने यह भी उल्लेख किया है कि पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उसके दामाद मोहिन्दर के साथ उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई गई थी । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अशोक को उसकी कशेरुक में क्षति पहुंची थी और ढाई मास के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक अशोक को उसके कंधे के पीछे की ओर क्षति पहुंची थी । उसने यह भी कथन किया है कि मृतक के सिर में भी क्षति कारित हुई थी और उसे निर्दयतापूर्ण पीटा गया था जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर के अनेक अंगों में क्षति पहुंची ।

16. राज्य के विद्वान् सहायक लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त दीना नाथ ने उसके दामाद मोहिन्दर पर किसी धारदार ऐसे आयुध अर्थात् भाले से हमला किया गया था जो नुकीला था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब नन्दलाल और अशोक ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया था, तब अभियुक्तों ने उन पर लाठियों और डंडों तथा लोहे के सरियों से हमला किया । उसने यह भी कथन किया है कि उसने तीन अभियुक्तों को स्वयं देखा था और एक अन्य व्यक्ति ने अशोक और मोहिन्दर पर हमला किया था । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतक अशोक उसका जीजा था और वह उनके घर मिलने आया करती थी ।

17. अभि. सा. 2 के उपरोक्त अभिसाक्ष्य से घटना का घटित होना और लाठी और डंडों से मृतक अशोक पर वार किए जाने से संबंधित तथ्य और मोहिन्दर सिंह के उदर में धारदार आयुध से वार किए जाने जैसे तथ्यों की संपुष्टि अभि. सा. 1 के कथन से होती है । आहत हुए व्यक्तियों में यह महिला भी एक साक्षी है जिसका परिसाक्ष्य, जहां तक अभियोजन पक्षकथन का संबंध है, समान रूप से सुसंगत है ।

18. हैड कांस्टेबल उम्मेद सिंह (अभि. सा. 9) इस मामले में पहला अन्वेषण अधिकारी है जिसने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि दैनिक डायरी सं. 91बी के प्राप्त होने पर वह घटनास्थल पर पहुंचा जहां उसे यह पता चला कि आहतों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल भेज दिया गया है और जब सभी आहतों को कथन देने के लिए ठीक हालत में

पाया गया, तब उसने मोहिन्दर सिंह का कथन अभिलिखित किया और मामला दर्ज कराने के लिए उसका कथन पुलिस थाने भेजा । अभि. सा. 9 ने स्वयं स्थलनक्शा तैयार किया और अंगूरी (अभि. सा. 2), अशोक कुमार और नन्दलाल जैसे सभी आहतों के कथन अभिलिखित किए । इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह मामला पहले दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन दर्ज किया गया था और घटनास्थल का निरीक्षण करने, अन्य साक्षियों के कथन अभिलिखित करने और चिकित्सा संबंधी अभिलेख प्राप्त करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 307/323 और जोड़ी गई और जब तारीख 10 जुलाई, 1997 को आहत अशोक की मृत्यु हो गई, तब दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 307/323/304/34 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया और अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304/307/323/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया ।

19. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय का परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलार्थियों को केवल मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) के कथन के आधार पर उसके उदर में धारदार आयुध से हमला किए जाने के लिए दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ।

20. इस न्यायालय ने दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, दिल्ली के चिकित्सक डा. एस. के. शर्मा (अभि. सा. 11) के अभिसाक्ष्य पर भी विचार किया है जिन्होंने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि रोगी मोहिन्दर तारीख 23 अप्रैल, 1997 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तारीख 30 अप्रैल, 1997 को उसकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई थी । उसके चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए के अनुसार उसको धारदार आयुध से क्षति कारित हुई थी । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि चूंकि आहत के उदर में 2-3 सेमी. आकार का छिन्न घाव धारदार आयुध से कारित हुआ था, इसलिए इस क्षति के संबंध में यह ठीक ही राय दी गई है कि यह क्षति किसी खतरनाक धारदार आयुध से कारित की गई है । प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने के दौरान इस साक्षी ने अपने इस कथन की पुष्टि की है कि यह क्षति उदर में धारदार आयुध से कारित हुई है जो कि शरीर का एक नाजुक अंग है, इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यह क्षति गंभीर प्रकृति की है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि इस प्रकार की क्षति चाकू

आदि जैसे तेज धार वाले आयुध के सिवाए अन्य किसी वस्तु से कारित नहीं की जा सकती है ।

21. दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दोषसिद्धि न्यायोचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शारीरिक क्षति ऐसे कारित की गई हो जिससे मृत्यु होना संभव हो । यद्यपि, वास्तव में कारित की गई क्षति की प्रकृति से इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिल जाती है कि अभियुक्त का आशय क्या है, अभियुक्त के ऐसे आशय का निर्धारण अन्य परिस्थितियों से भी किया जा सकता है और कुछ मामलों में अभियुक्त के आशय को वास्तव में कारित किए गए घावों को दृष्टिगत किए बिना भी सुनिश्चित किया जा सकता है । यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है उसे ऐसी गंभीर क्षति कारित हो जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु होना संभव हो । न्यायालय को अपराधी द्वारा किए गए कृत्य के परिणाम को विचार में लाए बिना इस पर विचार करना चाहिए कि उसने यह कृत्य इस आशय या जानकारी के साथ किया है जिनका उल्लेख इस धारा की परिस्थितियों के अधीन किया गया है । अपराध की दृष्टि से किया गया प्रयास को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि क्षति कारित की गई हो । विधि के अधीन यह पर्याप्त है कि अभियुक्त ने अपराध करने का आशय किया था और उस आशय के निष्पादन के लिए कोई स्पष्ट कार्य भी किया है ।

22. वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर आहत मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) ने विशिष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उस पर अपीलार्थी दीना नाथ द्वारा किसी तेज धार वाले आयुध/वस्तु से हमला किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसके उदर से रक्त बहने लगा था । मोहिन्दर सिंह के शरीर पर कारित हुई क्षतियों की संपुष्टि के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, के चिकित्सक डा. एस. के. शर्मा (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि चिकित्सा प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए) के अनुसार आहत मोहिन्दर को 2-3 सेमी. माप का स्पष्ट छिन्न घाव उसके उदर के बाएं ओर कारित हुआ था । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए) पर दी गई चिकित्सक की राय के अनुसार आहत मोहिन्दर सिंह को पहुंची क्षतियां खतरनाक प्रकृति की हैं ।

23. **अब्दुल सईद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय

---

[1] (2010) 10 एस. सी. सी. 259 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5701.

उच्चतम न्यायालय ने आहत साक्षियों के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता पर विचार करते हुए निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> इस संबंध में विधि इस प्रकार संक्षिप्त की जा सकती है कि आहत साक्षी के परिसाक्ष्य को विधि में एक विशेष महत्व दिया गया है । तथ्यों का क्रम इस प्रकार सामने आता है कि साक्षी को क्षति पहुंचने से यह साबित हो जाता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था और इस घटना का साक्षी होने के नाते वह किसी भी वास्तविक अपराधी को दंड दिलाए बिना नहीं छोड़ेगा और अन्य किसी व्यक्ति को इस अपराध को कारित करने के लिए मिथ्या नहीं फंसाएगा । इस प्रकार, आहत साक्षी के अभिसाक्ष्य का अवलंब तब तक लिया जाना चाहिए जब तक ऐसे साक्ष्य को खारिज करने के लिए घोर विरोधाभास और फर्क संबंधी कोई ठोस आधार न हो ।

24. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री से यह सिद्ध हो गया है कि घटना के दिन, मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी दीना नाथ द्वारा धारदार आयुध से क्षति कारित की गई है । अन्य अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए धारा 34 के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है किन्तु अपीलार्थी चन्द्रेश्वर गिरी और रविन्दर तिवारी के विरुद्ध आहत मोहिन्दर को किसी भी आयुध से क्षति कारित करने का कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थी चन्द्रेश्वर गिरी और रविन्दर तिवारी को दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन दोषसिद्ध करने का कोई आधार नहीं है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अपराध में उनकी कोई भी विशेष भूमिका न हो, दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने वाले आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक उपान्तरित किया जाता है कि मात्र अपीलार्थी दीना नाथ दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है । तद्नुसार, अपीलार्थी चन्द्रेश्वर और रविन्दर तिवारी को दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ।

25. जहां तक दंड संहिता की धारा 304/34 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किए जाने का संबंध है, इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थियों को प्रारंभ में दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन अपराध के लिए आलिप्त किया गया था और आहत अशोक की मृत्यु के पश्चात् उनका विचारण दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किया

गया । मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) के साक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि जब उसने अपीलार्थी दीना नाथ से मालूम किया और इस पर आपत्ति की कि उसने उसके बच्चों के साथ झगड़ा क्यों किया है तब अपीलार्थी दीना नाथ अन्य अभियुक्तों के साथ, जो उसके पड़ोस में रहते थे, मोहिन्दर सिंह और उसके मौसा अशोक पर लाठियों और डंडों से मारपीट करने लगा । इस झगड़े के दौरान अपीलार्थी दीना नाथ ने किसी धारदार आयुध से मोहिन्दर सिंह के उदर पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर से रक्त बहने लगा । जब श्रीमती अंगूरी (अभि. सा. 2), जो मोहिन्दर सिंह की सास है और बनवारी उसे बचाने आए, तब अपीलार्थियों ने उनके साथ भी लाठी और डंडों से मारपीट की । अपीलार्थियों के इन कृत्यों से तारीख 10 जुलाई, 1997 को आहत अशोक की मृत्यु हो गई ।

26. मृतक अशोक की शवपरीक्षण रिपोर्ट का परिशीलन किया गया है, जिससे यह दर्शित होता है कि डी. 2 और डी. 3 कशेरुक में विरूपता है और पुराना अस्थिभंग दिखाई पड़ता है और मृतक ट्रामैटिक पैराप्लेजिया से पीड़ित था । चिकित्सक ने यह राय दी है कि मृत्यु के समय मृतक के शरीर में बिस्तर पर पड़े रहने के कारण घाव हो गए थे और उसकी मृत्यु रक्तपूतिता के परिणामस्वरूप हुई थी जिसका संबंध ट्रामैटिक पैराप्लेजिया से था ।

27. मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 1) और अंगूरी देवी (अभि. सा. 2) के अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक अशोक के कंधे और पीठ पर लाठियों और डंडों से वार किए गए थे और मृतक के सिर पर भी निर्दयतापूर्ण हमला किया गया था और उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर क्षतियां कारित हुई थीं । इस न्यायालय की सुविचारित राय के अनुसार अभिलेख पर यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री मौजूद है कि सभी अभियुक्तों ने मृतक के साथ मारपीट की है और इन्हीं क्षतियों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त को क्षति पहुंचाने के संबंध में विशेष रूप से प्रत्येक अभियुक्त-अपीलार्थी की भूमिका स्पष्ट की है ।

28. मामले की संवीक्षा करने पर, न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता कि आहत अशोक को अपीलार्थी और आहत व्यक्तियों के बीच झगड़ा होने के दौरान क्षतियां पहुंची थीं और घटना के तीन मास के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई थी । मृतक अशोक की शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उसकी मेरू रज्जु में क्षति कारित हुई थी जिसमें पहले कभी

अस्थिभंग हुआ था और उसी के परिणामस्वरूप डी. 2 और डी. 3 कशेरुक में विरूपता आई है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा मृतक के बाएं कंधे और पीठ पर क्षति कारित की गई थी जिसके कारण उसे ट्रामैटिक पैराप्लेजिया हो गया था ।

29. मामले के तथ्यों के आधार पर और इस न्यायालय की सुविचारित राय के अनुसार अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304 (भाग 2)/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने का एक उचित मामला है, चूंकि यह सिद्ध नहीं किया गया है कि अपीलार्थियों का आशय आहत की हत्या कारित करने का था बल्कि अपीलार्थियों द्वारा मृतक के शरीर पर कारित की गई क्षतियों से यह दर्शित होता है कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी थी कि उनके द्वारा मृतक अशोक की पिटाई किए जाने से मृत्यु हो सकती है । तद्नुसार, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 3 सितंबर, 2002 को पारित किए गए निर्णय को दंड संहिता की धारा 304 (भाग 2) के अधीन उपान्तरित करते हुए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया जाता है ।

30. जहां तक दंड संहिता की धारा 324/34 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का संबंध है, आहत साक्षी मोहिन्दर सिंह, अंगूरी देवी और बनवारी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थियों द्वारा झगड़े के दौरान उन पर भी हमला किया गया था । अंगूरी देवी और बनवारी के अभिसाक्ष्य के अनुसार उन्हें क्षतियां पहुंची थीं । चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार उन्हें साधारण क्षतियां पहुंची थीं और यह सम्यक् रूप से सिद्ध हो गया है कि ये क्षतियां उन्हें अपीलार्थियों द्वारा कारित की गई थीं ।

31. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है और इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय में कोई भी अनियमितता या कमी दिखाई नहीं देती है ।

32. उपरोक्त चर्चा तथा इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, इस न्यायालय को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए तारीख 3 सितंबर, 2002 के इस आक्षेपित निर्णय में कोई भी अवैधता या कमी दिखाई नहीं देती है जिसके द्वारा अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है । तथापि, यह

न्यायालय अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन उपान्तरित करता है और अपीलार्थी दीना नाथ को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करता है और अन्य अभियुक्तों-अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए कोई भी न्यायोचित्य न पाते हुए, दीना नाथ को छोड़कर सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया जाता है । साथ ही वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए, यह न्यायालय दंड संहिता की धारा 304/34 के अधीन की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 (भाग 2)/34 के अधीन उपान्तरित करता है ।

33. अब हम दंड की मात्रा पर विचार करेंगे, इस न्यायालय का यह मत है कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने प्रत्येक अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया है । उक्त दंडादेश उपान्तरित किया जाता है और केवल अपीलार्थी दीना नाथ तक ही सीमित किया जाता है तथा दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अधिनिर्णीत दंडादेश कायम रखा जाता है और अन्य अपीलार्थी-अभियुक्त अर्थात् चन्द्रेश्वर गिरी और रविन्दर तिवारी को दंड संहिता की धारा 307 से दोषमुक्त किया जाता है । जहां तक अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304/34 के अधीन अपराध के लिए अधिनिर्णीत दंडादेश का संबंध है, यह न्यायालय दंड संहिता की धारा 304/34 के अधीन दिए गए दंडादेश को धारा 304 (भाग 2)/34 के अधीन उपान्तरित करता है । सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304 (भाग 2) के साथ पठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अपीलार्थी अतिरिक्त छह मास का साधारण कारावास भोगेंगे । तथापि, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 323/34 के अधीन अपराध के लिए दंडादिष्ट किए जाने में कोई भी अनियमितता या अवैधता नहीं है और इस धारा के अधीन की गई दोषसिद्धि तद्नुसार कायम रखी जाती है ।

34. तद्नुसार, कारावास की शेष अवधि का दंड भोगने के लिए, अपीलार्थियों को 15 दिन की अवधि के भीतर संबद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है ।

35. परिणामतः, अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई अपील उपरोक्त उपांतरणों के साथ निपटाई जाती है ।

36. इस आदेश की एक प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए विचारण न्यायालय को भेजी जाए ।

37. उपरोक्त निदेशों के साथ वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है ।

अपील का निपटान किया गया ।

आर्य/अस.

(2018) 1 दा. नि. प. 250 बम्बई

चन्द्रकुमार सुन्दरदास तनेजा

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

तारीख 6 जुलाई, 2017

न्यायमूर्ति वी. एम. देशपाण्डे

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क और 306 [सपठित साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113क] – क्रूरता और आत्महत्या का दुष्प्रेरण – विवाहिता की दाह क्षतियों के कारण मृत्यु – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से न तो यह साबित होता है और न ही उपधारित किया जा सकता है कि पति या पति के नातेदारों द्वारा धन की मांग की गई या पत्नी के साथ ऐसी क्रूरता की गई जिसके परिणामस्वरूप वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुई, वहां अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अशोक गोविन्दराव क्षीरसागर (अभि. सा. 3) तारीख 16 अप्रैल, 1996 को पुलिस थाना रामनगर, चन्द्रपुर में पुलिस कांस्टेबल के रूप में तैनात था । उसकी ड्यूटी तारीख 16 अप्रैल, 1996 को 8 बजे अपराह्न से तारीख 17 अप्रैल, 1996 को 8 बजे पूर्वाह्न तक थी । जब वह अपनी ड्यूटी पर था तब लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न में उसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से एक संदेश प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उसे

यह सूचना मिली कि सिंधी कालोनी, रामनगर में आग लग गई है । उसे ड्यूटी आफिसर के साथ घटनास्थल पर जाने का निदेश दिया गया । तद्नुसार, ड्यूटी आफिसर श्री शेख और अन्य पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा । पुलिस थाने से सिंधी कालोनी, रामनगर के रास्ते में आग लगने की सूचना अग्निशमन दल को भेज दी गई और पुलिस उप निरीक्षक को भी इसकी जानकारी दी गई । जब यह दल घटनास्थल पर पहुंचा, उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही फायर ब्रिगेड मौजूद थी और आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही थी । यह आग वर्तमान अपीलार्थी के घर में लगी हुई थी और उसके मकान का प्रथम ऊपरी तल आग से घिरा हुआ था । फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी । कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था । दरवाजा तोड़ा गया । जब पुलिस कांस्टेबल अशोक (अभि. सा. 3) अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कमरे के अन्दर गया, तब उसने आग से बुरी तरह झुलसा हुआ महिला का शव देखा जो कि चारपाई के निकट पड़ा हुआ था । शव की शनाख्त की गई कि वह अपीलार्थी की पत्नी का था जिसका नाम हर्षा था । मोहम्मद हनीफ (अभि. सा. 9) ने यह देखा कि चूंकि रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का बोध होता है, इसलिए उसने अपीलार्थी और उसकी माता लक्ष्मीबाई तनेजा के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मामला सं. 107/1996 दर्ज किया । मुद्रित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श 53 है । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) ने घटनास्थल का मुआयना और पंचनामा (प्रदर्श 26) तैयार किया । इसी दौरान, मृत्युसमीक्षा की गई और इसके संबंध में एक मृत्युसमीक्षा पंचनामा (प्रदर्श 28) भी तैयार किया गया । शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया । मोहम्मद हनीफ (अभि. सा. 9) ने घटनास्थल पर पाई गई वस्तुओं को अभिगृहीत किया और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । इसके पश्चात्, उसने अन्वेषण का कार्य केरुभाई दत्तात्रैया कोल्हे (अभि. सा. 7) को सौंप दिया ।

अन्वेषण का कार्यभार संभालने पर, केरुभाई (अभि. सा. 7) ने अभिग्रहण पंचनामा (प्रदर्श 44) अभिलिखित किया जिसके अन्तर्गत उसने एक आडियो कैसेट और दो स्टाम्प पेपर (प्रदर्श 33 और 34) अभिगृहीत किए । तारीख 26 अक्तूबर, 1995 के स्टाम्प पेपर (प्रदर्श 33) से यह दर्शित होता है कि यह एक करार है जो मृतका द्वारा निष्पादित किया गया है और दूसरा स्टाम्प पेपर (प्रदर्श 34) एक कबूलियतनामा है । अन्य औपचारिक अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् उसने न्यायालय के समक्ष आरोप

पत्र फाइल किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने, अपने समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने के पश्चात् यह देखा कि यह मामला अपवर्जित रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अतः, उन्होंने सुपुर्दगी आदेश पारित किया ।

अपीलार्थी का दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर नौ साक्षियों की परीक्षा कराई और ऐसे बहुत से दस्तावेजों का अवलंब लिया जो विचारण की कार्यवाही के दौरान साबित किए गए । विचारण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् निचली न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध सफलतापूर्वक अपना पक्षकथन साबित कर दिया है अतः, अपीलार्थी को निर्णय के पहले पैरा में यथावर्णित रूप में दोषसिद्ध किया गया । इसलिए, यह अपील प्रस्तुत की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् काउंसेल की अन्य दलील यह है कि अभियोजन पक्ष तंग किए जाने का तथ्य साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान गोपाल (अभि. सा. 1) और हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य की ओर दिलाया है कि उनके साक्ष्य से एक दूसरे के साक्ष्य की संपुष्टि अन्य महत्वपूर्ण बातों को लेकर नहीं होती है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि अपीलार्थी के विरुद्ध किए गए अभिकथन अत्यंत सामान्य प्रकृति के हैं जिनके आधार पर दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप बिल्कुल भी साबित नहीं होता है । जहां तक दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध का संबंध है, उन्होंने यह दलील दी है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी ने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है । उन्होंने न्यायालय का ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय के रिपोर्ट किए गए मामलों की ओर दिलाया है कि दंड संहिता की धारा 107 के अवयवों को साबित करने के लिए किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह भी दलील दी है कि तारीख 25 नवंबर, 1995 का पत्र (प्रदर्श 37), जिसे निचले न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश द्वारा मृतका हर्षा का मृत्युकालिक कथन माना गया है, त्रुटिपूर्ण है, अतः, विद्वान् काउंसेल के निवेदन के अनुसार विधि की संवीक्षा के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । (पैरा 11)

इन अभियोजन साक्षियों द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया है कि

जब मृतका को खून की उल्टी हुई थी उस समय अपीलार्थी द्वारा उसका उपचार कराया गया था । इन साक्षियों के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका को उल्टियां आगे भी होती रही थीं अतः, उसे के. ई. एम. अस्पताल, मुंबई ले जाया गया । जैसा कि सभी जानते हैं मुंबई में चन्द्रपुर से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध है । इसलिए मृतका को चन्द्रपुर से मुंबई उपचार के लिए भेजने से अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता । गोपाल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से, जिसका समर्थन हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से होता है, यह दर्शित होता है कि मुंबई में उपचार के पश्चात् वे खमगांव वापस आ गए थे । इसके पश्चात् उन्हें चन्द्रपुर बुलाया गया और अपीलार्थी ने पंचायत बिठाई । यह स्वीकृत है कि के. ई. एम. अस्पताल, मुंबई से वापस आने के पश्चात् हर्षा की मृत्यु होने तक दो बार पंचायत बिठाई गई जिसमें सिंधी समुदाय के आदरणीय व्यक्तियों को चन्द्रपुर बुलाया गया था । इन दोनों बैठकों में गोपाल (अभि. सा. 1) और हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) ने स्वीकृत रूप से भाग लिया था । (पैरा 16)

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह पंचायत लगभग 11.30 बजे अपराह्न में समाप्त हुई थी और घटना तारीख 17 अप्रैल, 1996 को 2.30 बजे पूर्वाह्न में घटित हुई थी । इस प्रकार, यह पूर्णतया संभव है कि मृतका हर्षा स्वयं अपने ही पिता द्वारा डांट-फटकार किए जाने से हताश हो गई थी और इसलिए उसने अपने जीवन में उग्र कदम उठाया होगा । (पैरा 19)

न्यायालय की राय में, विद्वान् निचले न्यायालय ने प्रदर्श 37 का अवलंब ठीक नहीं लिया है । प्रदर्श 37 तारीख 25 नवंबर, 1995 को लिखा गया था । तारीख 25 नवंबर, 1995 के पत्र (प्रदर्श 37) के पश्चात् दो बार पंचायत बिठाई गई । इस प्रकार, पत्र (प्रदर्श 37) मृत्यु की आशंका में मृतका द्वारा नहीं लिखा गया है, अतः, उक्त पत्र को मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता जिसे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन माना गया है । (पैरा 20)

इस न्यायालय के अनुसार सम्पूर्ण अभियोजन पक्ष कथन का पुनर्मूल्यांकन करने से यह दर्शित होता है कि ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने मृतका से कोई भी मांग की थी । मृतका हर्षा के साथ वर्तमान अपीलार्थी की ओर से ऐसी मांग को लेकर कोई भी क्रूरता कारित नहीं की गई थी । न्यायालय की राय में अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अपीलार्थी ने मृतका के साथ ऐसा प्रपीड़न कारित किया है जिसके कारण

उसे आत्महत्या करनी पड़ी । अतः, न्यायालय के मतानुसार दंड संहिता की धारा 498क के अधीन आरोप अपीलार्थी के विरुद्ध बिल्कुल भी साबित नहीं होता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के अधीन उपधारणा अभियोजन पक्ष को उपलब्ध नहीं होगी । (पैरा 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2005] (2005) 5 एस. सी. सी. 258 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2804 : **मुख्तियार अहमद अंसारी** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली** । 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील सं. 144.

1996 सेशन विचारण मामला सं. 163 में विद्वान् सेशन अपर न्यायाधीश, चन्द्रपुर द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री साहिल एस. देवानी

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री टी. एच. उदेशी (अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति वी. एम. देशपाण्डे – वर्तमान अपील 1996 के सेशन विचारण मामला सं. 163 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, चन्द्रपुर द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा निचले न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है ।

दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दोषसिद्धि के संबंध में, अपीलार्थी को छह मास का कठोर कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त छह मास का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया था ।

जहां तक दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि का संबंध है, उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास से और 2,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष के कठोर

कारावास से दंडादिष्ट किया गया था ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है :–

अशोक गोविन्दराव क्षीरसागर (अभि. सा. 3) तारीख 16 अप्रैल, 1996 को पुलिस थाना रामनगर, चन्द्रपुर में पुलिस कांस्टेबल के रूप में तैनात था । उसकी ड्यूटी तारीख 16 अप्रैल, 1996 को 8 बजे अपराह्न से तारीख 17 अप्रैल, 1996 को 8 बजे पूर्वाह्न तक थी । जब वह अपनी ड्यूटी पर था तब लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न में उसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से एक संदेश प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उसे यह सूचना मिली कि सिंधी कालोनी, रामनगर में आग लग गई है । उसे ड्यूटी आफिसर के साथ घटनास्थल पर जाने का निदेश दिया गया । तद्नुसार, ड्यूटी आफिसर श्री शेख और अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे । पुलिस थाने से सिंधी कालोनी, रामनगर के रास्ते में आग लगने की सूचना अग्निशमन दल को भेज दी गई और पुलिस उप निरीक्षक को भी इसकी जानकारी दी गई । जब यह दल घटनास्थल पर पहुंचा, उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही फायर ब्रिगेड मौजूद थी और आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही थी । यह आग वर्तमान अपीलार्थी के घर में लगी हुई थी और उसके मकान का प्रथम ऊपरी तल आग से घिरा हुआ था । फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी । कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था । दरवाजा तोड़ा गया । जब पुलिस कांस्टेबल अशोक (अभि. सा. 3) अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कमरे के अन्दर गया, तब उसने आग से बुरी तरह झुलसा हुआ महिला का शव देखा जो चारपाई के निकट पड़ा हुआ था । शव की शनाख्त की गई कि वह अपीलार्थी की पत्नी का था जिसका नाम हर्षा था ।

3. गोपाल हेमचन्द्र रूपानी (अभि. सा. 1), मृतका हर्षा का भाई है जो पुलिस थाने गया था । उस समय मोहम्मद हनीफ शेख शब्बीर (अभि. सा. 9) पुलिस थाना रामनगर में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था । गोपाल (अभि. सा. 1) ने रिपोर्ट (प्रदर्श 24) दर्ज कराई । प्रथम इत्तिलाकर्ता गोपाल (अभि. सा. 1) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का सारांश निम्न प्रकार है :–

> उसकी बहिन जिसे घर पर माया रूपानी के नाम से पुकारते थे, का विवाह तारीख 1 अप्रैल, 1994 को आवेदक के साथ हुआ था । उसके विवाह के 3-4 मास पश्चात् अपीलार्थी और उसकी माताजी के साथ दहेज को लेकर दुर्व्यवहार करने लगे । उसकी पिटाई की गई

और उसकी सास और अपीलार्थी ने उसे गालियां भी दीं । अपीलार्थी द्वारा मारपीट किए जाने और मृतका की सास द्वारा उसे तंग किए जाने के कारण मृतका एक गंभीर मानसिक तनाव से पीड़ित थी जिसके परिणामस्वरूप उसे खून की उल्टी हुई । यद्यपि, अपीलार्थी द्वारा उसका उपचार कराया गया, किन्तु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ । परिणामतः, उसे के. ई. एम. अस्पताल, मुम्बई ले जाया गया । अपीलार्थी की ओर से कोई भी व्यक्ति मुम्बई नहीं आया । इसके पश्चात्, प्रथम इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 12) और उसकी बहिन हर्षा के मायके खमगांव आ गए । तारीख 29 फरवरी, 1995 को इत्तिलाकर्ता की दूसरी बहिन और उसके पति (इत्तिलाकर्ता का जीजा) हर्षा को चन्द्रपुर अर्थात् उसकी ससुराल ले आए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि इसके पश्चात् मृतका का गलत तरीके से चिकित्सा उपचार कराया गया जिसके कारण उसे पुनः खून की उल्टी हुई । खून की उल्टी होने की बात अपीलार्थी द्वारा बताई गई, अतः प्रथम इत्तिलाकर्ता चन्द्रपुर आया और वह अपनी बहिन को खमगांव ले गया जहां पर उसका उपचार आयुर्वेदिक ओषधियों से किया गया । यह उपचार लगभग दो-ढाई महीने तक खमगांव में किया गया । इसके पश्चात्, मृतका के निवेदन पर उसे चन्द्रपुर लाया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उस समय अपीलार्थी और मृतका की सास ने मृतका को तब तक घर में प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उससे लिखवाकर न ले लिया । तत्पश्चात् मृतका को खमगांव लाया गया और वह वहां पर आठ दिन तक रही । इसके पश्चात् प्रथम इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) और मृतका ससुराल आ गए और एक पंचायत बिठाई गई । उक्त पंचायत में समाज के आदरणीय व्यक्तियों ने यह तय किया कि मृतका अपनी ससुराल से अलग स्थान पर रहेगी । तद्नुसार, अपीलार्थी और मृतका उसी मकान में अलग जगह पर रहने लगे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अलग रहने के बावजूद मृतका को तंग किया जाता रहा और सिंधी पंचायत के एक सदस्य चन्द्रकांत आडवानी ने प्रथम इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) और उसके पिता को चन्द्रपुर पंचायत में बुलाया । इसलिए, तारीख 16 अप्रैल, 1996 को चन्द्रपुर पंचायत रात्रि के समय बिठाई गई । पंचायत की कार्यवाही पूरी होने पर प्रथम इत्तिलाकर्ता और उसके पिता सोने चले गए, तथापि, रात्रि में ही एक व्यक्ति ने अपीलार्थी के घर साथ-साथ चलने को कहा और

जब वे वहां पहुंचे तब उन्होंने उस मकान के ऊपरी तल से धुआं निकलते देखा और दरवाजा खोलने पर उसने अपनी बहिन का शव देखा ।

4. मोहम्मद हनीफ (अभि. सा. 9) ने यह देखा कि चूंकि रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का बोध होता है, इसलिए उसने अपीलार्थी और उसकी माता लक्ष्मीबाई तनेजा के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए मामला सं. 107/1996 दर्ज किया । मुद्रित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श 53 है । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) ने घटनास्थल का मुआयना किया और पंचनामा (प्रदर्श 26) तैयार किया । इसी दौरान, मृत्युसमीक्षा की गई और इसके संबंध में एक मृत्युसमीक्षा पंचनामा (प्रदर्श 28) भी तैयार किया गया । शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया । मोहम्मद हनीफ (अभि. सा. 9) ने घटनास्थल पर पाई गई वस्तुओं को अभिगृहीत किया और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । इसके पश्चात्, उसने अन्वेषण का कार्य केरुभाई दत्तात्रैया कोल्हे (अभि. सा. 7) को सौंप दिया ।

अन्वेषण का कार्यभार संभालने पर, केरुभाई (अभि. सा. 7) ने अभिग्रहण पंचनामा (प्रदर्श 44) अभिलिखित किया जिसके अन्तर्गत उसने एक आडियो कैसेट और दो स्टाम्प पेपर (प्रदर्श 33 और प्रदर्श 34) अभिगृहीत किए । तारीख 26 अक्तूबर, 1995 के स्टाम्प पेपर (प्रदर्श 33) से यह दर्शित होता है कि यह एक करार है जो मृतका द्वारा निष्पादित किया गया था और दूसरा स्टाम्प पेपर (प्रदर्श 34) एक कबूलियतनामा है । अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् उसने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया ।

विद्वान् मजिस्ट्रेट ने, अपने समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने के पश्चात् यह देखा कि यह मामला एकमात्र रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अतः, उन्होंने सुपुर्दगी आदेश पारित किया ।

5. सुपुर्दगी आदेश पारित किए जाने के पश्चात् यह मामला सेशन न्यायालय को भेज दिया गया और सेशन विचारण सं. 163/1996 के रूप में दर्ज किया गया ।

6. अपीलार्थी और उसकी माता लक्ष्मीबाई के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित

किया गया । दोनों अभियुक्तों ने अपने दोषी होने से इनकार किया और विचारण की मांग की ।

7. विचारण के लंबित रहने के दौरान और अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पूर्व लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और उसके प्रति विचारण उपशमित कर दिया गया ।

8. अपीलार्थी का दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा कराई और ऐसे बहुत से दस्तावेजों का अवलंब लिया जिन्हें विचारण की कार्यवाही के दौरान साबित किया गया । विचारण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् निचले न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध सफलतापूर्वक अपना पक्षकथन साबित कर दिया है अतः, अपीलार्थी को निर्णय के पहले पैरा में यथावर्णित रूप में दोषसिद्ध किया गया । इसीलिए, यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

9. मैंने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री साहिल एस. देवानी और राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक सुश्री टी. एच. उदेशी को सुना है । मैंने उनकी सहायता से सम्पूर्ण अभिलेख और कार्यवाहियों तथा साक्ष्य का परिशीलन किया है ।

10. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि अभियोजन पक्षकथन अभियोजन साक्षी मेघराज देवानदास पबनानी (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से पूर्णतया निष्फल हो गया है । उन्होंने यह दलील दी है कि मेघराज नाम के इस व्यक्ति की परीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी के रूप में कराई गई है, अतः, अभियोजन पक्ष उसे अपना साक्षी मानने से इनकार नहीं कर सकता । उन्होंने यह भी दलील दी है कि यद्यपि मुख्य परीक्षा के दौरान इस अभियोजन साक्षी (अभि. सा. 5) ने प्रतिरक्षा पक्षकथन का समर्थन किया है फिर भी उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मुख्तियार अहमद अंसारी** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली**[1] वाले मामले के पैरा सं. 29 में यह मत व्यक्त किया गया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 को रिपोर्ट किए गए उक्त मामले में पक्षद्रोही साक्षी के रूप में घोषित नहीं किया है जबकि उसके साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है बल्कि प्रतिरक्षा पक्ष का

---

[1] (2005) 5 एस. सी. सी. 258 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2804.

समर्थन होता है, इसलिए अभियुक्त को ऐसे साक्ष्य का अवलंब लेने का पूर्ण अधिकार होगा । विद्वान् काउंसेल ने इस ओर भी इशारा किया है कि निर्णय के पैरा सं. 30 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अभियोजन साक्षी को पक्षद्रोही घोषित न किए जाने की स्थिति में अभियोजन पक्ष पर ऐसे साक्षी का साक्ष्य बाध्य होगा ।

11. विद्वान् काउंसेल की अन्य दलील यह है कि अभियोजन पक्ष तंग किए जाने का तथ्य साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान गोपाल (अभि. सा. 1) और हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य की ओर दिलाया है कि उनके साक्ष्य से एक दूसरे के साक्ष्य की संपुष्टि अन्य महत्वपूर्ण बातों को लेकर नहीं होती है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि अपीलार्थी के विरुद्ध किए गए अभिकथन अत्यंत सामान्य प्रकृति के हैं जिनके आधार पर दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप बिल्कुल भी साबित नहीं होता है ।

जहां तक दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध का संबंध है, उन्होंने यह दलील दी है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी ने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है । उन्होंने मेरा ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय के रिपोर्ट किए गए मामलों की ओर दिलाया है कि दंड संहिता की धारा 107 के अवयवों को साबित करने के लिए किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह भी दलील दी है कि तारीख 25 नवंबर, 1995 का पत्र (प्रदर्श 37), जिसे निचले न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश द्वारा मृतका हर्षा का मृत्युकालिक कथन माना गया है, त्रुटिपूर्ण है, अतः, विद्वान् काउंसेल के निवेदन के अनुसार विधि की संवीक्षा के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

12. इसके प्रतिकूल, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने मेरे समक्ष दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि गोपाल (अभि. सा. 1) और हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका के विवाह के आरंभ के 5 महीने तक उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ । उन्होंने यह भी दलील दी है कि चूंकि विवाह के 7 वर्षों के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु हुई है इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 के अधीन उपधारणा पूरी तरह लागू होगी और इसीलिए अपीलार्थी को ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि कोई

भी महिला प्रदर्श 33 और प्रदर्श 34 जैसे दस्तावेज निष्पादित नहीं करेगी । अतः, उन्होंने यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उन दस्तावेजों का गलत अवलंब लिया गया है । विद्वान् काउंसेल ने राजू भागचन्द चावला (अभि. सा. 8) के साक्ष्य का भी अवलंब लिया है । अतः, उन्होंने परिणामतः यह निवेदन किया है कि अपील खारिज की जाए ।

13. विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाने का तथ्य विवादित नहीं है । हर्षा का शव शवपरीक्षण के लिए डा. नितिन मनोहर राव कल्लूरवार (अभि. सा. 6) को भेजा गया । तारीख 17 अप्रैल, 1996 को जब वे सिविल अस्पताल, चन्द्रपुर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, हर्षा के शव का शवपरीक्षण किया । शवपरीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक ने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 47 साबित की है । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 47) के अनुसार मृतका को 100 प्रतिशत दाह क्षतियां कारित हुईं और मृत्यु का कारण ऊपरी और गहरी 100 प्रतिशत दाह क्षतियां पाई गईं ।

14. शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 47) को दृष्टिगत करते हुए अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि हर्षा की मृत्यु अप्राकृतिक है जो आग में जलने से हुई है ।

मात्र इस कारण से कि एक विवाहित महिला की जलने से अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क के अधीन उपधारणा लागू किया जाना पर्याप्त नहीं होगा । उक्त उपबंध को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि मृतका को इस सीमा तक तंग किया गया था कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी । केवल तब ही उक्त उपधारणा का प्रयोग किया जा सकता है ।

15. प्रदर्श 24 गोपाल (अभि. सा. 1) द्वारा दर्ज की गई मौखिक रिपोर्ट है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है, इसलिए उसका प्रयोग इस दस्तावेज को बनाने वाले व्यक्ति के साक्ष्य से विरोधाभास करने या संपुष्टि करने के लिए किया जा सकता है । गोपाल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उसका साक्ष्य अपीलार्थी और हर्षा के बीच विवाह के पांच महीने के पश्चात् हुए विवाद के संबंध में मूक है । इसके प्रतिकूल इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पांच महीने के बाद से अपीलार्थी और हर्षा के बीच झगड़ा होने लगा था । यद्यपि मृतका हर्षा के पिता हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) ने साक्षी कठघरे में खड़े होकर यह अभिसाक्ष्य

दिया है कि अपीलार्थी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की यातना दिया करता था, इस महत्वपूर्ण तथ्य की पुष्टि उसके पुत्र गोपाल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से नहीं होती है । यद्यपि, इन दोनों अभियोजन साक्षियों ने एक ही जैसा कथन किया है कि उन्हें मृतका के पत्र प्राप्त होते थे जिनमें अपीलार्थी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की बात लिखी होती थी, पता नहीं अभियोजन पक्ष ने उन पत्रों को अभिलेख पर प्रस्तुत क्यों नहीं किया है । मृतका हर्षा का वैवाहिक गृह चन्द्रपुर में था और उसका मायका खमगांव में था । इन अभियोजन साक्षियों (अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2) के अनुसार हर्षा द्वारा चन्द्रपुर से पत्र भेजे गए थे और उन्होंने वे पत्र प्राप्त किए थे । उन्होंने वे पत्र अवश्य ही खमगांव में प्राप्त किए होंगे और इसीलिए यह स्वाभाविक है कि वे पत्र उन्हीं के पास मौजूद होंगे । इन साक्षियों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे न्यायालय के समक्ष यह प्रकट करेंगे कि अपीलार्थी द्वारा उनके अपने निकट और प्रिय अर्थात् मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था जिसकी सूचना उन्हें उन पत्रों से मिलती थी जो उन्हें मृतका की ओर से प्राप्त होते थे और साक्षियों से यह भी प्रत्याशा की जाती है कि वे उन पत्रों को अभिलेख पर प्रस्तुत करेंगे । मेरी राय में वे पत्र प्राथमिक साक्ष्य हैं जिनसे यह दर्शित होता है कि वास्तव में हर्षा ने अपने पिता (अभि. सा. 2) और अपने भाई (अभि. सा. 1) को उसके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताया था । ऐसे पत्रों को अभिलेख पर प्रस्तुत न किए जाने से मेरी राय में न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभियोजन पक्ष के प्रति इसी सीमा तक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले ।

16. इन अभियोजन साक्षियों द्वारा इस पर विवाद नहीं किया गया है कि जब मृतका को खून की उल्टी हुई थी उस समय अपीलार्थी द्वारा उसका उपचार कराया गया था । इन साक्षियों के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका को उल्टियां आगे भी होती रही थीं, अतः, उसे के. ई. एम. अस्पताल, मुंबई ले जाया गया । जैसा कि हम सभी जानते हैं मुंबई में चन्द्रपुर से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध है । इसलिए मृतका को चन्द्रपुर से मुंबई उपचार के लिए भेजने से अपीलार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता । गोपाल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से, जिसका समर्थन हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से होता है, यह दर्शित होता है कि मुंबई में उपचार के पश्चात् वे खमगांव वापस आ गए थे । इसके पश्चात् उन्हें चन्द्रपुर बुलाया गया और अपीलार्थी ने पंचायत बिठाई । यह स्वीकृत है कि के. ई. एम. अस्पताल, मुंबई से वापस आने के पश्चात् हर्षा की मृत्यु होने

तक दो बार पंचायत बिठाई गई जिसमें सिंधी समुदाय के आदरणीय व्यक्तियों को चन्द्रपुर बुलाया गया था । इन दोनों बैठकों में गोपाल (अभि. सा. 1) और हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) ने स्वीकृत रूप से भाग लिया था ।

17. पहली बैठक में यह तय किया गया था कि पति-पत्नी अपीलार्थी की माता से अलग रहेंगे । वास्तव में, इस पहलू को मेघराज (अभि. सा. 5) द्वारा न्यायालय के समक्ष सम्यक् रूप से इंगित किया गया है । इस साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि पहली बैठक में वर्तमान अपीलार्थी पर कोई भी अभियोग नहीं लगाए गए । उस बैठक में मृतका द्वारा जो कथन किया गया था वह मृतका की सास के विरुद्ध था और इसीलिए उस सभा में यह तय किया गया कि अपीलार्थी अपनी पत्नी के साथ अपनी माता लक्ष्मीबाई से अलग रहेगा । इस पर विवाद नहीं है कि उक्त पंचायत (बैठक) में जो तय किया गया वह अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया और अपीलार्थी उसी मकान में अपनी पत्नी के साथ अपनी माता से अलग रहने लगा ।

18. तीन मास बीत जाने के पश्चात् तारीख 16 अप्रैल, 1996 को दूसरी पंचायत बिठाई गई । इस सभा में भी गोपाल (अभि. सा. 1) और हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) अर्थात् मृतका हर्षा और मेघराज (अभि. सा. 5) के भाई और पिता ने भी भाग लिया ।

अभिलेख पर यह सिद्ध हो गया है कि मेघराज (अभि. सा. 5) अपीलार्थी का नातेदार नहीं है । उसका संबंध सिंधी समुदाय से है और इसी समुदाय की मृतका है । मेघराज का घर अपीलार्थी के मकान से लगभग 400 मकान की दूरी पर है । इस साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि जब पहली पंचायत बिठाई गई थी तब उसमें शिकायतकर्ता की ओर से किसी भी व्यक्ति ने अपीलार्थी पर कोई भी आरोप नहीं लगाया कि उसने मृतका के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है । अभियुक्त लक्ष्मीबाई (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) पर आरोप लगाया गया था । यदि अपीलार्थी वास्तव में मृतका के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार होता तब मृतका का भाई और पिता इस बात को पंचायत की जानकारी में अवश्य लाते । गोपाल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि अपीलार्थी किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं था । मेघराज (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि दस्तावेज (प्रदर्श 33) मृतका हर्षा, उसके पिता हेमचन्द्र (अभि. सा. 2), मृतका के मामा गोपाल (अभि. सा. 1) और जीजा द्वारा निष्पादित किया गया था । इस

साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि इस दस्तावेज (प्रदर्श 33) को निष्पादित करते समय इन व्यक्तियों को लिखने के लिए विवश नहीं किया गया था । एक अन्य दस्तावेज जिसे अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है प्रदर्श 34 है जो तारीख 22 जून, 1995 का है । यह उल्लेखनीय है कि ये दस्तावेज, जिनसे अपीलार्थी की स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी नहीं बनती है, अभियुक्तों की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं किन्तु उन्हें अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिगृहीत किया गया था । इन दोनों दस्तावेजों (प्रदर्श 33 और 34) का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने से अन्यथा दर्शित होता है । प्रदर्श 33 में यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी और उसके परिवार के विरुद्ध मिथ्या अभिकथन किए गए थे । प्रदर्श 34 में भी यही बात लिखी गई है ।

आग लगने की घटना तारीख 17 अप्रैल, 1996 को प्रातःकाल में हुई है । गोपाल (अभि. सा. 1) और हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) दोनों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने तारीख 16 अप्रैल, 1996 को रात्रि में बिठाई गई पंचायत में भाग लिया था । इस सभा में मेघराज (अभि. सा. 5) भी उपस्थित था । इस साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उक्त बैठक में हर्षा ने पंचायत के सदस्यों को यह बताया था कि उसे तंग किया जाता है । यहां मेघराज के कथन का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा ताकि यह पता चल सके कि उस सभा में क्या हुआ था :–

> "उस पंचायत में हर्षा कह रही थी कि ये लोग मुझे तंग करते हैं । इस साक्षी के अनुसार 'ये लोग' का अर्थ 'मृतका की सास' से था ।"

इस प्रकार, दोबारा बिठाई गई पंचायत में वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध कोई बात नहीं रखी गई । जो कुछ कहा गया वह मृतका की सास के विरुद्ध था । यद्यपि, मेघराज (अभि. सा. 5) ने जो कथन किया है उसके आधार पर उसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है । वह अभियोजन साक्षी है, उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, अभियोजक उसे पक्षद्रोही घोषित करने के लिए स्वतंत्र था । अतः, मेरे मतानुसार अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **मुख्तियार अहमद अंसारी** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का अवलंब ठीक ही लिया है । इस प्रकार, तारीख 16 अप्रैल, 1996 को बिठाई गई पंचायत में वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध तनिक भी अभियोग नहीं किया गया है कि उसने किसी भी प्रकार से मृतका को तंग किया था । इसके प्रतिकूल, मेघराज (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से भी यह प्रकट होता है

कि अपीलार्थी ने कैसेट प्लेयर पर एक कैसेट चलाई थी जिसे अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श 44) के अनुसार अभिगृहीत किया गया था और उक्त कैसेट को सुनने के पश्चात् गोपाल (अभि. सा. 1) और हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) ने यह कहा कि मृतका हर्षा ने उसे मिथ्या बताया । मेघराज (अभि. सा. 5) के सुसंगत साक्ष्य को उद्धृत करना महत्वपूर्ण होगा :–

> "यह सत्य है कि घटना के दिन हुई पंचायत में कैसेट चलाए जाने के पश्चात् हर्षा के पिता ने यह कहा है कि हर्षा ने उन्हें मिथ्या साबित किया था और समाज में उनकी आलोचना की थी ।"

उसका (हर्षा के पिता) साक्ष्य निम्न प्रकार है :–

> "उसे हर्षा का चेहरा देखने की कोई इच्छा नहीं है, इसके पश्चात् हर्षा रोने लगी, तत्पश्चात् पंचायत के सभी सदस्य और हर्षा का पिता और भाई पंचायत से चले गए ।"

19. अभियोजन पक्ष के अनुसार यह पंचायत लगभग 11.30 बजे अपराह्न में समाप्त हुई थी और घटना तारीख 17 अप्रैल, 1996 को 2.30 बजे पूर्वाह्न में घटित हुई थी । इस प्रकार, यह पूर्णतया संभव है कि मृतका हर्षा स्वयं अपने ही पिता द्वारा डांट-फटकार किए जाने से हताश हो गई थी और इसीलिए उसने अपने जीवन में उग्र कदम उठाया होगा ।

20. मेरी राय में, विद्वान् निचले न्यायालय ने प्रदर्श 37 का अवलंब ठीक नहीं लिया है । प्रदर्श 37 तारीख 25 नवंबर, 1995 को लिखा गया था । तारीख 25 नवंबर, 1995 के पत्र (प्रदर्श 37) के पश्चात् दो बार पंचायत बिठाई गई । इस प्रकार, पत्र (प्रदर्श 37) मृत्यु की आशंका में मृतका द्वारा नहीं लिखा गया है, अतः, उक्त पत्र को मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता जिसे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन माना गया है ।

21. विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा राजू भागचंद चावला (अभि. सा. 8) के साक्ष्य का अवलंब दृढ़तापूर्वक लिया गया है और इस साक्षी का साक्ष्य इस बात को दृष्टिगत करते हुए सुस्थापित नहीं है कि उसके साक्ष्य में सुधार किए गए हैं । अतः, यह न्यायालय उक्त साक्षी अर्थात् राजू के सुधार किए गए साक्ष्य को कोई भी महत्व नहीं देगा ।

22. इस न्यायालय के अनुसार सम्पूर्ण अभियोजन पक्ष कथन का

पुनर्मूल्यांकन करने से यह दर्शित होता है कि ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने मृतका से कोई भी मांग की थी । मृतका हर्षा के साथ वर्तमान अपीलार्थी की ओर से ऐसी मांग को लेकर कोई भी क्रूरता कारित नहीं की गई थी । मेरी राय में अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अपीलार्थी ने मृतका के साथ ऐसा प्रपीड़न कारित किया है जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी । अतः, मेरे मतानुसार दंड संहिता की धारा 498क के अधीन आरोप अपीलार्थी के विरुद्ध बिल्कुल भी साबित नहीं होता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के अधीन उपधारणा अभियोजन पक्ष को उपलब्ध नहीं होगी ।

23. जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, तारीख 16 अप्रैल, 1996 को हुई पंचायत 11.30 बजे अपराह्न तक चली, पंचायत के दौरान कैसेट चलाई गई और कैसेट सुनने के पश्चात् मृतका के पिता हेमचन्द्र (अभि. सा. 2) ने मृतका हर्षा को फटकारा और यह कहा कि वह उसका चेहरा नहीं देखेगा और इसके तत्काल पश्चात् मृतका ने आत्महत्या कर ली । अतः, मेरा यह मत है कि यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया है । अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के परिणामस्वरूप मैं निम्न आदेश पारित करता हूं :–

आदेश

(I) अपील मंजूर की जाती है ।

(II) विचारण मामला सं. 163/1996 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, चन्द्रपुर के तारीख 16 मई, 2001 को पारित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है ।

(III) अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 498क और 306 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ।

(IV) अपीलार्थी के जमानत पत्र रद्द किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

आशु पुरी

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 19 जून, 2017

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 325 – स्वेच्छया घोर उपहति – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक-आहत की मुक्के और लातों से पिटाई किया जाना – यदि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतक-आहत पर मुक्के और लातों से पिटाई की गई जिससे मृतक-आहत को घोर उपहति कारित हुई तो अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडित किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 325 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118] – नातेदार साक्षी – यह सुस्थापित है कि जहां मामले में साक्षी नातेदार हैं वहां उसे हितबद्ध या पक्षपाती साक्षी नहीं कहा जा सकता बल्कि ऐसी स्थितियों में उसके वृत्तांत का अवलंब लेते हुए उसके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षा की जानी चाहिए ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 118 – नातेदार साक्षी – किसी साक्षी की विश्वसनीयता को नातेदारी का तथ्य प्रभावित नहीं करता – ऐसा नहीं है कि नातेदारी वास्तविक अपराधी को छुपा पाती है और निर्दोषिता व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन किया जाए ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 300 का तृतीय खंड – "आशय" और "जानकारी" के बीच भिन्नता का स्पष्टीकरण दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जानकारी स्पष्ट बोध है और न कि उस बात के आशय के रूप में उसे माना जाए ।

संक्षेप में यह कथन किया गया है कि अभिलेख से प्रकट मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अमित शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित अपने कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क में यह कहा है कि तारीख 21 अक्तूबर, 2007 को लगभग 12.15 बजे अपराह्न अभियुक्त आशु पुरी विवेक और राजवीर सिंह ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण

में मृतक हर्षवर्धन के शरीर पर घूसों और लातों से प्रहार करके उसके जीवन को समाप्त कर दिया, यह घटना वीरभद्र चौक, संतोषगढ़ में घटी, वह हताश होकर सड़क पर गिर गया । अभियुक्त घटनास्थल से एक अभियुक्त विवेक के स्कूटर पर भाग गया, मृतक को अमित शर्मा, अमन, लक्की और मोहिन्दर मोहन द्वारा कौशल नर्सिंग होम ले जाया गया था तथा डा. संजीव कौशल द्वारा मृतक को एक इंजेक्शन लगाया था, उसके पश्चात् उसे जोनल अस्पताल ऊना ले जाया गया था क्योंकि यह चिकित्सा विधिक मामला था । तथापि, मृतक को एन. एफ. एल. अस्पताल, नया नागल ले जाया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था । इसके पश्चात् मृतक को जोनल अस्पताल, ऊना ले जाया गया । पुलिस द्वारा मृतक का शवपरीक्षण जोनल अस्पताल, ऊना में कराया गया था । तारीख 22 अक्तूबर, 2007 को शवपरीक्षण कराया गया था, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख, बोर्ड के दो सदस्यों की राय के अनुसार जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया और शवपरीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख जारी की गई, मृतक की मृत्यु महाधमनी के भंग तथा सिर की क्षति के परिणामस्वरूप रक्तस्राव व आघात के कारण हुई थी । अभि. सा. 1 द्वारा की गई पूर्वोक्त शिकायत के आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 20/क पुलिस थाना, हरौली, जिला ऊना पर दर्ज की गई थी । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विधि के समक्ष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया, विद्वान् विचारण न्यायालय का इस बात से समाधान हुआ है कि अभियुक्त के विरद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, उनके विरुद्ध धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन आरोप विरचित किए जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया । तत्पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर दिए गए साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त अर्थात् आशु पुरी दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने का दोषी है और दंडादिष्ट किया गया जैसाकि ऊपर कथन किया गया जबकि दो अन्य अभियुक्त अर्थात् विवेक और राजवीर को यह अभिनिर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था कि संपूर्ण परिस्थितियों का मूल्यांकन करने पर यह इंगित होता है कि विवेक, राजवीर का अभियुक्त आशु पुरी के साथ अपराध की, जाने का कोई आशय नहीं था । इस प्रक्रम पर यह भी उल्लेखनीय होगा कि पूर्वोक्त व्यक्तियों अर्थात् विवेक और राजवीर दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई,

इस प्रकार, दोषमुक्ति का निर्णय उनके संबंध में अंतिम हो गया है । दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी-अभियुक्त आशु पुरी ने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करने तथा अपनी दोषमुक्ति चाहने के लिए इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में समावेदन किया है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् विशेष रूप से जैसाकि ऊपर चर्चा की है, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर दिए गए साक्ष्य का कोई गलत मूल्यांकन या गलत अर्थान्वयन नहीं किया है, बल्कि, इस न्यायालय का यह मत है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी दोषी ठहराते हुए उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का परिशीलन किया और बारीकि से मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार किया । अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 का परिसाक्ष्य जैसाकि विस्तृत रूप से चर्चा की गई, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किया है । इस न्यायालय द्वारा तात्विक अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 जिन्होंने अपनी आंखों से अभिकथित घटना को देखा था उनके कथनों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के पश्चात् उस पर अभियोजन पक्ष के पास अभिलेख पर दिए गए अन्य साक्ष्य का उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं था, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की सत्यता सुनिश्चित करते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन सिद्धदोष किया गया । अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एन. एस. चंदेल ने मृतक के पिता बिशन कुमार के कथन का उल्लेख करते हुए यह सुझाव देने का प्रयास किया है कि घटनास्थल पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 की मौजूदगी अत्यधिक संदेहपूर्ण है क्योंकि बिशन कुमार के कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि अमित शर्मा और मोहिन्दर मोहन कौशल नर्सिंग होम में उससे पांच मिनट पूर्व पहुंचे । श्री एन. एस. चंदेल द्वारा किए गए पूर्वोक्त निवेदन इस न्यायालय को इस बात के लिए राजी नहीं कर सके जिससे वह यह निष्कर्ष निकलता कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 अभिकथित घटना के साक्षी नहीं थे, क्योंकि मोहिन्दर किशोर के कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि उसने नर्सिंग होम में मृतक के पिता को फोन कॉल की । अभि. सा. 1

और अभि. सा. 3 के कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि जब अपीलार्थी-अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया तब वे मृतक को कौशल नर्सिंग होम ले गए । यह बात सही है कि अस्थि भंग के आकार की खोपड़ी पर कोई समरूप क्षति नहीं थी और इस तरह, कोई कुंद वस्तु या आयुध का प्रयोग नहीं किया गया था, किंतु हमले की गंभीरता निश्चित रूप से क्षति सं. 1 के रूप में थी जो स्वीकृततः, शरीर के नाजुक भाग पर थी । चूंकि अभि. सा. 3 के कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि आशु पुरी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से क्षति मृतक के शरीर के अधिकांशतया प्रत्येक भाग पर कारित की गई थी । सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिर पर क्षति कारित की गई जिसके बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा मृत्यु होने का एक कारण भी दर्शाया गया है जो अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर कारित मुक्के और लात के कारण हुई थी । इसके अलग, अभि. सा. 3 के कथन में यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त आशु पुरी द्वारा मृतक के सिर व पेट पर लात से प्रहार किए गए थे, इस प्रकार इस न्यायालय को विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई अवैधता या दुर्बलता प्रतीत नहीं हुई है कि चूंकि मुक्के से प्रहार शरीर के नाजुक भाग पर किए गए थे, सुरक्षित रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि अपीलार्थी-अभियुक्त के पास मृतक को गंभीर क्षति पहुंचाने का आशय और जानकारी थी । अन्यथा भी, किसी व्यक्ति के घोर उपहति कारित करने पर दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दायी ठहराने के लिए जैसाकि दंड संहिता की धारा 320 के अधीन परिभाषित है यदि आशय और जानकारी सुसंगत नहीं हो सकती, बल्कि "स्वैच्छिक" घोर उपहति कारित करने पर दंड संहिता की धारा 325 के अधीन किसी व्यक्ति को दंडित करना पर्याप्त है । "स्वैच्छिक कारित उपहति" के अपराध को गठित करने के लिए अभियुक्त के आशय और जानकारी के परिणाम के बीच समरूपता होनी चाहिए और किसी व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, यद्यपि, पारिणामिक उपहति गंभीर थी और व्यक्ति का केवल यह आशय या जानकारी रही थी, उससे संभवतः केवल साधारण उपहति कारित होगी, परंतु वर्तमान मामले में जैसाकि अभिलेख से स्पष्टतया प्रकट है कि अपीलार्थी का आशय साधारण उपहति कारित करना नहीं था, बल्कि उसका आशय मृतक को गंभीर क्षति पहुंचाने का था । तथा अभियुक्त का आशय साधारण उपहति कारित करने का था, उसके पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि मृतक के शरीर के सभी भागों पर खास तौर पर सिर और पेट पर मुक्के और लात से चाहे कोई भी हो प्रहार करें । विनिर्दिष्ट रूप से साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है

कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक के सिर और पेट पर मुक्के और लात से प्रहार किए, उसके पश्चात् मृतक स्कूटर से सड़क पर गिर गया था । अमित शर्मा और मोहिन्दर मोहन के परिसाक्ष्य को इस आधार पर केवल दोषारोपण नहीं किया जा सकता है कि वे मृतक के नातेदार हैं । यह सही है कि अभिलेख से यह प्रकट है कि अमित शर्मा और मोहिन्दर मोहन मृतक के निकट के नातेदार है परंतु अब यह सुस्थापित है क्योंकि मात्र साक्षी नातेदार है, इसलिए उन्हें हितबद्ध या पक्षपाती साक्षी नहीं कहा जा सकता है बल्कि ऐसी स्थितियों में, यह सुझाव दिया गया है कि उनके वृत्तांतों का अवलंब लेते हुए सावधानीपूर्वक साक्ष्य का विश्लेषण/परीक्षा करें । यद्यपि, मोहिन्दर किशोर के कथन से यह प्रकट होता है कि अभिकथित घटना के समय पर अमित शर्मा और मोहिन्दर मोहन घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे किंतु यदि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के कथनों का संपूर्ण रूप से परिशीलन करें तो जहां तक उनके घटनास्थल पर पहुंचने का संबंध है, न्यूनाधिक तात्विक बातों के कोई विभेद प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब वे वीरभद्र चौक पर पहुंचे तब उन्होंने मृतक के शरीर पर मुक्के तथा लातों से प्रहार करते हुए अभियुक्त को देखा जिसके परिणामस्वरूप मृतक स्कूटर से गिर गया । वस्तुतः मोहिन्दर मोहन ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने लगभग 30-35 फीट की दूरी से घटना देखी । परंतु अमित शर्मा ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि मोहिन्दर मोहन अभि. सा. 3 बस स्टैंड के रास्ते पर उससे मिला, और जब वह वीरभद्र चौक पहुंचा, उसने अभियुक्त आशु पुरी को मुक्के और लातों से प्रहार करते हुए देखा । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा दिए गए पूर्वोक्त वृत्तांत की अभि. सा. 4 द्वारा दिए गए वृत्तांत से संपुष्टि होती है । न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में कोई अवैधानिकता या दुर्बलता नहीं है, तदुपरि, दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है । (पैरा 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 31)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	(2016) 3 एस. सी. सी. 317 : **नानकौनू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	30
[2008]	(2008) 12 एस. सी. सी. 202 : **विनय कुमार राय और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य** ;	28

[2005] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 249 :
इस्रार बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 29

[1958] ए. आई. आर. 1958 पटना 452 :
रामवरन महतो बनाम **राज्य** । 26

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 661.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एन. एस. चंदेल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री पी. एम. नेगी और एम. एल. चौहान अपर महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – वर्तमान दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन फाइल की गई हैं जो सेशन मामला सं. 10/2008 सेशन विचारण सं. 18/2008 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 30 अक्तूबर, 2008/31 अक्तूबर, 2008 की दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 50,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए दोषसिद्ध व दंडादिष्ट किया गया था । अन्य सह-अभियुक्त अर्थात् विवेक और राजवीर को दोषमुक्त कर दिया गया था ।

2. संक्षेप में यह कथन किया गया है कि अभिलेख से प्रकट मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अमित शर्मा (अभि. सा. 1) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित अपने कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क में यह कहा है कि तारीख 21 अक्तूबर, 2007 को लगभग 12.15 बजे अपराह्न अभियुक्त आशु पुरी, विवेक और राजवीर सिंह (इसमें अपीलार्थीगण) ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक हर्षवर्धन के शरीर पर घूसों और लातों से प्रहार करके उसके जीवन को समाप्त कर दिया, यह घटना वीरभद्र चौक, संतोषगढ़ में घटी, वह हताश होकर सड़क पर गिर गया । अभियुक्त घटनास्थल से एक अभियुक्त विवेक के स्कूटर पर भाग गया, मृतक को अमित शर्मा, अमन, लक्की और मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) द्वारा कौशल नर्सिंग होम ले जाया गया था तथा डा. संजीव कौशल (अभि. सा. 2) द्वारा मृतक को एक इंजेक्शन लगाया था, उसके

पश्चात् उसे जोनल अस्पताल ऊना ले जाया गया था क्योंकि यह चिकित्सा विधिक मामला था । तथापि, मृतक को एन. एफ. एल. अस्पताल, नया नागल ले जाया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था । इसके पश्चात् मृतक को जोनल अस्पताल, ऊना ले जाया गया । पुलिस द्वारा मृतक का शवपरीक्षण जोनल अस्पताल, ऊना में कराया गया था । तारीख 22 अक्तूबर, 2007 को शवपरीक्षण कराया गया था, देखिए प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख, बोर्ड के दो सदस्यों की राय के अनुसार जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया और शवपरीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख जारी की गई, मृतक की मृत्यु महाधमनी के भंग तथा सिर की क्षति के परिणामस्वरूप रक्तस्राव व आघात के कारण हुई थी । अभि. सा. 1 द्वारा की गई पूर्वोक्त शिकायत के आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 20/क पुलिस थाना, हरौली, जिला ऊना पर दर्ज की गई थी । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विधि के समक्ष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया, विद्वान् विचारण न्यायालय का इस बात से समाधान हुआ है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, उनके विरुद्ध धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन आरोप विरचित किए जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया ।

3. तत्पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर दिए गए साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त अर्थात् आशु पुरी दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने का दोषी है और दंडादिष्ट किया गया जैसाकि ऊपर कथन किया गया जबकि दो अन्य अभियुक्त अर्थात् विवेक और राजवीर को यह अभिनिर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था कि संपूर्ण परिस्थितियों का मूल्यांकन करने पर यह इंगित होता है कि विवेक और राजवीर का अभियुक्त आशु पुरी के साथ अपराध किए जाने का कोई आशय नहीं था । इस प्रक्रम पर यह भी उल्लेखनीय होगा कि पूर्वोक्त व्यक्तियों अर्थात् विवेक और राजवीर दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई अपील फाइल नहीं की गई, इस प्रकार, दोषमुक्ति का निर्णय उनके संबंध में अंतिम हो गया है ।

4. दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलार्थी-अभियुक्त आशु पुरी ने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करने तथा अपनी दोषमुक्ति चाहने के लिए इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में

समावेदन किया है ।

5. अपीलार्थी-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्वान् काउंसेल श्री एन. सी. चंदेल ने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय का उल्लेख करते हुए पुरजोर यह दलील दी है कि अपेक्षित निर्णय मामले के विधि और तथ्यों के विरुद्ध है, इस प्रकार उसे अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए । विद्वान् काउंसेल ने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति की और इस न्यायालय का ध्यान दिलाया और पुरजोर यह दलील दी कि चूंकि अन्य दो अभियुक्तों को विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था, सुव्यवस्थित रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि उन्होंने किसी प्रकार भी अपराध कारित किए जाने में कोई भागीदारी नहीं की है और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के लिए यह अति आवश्यक है कि इस बात को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना चाहिए कि मृतक को कारित की गई क्षति केवल अपीलार्थी आशु पुरी द्वारा की गई थी, बल्कि अपीलार्थी तथा राजवीर सिंह दोनों द्वारा मृतक को पीटे जाने की बात के बिना विनिर्दिष्ट भूमिका प्रकट होते हुए भी मानी गई थी, इस प्रकार विद्वान् निचले न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था कि उन दोनों में से केवल अपीलार्थी ने घातक प्रहार किया । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री चंदेल ने यह भी दलील दी है कि दंड संहिता की धारा 325 में कोई दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती जो विभेदकारी है । इस बारे में अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री चंदेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर विद्वान् निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर किए गए साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध यह दर्शित होता है कि आहत को घटनास्थल से जिला अस्पताल, ऊना ले जाया गया था जिस पर अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य इसके प्रतिकूल हैं जिससे यह दर्शित होता है कि आहत को सबसे पहले नागल ले जाया गया था और इसके पश्चात्, उसके शव को जिला अस्पताल, ऊना लाया गया था श्री चंदेल ने यह भी दलील दी कि विद्वान् निचले न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर गलती की है कि अभिकथित अपराध 12.15 बजे अपराह्न घटित हुआ था जिस पर 3.30 बजे अपराह्न मामला दर्ज हुआ था और विशेष रिपोर्ट विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष 8.30 बजे अपराह्न पहुंचाई गई थी जबकि हरौली और ऊना के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है । श्री चंदेल ने यह भी दलील दी है

कि अभियोजन पक्षकथन में यह स्वीकार किया गया है कि घटना के दिन को संतोषगढ़ में मेला था जहां पर अधिकांश लोग इस घटना के साक्षी थे । उसने यह भी कथन किया है कि अभिकथित घटना को कई लोगों ने देखा था परंतु इसके बावजूद भी अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र साक्षी को अभियोजन पक्षकथन साबित करने के लिए सहबद्ध नहीं किया गया था और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 5 अमित शर्मा और मोहिन्दर मोहन जो नजदीकी नातेदार हैं और जिन्हें अभियोजन कहानी पर बल देने के लिए प्रत्यक्ष साक्षियों के रूप में पेश किया गया था । पूर्वोक्त साक्षियों द्वारा किए गए कथनों का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि वे अभिकथित घटना के समय पर घटना के स्थान पर मौजूद नहीं थे । मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3), चन्द्र मोहन और मृतक हर्षवर्धन के साथ स्कूटर पर घटनास्थल पर आए थे, इस प्रकार, वह अकेला व्यक्ति था जो चन्द्र मोहन के साथ घटनास्थल पर मौजूद था जब अभिकथित घटना घटी । श्री चंदेल ने यह भी दलील दी है कि ऐसी दशा में मोहिन्दर किशोर (अभि. सा. 4) द्वारा किए जाने वाले कथन को संपूर्णता में पढ़ा जाए, इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसने हर्षवर्धन को मारे गए अभिकथित एक थप्पड़ की आवाज सुनी थी जिसके परिणामस्वरूप वह स्कूटर से नीचे गिर गया था । श्री चंदेल ने यह भी कथन किया है कि नाम के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा क्यों दूसरे व्यक्ति अर्थात् चन्द्र मोहन को सहबद्ध नहीं किया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अन्वेषण के दौरान उसका कथन अभिलिखित किए जाने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । श्री चंदेल ने अपील में दलीलों का समापन करते हुए इस न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि अभि. सा. 4 मोहिन्दर किशोर के कथन के मुकाबले अभि. सा. 3 के कथनों पर विचार करें जिससे यह उपदर्शित होता है कि घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के बारे में उनके कथनों में प्रकट तात्विक विभेदों तथा अपीलार्थी, आशु पुरी द्वारा मृतक की, की गई अभिकथित पिटाई को ध्यान में रखते हुए उनके वृत्तांत का कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता है । अंततः श्री चंदेल ने यह दलील दी है कि जब एक बार विद्वान् निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर दिए गए मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि अभियुक्त आशु पुरी का मृत्यु कारित करने या ऐसी घातक क्षति पहुंचाने का कोई आशय नहीं रहा जिसमें कि वह संभवतः यह जानता था कि ऐसे कार्य से हर्षवर्धन

की मृत्यु हो जाएगी और ऐसी क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त थी और प्रकटतः उसे ऐसी जानकारी भी नहीं थी कि उसके घूसे और लातों के प्रहार सन्निकट खतरनाक थे ताकि हर्षवर्धन की मृत्यु कारित हो जाएगी या ऐसी घातक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभव थी, विद्वान् निचले न्यायालय के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था जिससे वह यह निष्कर्ष निकाले कि चूंकि शरीर के नाजुक भाग पर मुक्के से प्रहार किए गए थे जिस पर सुव्यवस्थित रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि उसको ऐसी जानकारी और उसका आशय था कि मृतक को गंभीर क्षतियां कारित करे । इस संबंध में श्री चंदेल ने इस न्यायालय का ध्यान शवपरीक्षण रिपोर्ट की ओर दिलाया है जिससे यह दर्शित होता है कि सिर पर केवल एक क्षति गुमटे के रूप में कारित हुई है जिसका आकार 2 सेमी × 2 सेमी है जो दाएं कान के पीछे स्थित है और शवपरीक्षण के दौरान खोपड़ी में अस्थिभंग के रूप में कोई भी समवर्ती क्षति नहीं पाई गई है इस प्रकार, यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अभियुक्त द्वारा किया गया प्रहार प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था । श्री चंदेल ने यह भी दलील दी है कि उपरोक्त बातों से अलग धारा 320 का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर जिसमें गंभीर उपहति को परिभाषित किया गया है । कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि वर्तमान मामले में चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा वर्णित क्षति, गंभीर होना कहा जा सकता है । श्री चंदेल ने पूर्वोक्त दलीलों के साथ यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जा सकता है और विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध से उसे दोषमुक्त किया जा सकता है । उपरोक्त बातों से अलग श्री चंदेल ने यह दलील दी है कि ऐसी दशा में उसके द्वारा किए गए पूर्वोक्त निवेदनों पर इस न्यायालय ने पक्ष नहीं लिया है । परिणामस्वरूप, यह न्यायालय अपीलार्थी के अनुरोध पर विचार कर सकता है, अपीलार्थी के प्रथम अपराध को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का फायदा दिया जाना चाहिए । साथ ही साथ उसकी आयु और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि अपीलार्थी पहले ही 13 मास से अभिरक्षा में रहा है ।

6. अपर महाधिवक्ता श्री एम. एल. चौहान ने पूर्वोक्त दलीलों जो अपीलार्थी की ओर से काउंसेल श्री चंदेल द्वारा दी गई, का खंडन करते हुए पुरजोर यह दलील दी है कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित

दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता या दुर्बलता नहीं है बल्कि उन सुझावों का परिशीलन करते हुए विद्वान् निचले न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराकर उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य के मुकाबले दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय की ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया, श्री चौहान ने यह दलील दी है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने इस निष्कर्ष में पहुंचने के लिए मामले के अलग-अलग और प्रत्येक पहलू पर बारीकी से विचार किया है कि अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषी है, इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है और वर्तमान अपील खारिज की जानी चाहिए । श्री चौहान ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के कथनों की ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया और यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे सफलतापूर्वक यह साबित किया है कि अभियुक्त ने मृतक हर्षवर्धन की पिटाई की थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । चिकित्सा बोर्ड (जिसके द्वारा मृतक के शव का शवपरीक्षण किया गया) द्वारा एम. एल. सी./शवपरीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख का उल्लेख करते हुए उन्हें प्रस्तुत किया है, श्री चौहान ने यह दलील दी है कि मृतक के सिर पर मुक्के का प्रहार करके सिर की क्षति कारित की गई थी जो मृतक की मृत्यु का एक कारण भी था, इस प्रकार, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधानिकता या दुर्बलता नहीं है, चूंकि प्रहार शरीर के नाजुक भाग पर किए गए थे, इससे सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त आशु पुरी का आहत व्यक्ति पर गंभीर क्षति कारित किए जाने में जानकारी और आशय रहा है जिसके परिणामस्वरूप हर्षवर्धन ने अपना जीवन गंवा दिया । श्री चौहान ने अपनी दलीलों को समाप्त करते हुए अपीलार्थी की ओर से किए गए परिवीक्षाधीन के फायदे देने के लिए अनुरोध का विरोध किया, यह कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में कोई उदारता दर्शित नहीं होती है, जिसने स्वीकृततः एक व्यक्ति की मृत्यु कारित की है । श्री चौहान ने यह दलील दी है कि ऐसे किसी व्यक्ति के लिए प्रकट कोई उदारता बरता जाना समाज के प्रति गलत संदेश देता है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री चौहान ने पूर्वोक्त निवेदनों के साथ यह अनुरोध किया है कि वर्तमान अपील गुणरहित होने की वजह से खारिज किए जाने योग्य है ।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन किया ।

8. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों तथा अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय की सत्यता और वास्तविकता का अभिनिश्चयन करने से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी अर्थात् आशु पुरी को अभियुक्तों अर्थात् विवेक और राजवीर के साथ धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन आरोपित किया गया था । तथापि, विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए उसे दोषी ठहराया गया और अन्य अभियुक्त अर्थात् विवेक और राजवीर को तब दोषमुक्त कर दिया गया । निर्णय का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने से यह प्रकट है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् इस बात से आश्वस्त और संतुष्ट था कि अभिलेख पर मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य का परिशीलन करने से यह कहीं भी संकेत नहीं मिलता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त आशु पुरी का मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय रहा क्योंकि वह मृतक हर्षवर्धन की मृत्यु कारित किए जाने के संभवतः जानता था या यह क्षति मृत्यु कारित किए जाने के प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थी । विद्वान् निचले न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अभिलेख पर पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर कि प्रकटतः अपीलार्थी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसके द्वारा मुक्का तथा लात मारने से इतना सन्निकट खतरा था, इससे सभी संभाव्यताओं के अंतर्गत मृतक की मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति कारित हो जाएगी जिससे कि संभवतः उसकी मृत्यु कारित हो जाए । तथापि, विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर पेश किए गए चिकित्सा साक्ष्य तथा अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए कथनों का परिशीलन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि मुक्के से प्रहार शरीर के नाजुक भागों पर किए गए थे, इस पर सुरक्षित रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि अपीलार्थी के पास मृतक को गंभीर क्षति पहुंचाने का आशय और जानकारी रही थी । तदनुसार, विद्वान् निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने का दोषी ठहराया है ।

9. इस प्रक्रम पर यह उल्लेखनीय है कि पूर्वोक्त निष्कर्ष को प्रत्यर्थी

राज्य द्वारा विधि के किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, इस प्रकार, यह अंतिम हो गया है । यह प्रकट हुआ है कि राज्य दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि से संतुष्ट था, इस प्रकार इसने कोई अपील फाइल करना पसंद नहीं किया जबकि अपीलार्थी-अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपनी दोषसिद्धि से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है । चूंकि पूर्वोक्त निष्कर्षों के बारे में कोई विवाद नहीं है जो विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा दिए गए हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विरचित आरोप से दोषमुक्त किया गया था ; इस न्यायालय के पास ऐसा अवसर था कि इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की परीक्षा/विश्लेषण करें कि इस न्यायालय के लिए यह अपेक्षित था कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की सत्यता की परीक्षा करें जिसके आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषी ठहराया गया था ।

10. श्री चंदेल ने बहस के दौरान इस न्यायालय का ध्यान एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख की ओर दिलाते हुए यह दलील दी है कि मृतक हर्षवर्धन के शरीर पर कोई गंभीर क्षति कारित नहीं की गई थी जिसके आधार पर अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने का दोषी ठहराया जा सके । दाहिने कान के पीछे 2 × 2 सें. मी. का गुमटा था और अस्थिभंग के आकार का खोपड़ी में कोई समरूप क्षति नहीं थी और इस प्रकार, ऐसी कोई उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्त द्वारा किया गया प्रहार मृत्यु कारित करने की प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त था । श्री चंदेल के अनुसार, क्षति जैसाकि की ऊपर उल्लेख किया गया है, "गंभीर" शब्दावली में नहीं रखी जा सकती क्योंकि चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार 2 × 2 सें. मी. का गुमटा दाहिने कान (गहरे नीले रंग) के पीछे पाया गया था और तनिक भी रक्तस्राव नहीं था । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि क्षति जैसाकि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा वर्णित है, कहीं भी दंड संहिता की धारा 325 के अधीन "गंभीर" क्षति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है । श्री चंदेल ने पूर्वोक्त दलील को सिद्ध करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष दंड संहिता की धारा 320 के टिप्पण पर ध्यान देने को कहा जो निम्न प्रकार है :–

"320. घोर उपहति – उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में

'घोर' कहलाती है –

पहला - पुंस्त्वहरण ।

दूसरा - दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद ।

तीसरा - दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद ।

चौथा - किसी भी अंग का जोड़ का विच्छेद ।

पांचवां - किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास ।

छठा - सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण ।

सातवां - अस्थि या दांत का भंग या विसंधान ।

आठवां - कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज के करने में असमर्थ रहता है ।"

11. वर्तमान मामले में, यह विवाद नहीं किया गया है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त का मृत्यु कारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय नहीं था जिससे कि वह संभवतः यह जानता था कि मृतक की मृत्यु कारित हो जाएगी, परंतु विद्वान् निचले न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिया कि शरीर के नाजुक भागों पर मुक्के से प्रहार किए गए थे, यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी की मृतक को गंभीर क्षति कारित करने के बारे में कोई आशय/जानकारी रही थी ।

12. यद्यपि, इस न्यायालय ने चोटों के प्रकार का सावधानीपूर्वक परिशीलन किए जाने के पश्चात्, दंड संहिता की धारा 320 के अधीन "घोर" के रूप में परिभाषित किया गया है, श्री चंदेल की दलीलों में कुछ बल प्रतीत होता है कि क्षति जो एम. एल. सी. प्रवर्ग पी. डब्ल्यू. 11/ख में उल्लिखित है, घोर उपहति की प्रवर्ग में पूर्णतया नहीं आ सकती जैसा कि दंड संहिता की धारा 320 में परिभाषित किया गया है, परंतु यदि अभिलेख पर यह साबित किया गया है कि मुक्के से प्रहार मृतक के सिर पर किए

गए थे जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर क्षति हुई थी, परिणामस्वरूप, वर्तमान मामले में, यह कथन किया जा सकता है कि आठवें प्रवर्ग अर्थात् कोई चोट जो जीवन के लिए खतरनाक हों या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है ।

13. वर्तमान मामले में जैसाकि प्रवर्ग पी. डब्ल्यू. 11/ख (एम. एल. सी.) से स्पष्टतया प्रकट है, मृतक की मृत्यु महाधमनी का भंग, सिर की क्षति और रक्तस्राव आघात के कारण हुई थी ।

14. यह सही है कि प्रकटतः मृतक के शव की परीक्षा करते समय, उसके दाहिने कान (रंग में गहरा नीला) के पीछे 2 × 2 सें.मी. का गुमटा था परंतु कपाल को खोलने पर अग्र शंकास्थि लोब के दाहिने और आंतरिक प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव का साक्ष्य था और लगभग 50 एम. एल. गहरे रंग का रक्त आंतरिक कपाल गुटिका में पाया गया था । यह लाभदायक होगा कि चिकित्सीय बोर्ड द्वारा निकाले गए विवाद्यक पर विनिर्दिष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत करे :–

"II- खोपड़ी और मेरुरज्जु

खोपड़ी को खोलने पर अग्र शंकास्थि लोब की ओर (आर.) आंतरिक प्रमस्तिष्कीय (रक्तस्राव) का साक्ष्य था । लगभग 50 एम. एल. गाढ़ा रंगीन रक्त इंट्राकारनियल गुहिका में पाया गया था ।

III- वक्ष

1. दीवारों, पसलियों और उपास्थियां यथावत	
2. फुप्फुसावरण	संकुचित
3. कंठ और श्वासप्रणाल	खाली
4. दाहिना फेफड़ा	संकुचित
5. बायां फेफड़ा	संकुचित
6. हृदयावरण हृदय	(आर.) गहरे रंग के रक्त से कक्ष भरा हुआ (एल.)
7. वृहत वाहिकाएं आदि	उदरीय महाधमनी 1 सें. मी. के क्षेत्र में डी 12 – एल 1 सी के निकट विदीर्ण है और उदरीय गुहा में लगभग 2 लीटर रक्त मौजूद है ।"

15. चिकित्सा बोर्ड जिसके द्वारा मृतक का शवपरीक्षण किया गया, की ओर से निकाले गए पूर्वोक्त निष्कर्ष का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात्, इस न्यायालय के पास यह उपधारणा करने के लिए कारण है कि यदि कोई मुक्के से प्रहार मृतक के सिर पर किए गए तो बाहरी क्षति कारित किया जाना नहीं हो सकता परंतु इससे निश्चित रूप से खोपड़ी के अंदर रक्तस्राव हुआ है जिसे खोलने पर यह इंगित होता है कि अग्र शंकास्थि लोब के दाहिनी ओर आंतरिक प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव हुआ था जिसके परिणामस्वरूप 50 मिली लीटर गहरे रंग का रक्त टपका हुआ भी था ।

16. दंड संहिता की धारा 325 के अनुसार उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । पूर्वोक्त उपबंधों का परिशीलन करने से यह इंगित होता है कि यदि कोई "आशय और जानकारी" है जिससे घोर उपहति कारित होती हो, बल्कि विधि के पूर्वोक्त उपबंध का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि किसी व्यक्ति ने स्वैच्छिक रूप से घोर उपहति कारित की हो तो वह दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंड के लिए दाई होगा ।

17. इसलिए, इस न्यायालय ने "घोर उपहति" की परिभाषा का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात्, विशेष रूप से दंड संहिता की धारा 320 के आठवें प्रवर्ग में कोई बल नहीं दिया गया है जो सारभूत रूप में न्यूनाधिक है, पूर्वोक्त दलीलों में जो श्री चंदेल द्वारा दी गई है कि दंड संहिता की धारा 320 के निबंधनों में कोई घोर उपहति नहीं है जो मृतक के शरीर पर की गई थी बल्कि क्षति मृतक के सिर पर कारित की गई थी, यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा दी गई चिकित्सा राय की परीक्षा की जाए तो सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्षति घोर प्रकृति की थी, जो मृतक के जीवन के लिए खतरनाक थी । उपरोक्त बातों से अलग शवपरीक्षण रिपोर्ट/एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ख का परिशीलन करने से स्पष्टतया यह इंगित होता है कि मृतक के मृत्यु कारित किए जाने में एक सिर की क्षति थी जिससे रक्तस्राव आघात हुआ था और मृत्यु हुई थी ।

18. न्यायालय यह परीक्षा करने के लिए अग्रसर हुआ है कि क्या

विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सही हैं या नहीं कि अपीलार्थी ने मृतक के नाजुक भागों पर मुक्के से प्रहार किए थे और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त के पास मृतक को घोर क्षति कारित करने का आशय और जानकारी थी । वर्तमान मामले में, यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 22 साक्षियों की परीक्षा की किंतु अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा किए गए कथनों पर यह अवधारण किए जाने के लिए तात्विक होंगे कि क्या अभियुक्त-आशु पुरी द्वारा मृतक हर्षवर्धन के शरीर पर मुक्के और लातों से प्रहार किए गए थे या नहीं । अभि. सा. 1 अमित शर्मा ने अपने कथन में यह कहा है कि तारीख 21 अक्तूबर, 2007 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न वह अपने मरम्मत किए गए स्कूटर को लेने के लिए अपने गांव से संतोषगढ़ गया था । उसने यह भी कथन किया है कि चूंकि रविवार होने की वजह से बाजार बंद था, वह मैकेनिक अर्थात् पवन कुमार को देखने के लिए वीरभद्र चौक की ओर गया । उसके कथन में यह भी प्रकट हुआ है कि मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) बस स्टैंड के नजदीक उसे मिला । जब वह वीरभद्र चौक पहुंचा तो उसने देखा कि आशु पुरी मृतक हर्षवर्धन पर मुक्के और लातों से प्रहार कर रहा था । उसने यह भी कथन किया है कि मृतक सड़क पर गिर गया था और इसके पश्चात्, अभियुक्त घटनास्थल से विवेक के स्कूटर पर भाग गया । उसने यह भी कथन किया है कि उसी बीच में मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) भी घटनास्थल पर पहुंचा और वह अमित, अमन और लक्की के साथ मृतक को कौशल नर्सिंग होम ले गया था ।

19. मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) ने निचले न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उस सुसंगत समय पर वह संतोषगढ़ के रास्ते पर था तब वह अमित शर्मा (अभि. सा. 1) से संतोषगढ़ पर मिला था । उसने यह भी कथन किया है कि जब वह वीरभद्र चौक पर पहुंचा तब उसने कुछ लड़कों को झगड़ा करते हुए देखा और जब वह घटनास्थल पर गया तो झगड़ा देखा । उसने अभियुक्त आशु पुरी को मृतक पर मुक्के और लातों से प्रहार करते हुए देखा । उस समय वह मध्यक्षेप कर सका, आशु पुरी, विवेक के स्कूटर पर घटनास्थल से भाग गया जो पहले से ही खड़ा था/रवानगी के लिए तैयार था । उसने यह कथन किया है कि हर्षवर्धन घटनास्थल पर ही ढेर हो गया था तथा बेहोश हो गया था । उसके कथन में यह भी प्रकट

हुआ है कि अभियुक्त ने मृतक के शरीर के प्रत्येक भाग पर प्रहार किए थे । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त आशु पुरी ने मृतक के सिर और पेट पर लात से प्रहार किए थे, इसके पश्चात् भी वह सड़क पर गिर गया था । उसने अभि. सा. 1 के रूप में यह भी कथन किया है कि वह अमित शर्मा, अमन और लक्की के साथ मृतक को कैलाश नर्सिंग होम ले गया था । मोहिन्दर किशोर (अभि. सा. 4) जिसके स्कूटर पर मृतक हर्षवर्धन चन्द्र मोहन नामक व्यक्ति के साथ वीरभद्र चौक आया था, ने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह हर्षवर्धन और चन्द्र मोहन के साथ वीरभद्र चौक पर स्कूटर में आया था और जबकि रायल गार्डन, ताहलिवाल दशहरा उत्सव देखने के लिए जा रहा था वे वीरभद्र चौक पर सिगरेट खरीदने के लिए रुक गए थे । उसने यह कथन किया कि जब उसने स्कूटर चलाना शुरू किया तब उसने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने की आवाज सुनी । मृतक हर्षवर्धन सड़क पर गिर गया था । उसने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात्, मृतक को उसके तथा चन्द्र मोहन द्वारा कौशल नर्सिंग होम ले जाया गया था । इस साक्षी के कथन के अनुसार वह स्कूटर चला रहा था और इस प्रकार, उसने किसी भी व्यक्ति को मृतक को पीटते हुए नहीं देखा था । अभिलेख से यह इंगित होता है कि इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था । पूर्वोक्त साक्षी द्वारा किए गए कथन/अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात्, सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तारीख 21 अक्तूबर, 2007 को अभिकथित घटना वीरभद्र चौक, संतोषगढ़ में घटी थी । यद्यपि, घटनास्थल पर पहुंचने के बारे में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के कथनों में छोटे-मोटे विभेद होना प्रतीत होता है, परंतु यदि उनके कथनों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाए दोनों इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वे वीरभद्र चौक पहुंचे तब उन्होंने आशु पुरी को मृतक हर्षवर्धन पर मुक्के और लात मारते हुए देखा । यद्यपि, अभि. सा. 1 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि मृतक के शरीर के अधिकांश सभी भागों पर मुक्के और लातों से प्रहार किए गए थे, परंतु मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि आशु पुरी ने मृतक के शरीर के अधिकांश सभी भागों पर प्रहार किए थे और तत्पश्चात् मृतक स्कूटर से सड़क पर गिर गया था, अभियुक्त आशु पुरी ने मृतक के सिर और पेट पर लात से प्रहार किए थे । इन साक्षियों से की गई प्रतिपरीक्षा से कहीं भी यह इंगित नहीं होता है कि प्रतिरक्षा उनके परिसाक्ष्य को इधर-उधर करने में समर्थ था, क्योंकि वहां से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ जहां पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हो कि प्रतिरक्षा पक्ष इस बात के प्रतिकूल सार

निकालने में समर्थ था जो कुछ उनकी मुख्य परीक्षा में कथन किया था । यद्यपि मोहिन्दर किशोर (अभि. सा. 4) ने अपने कथन में यह कहा था कि उसने किसी व्यक्ति को अभियुक्त पर हमले करते हुए नहीं देखा था, परंतु यद्यपि उसका कथन अपनी संपूर्णता में तत्पर है, इससे निश्चित तौर पर यह संकेत मिलता है कि किसी व्यक्ति ने मृतक हर्षवर्धन पर थप्पड़ मारा और वह सड़क पर गिर गया । मोहिन्दर किशोर (अभि. सा. 4) द्वारा किए गए कथन से अभिलिखित घटना की तारीख को वीरभद्र चौक पर घटित घटना के बारे में लड़ाई-झगड़ा होना अभिकथित है जिसके बारे में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा किए गए वृत्तांत की कतिपय रूप से संपुष्टि हुई है । अभि. सा. 4 के कथन की अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा किए गए वृत्तांत की भी संपुष्टि हुई है कि पूर्वोक्त अधिकथित घटना में मृतक हर्षवर्धन की पिटाई की गई थी जिसके परिणामस्वरूप वह सड़क पर गिर गया था । अभि. सा. 4 जो स्वीकृततः पक्षद्रोही घोषित किया गया था, द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया जा सका कि मृतक व्यक्ति की पिटाई अपीलार्थी-अभियुक्त आशु पुरी द्वारा की गई थी, परंतु अभिलेख पर निश्चित रूप से यह साबित किया गया है कि मृतक हर्षवर्धन किसी व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाने के कारण सड़क पर गिरा हुआ है । उपरोक्त बातों से अलग मोहिन्दर किशोर (अभि. सा. 4) ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि मृतक को आशु पुरी द्वारा थप्पड़ नहीं मारा गया था, बल्कि उसके कथन में यह प्रकट हुआ है कि चूंकि वह स्कूटर चला रहा था, उसकी पीठ मृतक की ओर थी और उसने मृतक पर प्रहार करते हुए किसी को नहीं देखा । इस प्रकार, इस न्यायालय का यह मत है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा किए गए वृत्तांत जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतक हर्षवर्धन पर अभियुक्त आशु पुरी द्वारा मुक्के और लात से प्रहार किया गया था इस बात की अभि. सा. 4 द्वारा किया गया कथन को ध्यान में रखते हुए उपेक्षा नहीं की जा सकती है जिसने मृतक के बारे में इस तथ्य को स्वीकार भी किया है कि मृतक किसी व्यक्ति द्वारा आघात पहुंचाने के पश्चात् सड़क पर गिरा हुआ था । अभि. सा. 3 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त आशु पुरी ने मृतक के शरीर के अधिकांश भागों पर प्रहार किए थे और उसने मृतक के सिर और पेट पर लात से प्रहार किए थे । यद्यपि, चिकित्सा साक्ष्य का परिशीलन करने पर सिर के सिवाय शरीर के किसी अन्य भाग पर कहीं भी क्षति के बारे में नहीं बताया गया है, परंतु चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार दाहिने कान के पीछे 2 × 2 सें.मी. का गुमटा पाया गया था और अग्र शंकास्थि लोब के दाहिने और आंतरिक प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव

का साक्ष्य था ।

20. डा. एस. के. बंसल (अभि. सा. 11) जो बोर्ड के सदस्यों में से एक था जिन्होंने मृतक के शरीर का शवपरीक्षण किया, विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि निम्नलिखित क्षतियां मृतक के शरीर पर पाई गई थीं :–

"1. दाहिने कान के पीछे 2 × 2 सें.मी. का गुमटा मौजूद था । रंग में गहरा नीला ।

2. खोपड़ी की चीर-फाड़ करने पर अग्र शंकास्थि लोब के दाहिने ओर आंतरिक प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव हुआ था । लगभग 50 एम. एल. गहरा रंगीन रक्त इंटरकारनियल गुहिका में पाया गया था ।

3. उदरीय महाधमनी डी. 12-एल. 1 के स्तर के क्षेत्र पर 1 सें. मी. का भंग हुआ था और लगभग 2000 सी. सी. रक्त उपरीय गुहिका में पाया गया था ।

21. यद्यपि, बोर्ड के दो सदस्यों की राय के अनुसार मृतक की महाधमनी के भंग की वजह से मृत्यु हुई थी परंतु, रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला गया था कि सिर की क्षति के आघात के कारण रक्तस्राव के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई थी जो मृत्यु का एक कारण भी है । पूर्वोक्त अभियोजन साक्षी के कथन में यह प्रकट हुआ है कि सिर की क्षति जैसाकि शवपरीक्षण से पता चला है, मुक्के के प्रहार और कठोर सतह पर गिरने की वजह से संभव थी । चिकित्सा बोर्ड ने विनिर्दिष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों क्षतियां मृत्यु कारित करने के प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थीं ।

22. इस न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् विशेष रूप से जैसाकि ऊपर चर्चा की है, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर दिए गए साक्ष्य का कोई गलत मूल्यांकन या गलत अर्थान्वयन नहीं किया है, बल्कि, इस न्यायालय का यह मत है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी दोषी ठहराते हुए उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का परिशीलन किया और बारीकि से मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार किया । अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 का परिसाक्ष्य जैसाकि विस्तृत रूप से चर्चा की गई, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दंडनीय

अपराध किया है ।

23. इस न्यायालय द्वारा तात्विक अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 जिन्होंने अपनी आंखों से अभिकथित घटना को देखा था उनके कथनों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के पश्चात् उस पर अभियोजन पक्ष के पास अभिलेख पर दिए गए अन्य साक्ष्य का उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं था, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की सत्यता सुनिश्चित करते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन सिद्धदोष किया गया ।

24. अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एन. एस. चंदेल ने मृतक के पिता बिशन कुमार (अभि. सा. 9) के कथन का उल्लेख करते हुए यह सुझाव देने का प्रयास किया है कि घटनास्थल पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 की मौजूदगी अत्यधिक संदेहपूर्ण है क्योंकि बिशन कुमार (अभि. सा. 9) के कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि अमित शर्मा (अभि. सा. 1) और मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) कौशल नर्सिंग होम में उससे पांच मिनट पूर्व पहुंचे । श्री एन. एस. चंदेल द्वारा किए गए पूर्वोक्त निवेदन इस न्यायालय को इस बात के लिए राजी नहीं कर सके जिससे वह यह निष्कर्ष निकालता कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 अभिकथित घटना के साक्षी नहीं थे, क्योंकि मोहिन्दर किशोर (अभि. सा. 4) के कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि उसने नर्सिंग होम में मृतक के पिता को फोन कॉल की । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि जब अपीलार्थी-अभियुक्त घटनास्थल से भाग गया तब वे मृतक को कौशल नर्सिंग होम ले गए ।

25. यह बात सही है कि अस्थि भंग के आकार की खोपड़ी पर कोई समरूप क्षति नहीं थी और इस तरह, कोई कुंद वस्तु या आयुध का प्रयोग नहीं किया गया था, किंतु हमले की गंभीरता निश्चित रूप से क्षति सं. 1 के रूप में थी जो स्वीकृततः, शरीर के नाजुक भाग पर थी । चूंकि अभि. सा. 3 के कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि आशु पुरी (अभियुक्त) द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से क्षति मृतक के शरीर के अधिकांशतया प्रत्येक भाग पर कारित की गई थी । सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिर पर क्षति कारित की गई जिसके बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा मृत्यु होने का एक कारण भी दर्शाया गया है जो अपीलार्थी

द्वारा मृतक के सिर पर कारित मुक्के और लात के कारण हुई थी । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 3 के कथन में यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त आशु पुरी द्वारा मृतक के सिर व पेट पर लात से प्रहार किए गए थे, इस प्रकार इस न्यायालय को विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई अवैधता या दुर्बलता प्रतीत नहीं हुई है कि चूंकि मुक्के से प्रहार शरीर के नाजुक भाग पर किए गए थे, सुरक्षित रूप से यह उपधारणा की जा सकती है कि अपीलार्थी-अभियुक्त के पास मृतक को गंभीर क्षति पहुंचाने का आशय और जानकारी थी । अन्यथा भी, किसी व्यक्ति के घोर उपहति कारित करने पर दंड संहिता की धारा 325 के अधीन दायी ठहराने के लिए जैसाकि दंड संहिता की धारा 320 के अधीन परिभाषित है यदि आशय और जानकारी सुसंगत नहीं हो सकती, बल्कि "स्वैच्छिक" घोर उपहति कारित करने पर दंड संहिता की धारा 325 के अधीन किसी व्यक्ति को दंडित करना पर्याप्त है ।

26. "स्वैच्छिक कारित उपहति" के अपराध को गठित करने के लिए अभियुक्त के आशय और जानकारी के परिणाम के बीच समरूपता होनी चाहिए और किसी व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, यद्यपि, पारिणामिक उपहति गंभीर थी और व्यक्ति की केवल यह आशय या जानकारी रही थी, उससे संभवतः केवल साधारण उपहति कारित होगी (देखिए **रामवरन महतो** बनाम **राज्य**[1]) परंतु वर्तमान मामले में जैसाकि अभिलेख से स्पष्टतया प्रकट है कि अपीलार्थी का आशय साधारण उपहति कारित करना नहीं था, बल्कि उसका आशय मृतक को गंभीर क्षति पहुंचाने का था । तथा अभियुक्त का आशय साधारण उपहति कारित करने का था, उसके पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि मृतक के शरीर के सभी भागों पर खास तौर पर सिर और पेट पर मुक्के और लात से चाहे कोई भी हो प्रहार करें । विनिर्दिष्ट रूप से साक्ष्य में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक के सिर और पेट पर मुक्के और लात से प्रहार किए, उसके पश्चात् मृतक स्कूटर से सड़क पर गिर गया था ।

27. अमित शर्मा (अभि. सा. 1) और मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य को इस आधार पर केवल दोषारोपण नहीं किया जा सकता है कि वे मृतक के नातेदार हैं । यह सही है कि अभिलेख से यह प्रकट है कि

---

[1] ए. आई. आर. 1958 पटना 452.

अमित शर्मा (अभि. सा. 1) और मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) मृतक के निकट के नातेदार हैं परंतु अब यह सुस्थापित है क्योंकि मात्र साक्षी नातेदार हैं, इसलिए उन्हें हितबद्ध या पक्षपाती साक्षी नहीं कहा जा सकता है बल्कि ऐसी स्थितियों में, यह सुझाव दिया गया है कि उनके वृत्तांतों का अवलंब लेते हुए सावधानीपूर्वक साक्ष्य का विश्लेषण/परीक्षा करें । यद्यपि, मोहिन्दर किशोर (अभि. सा. 4) के कथन से यह प्रकट होता है कि अभिकथित घटना के समय पर अमित शर्मा (अभि. सा. 1) और मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे किंतु यदि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के कथनों का संपूर्ण रूप से परिशीलन करें तो जहां तक उनके घटनास्थल पर पहुंचने का संबंध है, न्यूनाधिक तात्विक बातों के कोई विभेद प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब वे वीरभद्र चौक पर पहुंचे तब उन्होंने मृतक के शरीर पर मुक्के तथा लातों से प्रहार करते हुए अभियुक्त को देखा जिसके परिणामस्वरूप मृतक स्कूटर से गिर गया । वस्तुतः मोहिन्दर मोहन (अभि. सा. 3) ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने लगभग 30-35 फीट की दूरी से घटना देखी । परंतु अमित शर्मा (अभि. सा. 1) ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि मोहिन्दर मोहन अभि. सा. 3 बस स्टैंड के रास्ते पर उससे मिला और जब वह वीरभद्र चौक पहुंचा, उसने अभियुक्त आशु पुरी को मुक्के और लातों से प्रहार करते हुए देखा । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा दिए गए पूर्वोक्त वृत्तांत की अभि. सा. 4 द्वारा दिए गए वृत्तांत से संपुष्टि होती है ।

28. **विनय कुमार राय और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अब इस कारण से कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कुटुम्ब के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता है । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :–

> "11. मात्र इस कारण से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कुटुम्ब के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता है । जब स्वार्थपरक अभिकथन किया गया है, तो उसे सिद्ध किया जाना चाहिए । मात्र यह कथन कि मृतक के नातेदार होते हुए उनके बारे में अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त करने की संभावना है, साक्ष्य को त्यक्त करने का

[1] (2008) 12 एस. सी. सी. 202.

आधार नहीं हो सकता है जो अकाट्य और विश्वसनीय है । हम अभियोजन वृत्तांत को अग्रसर करते हुए साक्षियों के स्वार्थपरक तर्क-वितर्क पर विचार करेंगे –

'5. ..... नातेदारी ऐसा कारक नहीं है कि साक्षी की विश्वसनीयता को प्रमाणित करें । प्रायः ऐसा नहीं होता है कि नातेदारी से वास्तविक अपराधी छुप जाए और निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन कर दिए जाएं । यदि मिथ्या आलिप्त किए जाने का अभिवाक् किया जाए तो उसकी नींव भी रखी जानी चाहिए । ऐसे मामलों में न्यायालय को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या यह अकाट्य और विश्वसनीय है ।

6. दलीप सिंह और अन्य **बनाम** पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364 वाले मामले में यह अधिकथित किया है जो इस प्रकार है –

26. किसी साक्षी पर तब सामान्यतया स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है जब तक कि वह (पु.) या वह (स्त्री) के बारे में स्रोतों से यह प्रकट न हो जो संभवतः दूषित है और प्रमाणिक रूप से जब तक यह अभिप्रेत न हो कि ऐसे साक्षी की अभियुक्त के विरुद्ध शत्रुता हो, कि वह मिथ्या रूप से उसे फंसाने की वांछा रखता है । साधारणतया, निकट की नातेदारी वास्तविक अपराधों की छानबीन करने का अंतिम अवसर होगा और निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है । यह सही है कि जब संवेदनाएं तेज गति से चलती हैं और शत्रुता का वैयक्तिक कारण है तब ऐसी प्रकृति प्रकट होती है कि ऐसे किसी निर्दोष व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कोई साक्षी उसकी दोषिता के साथ दुर्भाव रखता है, परंतु ऐसी आलोचना के लिए आधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और मात्र नातेदारी का तथ्य जो आधार से दूर है, प्रायः जो सच्चाई की निश्चित प्रत्याभूति है । तथापि, हम किसी सामान्यकरण को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं । प्रत्येक मामले का उसके स्तंभ के तथ्यों पर न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए ।

हमारी मताभिव्यक्ति से केवल विरोध प्रकट हुआ है जो प्रायः प्रज्ञा के साधारण नियम के रूप में हमारे समक्ष रखे गए मामलों में प्रकट है । ऐसा कोई साधारण नियम नहीं है । प्रत्येक मामला सीमित होना चाहिए और अपने स्वयं के तथ्यों से शासित होना चाहिए ।

7. उपरोक्त विनिश्चय गुली चंद और अन्य **बनाम** राजस्थान राज्य, (1974) 3 एस. सी. सी. 698 वाले मामले में, अनुसरण किया गया जिसमें वडीवेलु थेवर **बनाम** मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614 का भी अवलंब लिया गया था ।

8. हम यह भी मत व्यक्त कर सकते हैं कि यह आधार लिया जाना कि साक्षी निकट का नातेदार रहा है और परिणामस्वरूप पक्षपाती साक्षी होने के परिणामस्वरूप उसका अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए, इसमें कोई सार नहीं है । इस सिद्धांत को **दलीप सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा निरसित कर दिया गया था जिसमें इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था जो बात बार के सदस्यों के विवेक में प्रचलित है कि नातेदार स्वतंत्र साक्षी नहीं है । न्यायमूर्ति विवियान बोस द्वारा प्रकट की गई बातों पर यह मत व्यक्त किया गया है –

> 25. हम उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायमूर्तियों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य की संपुष्टि होनी अपेक्षित है । यदि ऐसी मताभिव्यक्ति की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि साक्षीगण महिलाएं हैं और उनके परिसाक्ष्य पर सात आदमियों का भाग्य लटका हुआ है, हमारी जानकारी में ऐसे कोई नियम नहीं हैं । यदि इस कारण का कोई आधार है कि वे मृतक के निकट के नातेदार हैं तो हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं । ऐसे कई आपराधिक मामलों में सामान्य भ्रामकता है और इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने रामेश्वर **बनाम** राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54, पृष्ठ 59 वाले मामले में इस शंका को दूर करने का प्रयास किया है । तथापि, हमने यह

निष्कर्ष निकाला है कि दुर्भाग्यवश फिर भी यदि न्यायालयों के निर्णयों में काउंसेल की दलीलों के बावजूद .....

9. मसालती और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202 वाले मामले इस न्यायालय ने पुनः यह मत व्यक्त किया है –

> 14. ..... परंतु हम इस दलील को युक्तियुक्त समझते हैं कि साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर त्यक्त किया जाना चाहिए कि यह पक्षपाती या हितबद्ध साक्षियों का साक्ष्य है ..... एक मात्र आधार पर ऐसे साक्ष्य को तकनीकी रूप में अस्वीकार करना कि यह पक्षपाती साक्ष्य है, इससे न्याय की विफलता अपरिवर्तनीय है । इस बारे में कोई कठोर या त्वरित नियम नहीं है, साक्ष्य की कितनी मात्रा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए । ऐसे साक्ष्य पर विचार करते हुए सावधानी के साथ न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए; परंतु यह अभिवाक् किया जाना कि ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि वह पक्षपाती है, सही रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।
>
> पंजाब राज्य **बनाम** जागीर सिंह, ए. आई. आर. 1973 एस. सी 2407, लहना **बनाम** हरियाणा राज्य, (2002) 3 एस. सी. सी. 381 और गंगाधर बेहरा और अन्य **बनाम** ओडिशा राज्य, (2002) 8 एस. सी. सी. 381 वाले मामलों के विनिश्चयों का वहीं प्रभाव है । बाबूलाल भगवान खंडारे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, (2005) 10 एस. सी. सी. 404 और सलीम साहब **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य, (2007) 1 एस. सी. सी. 699 वाले मामलों में भी उपरोक्त स्थिति थी ।'"

29. **इस्सार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी साक्षी की विश्वसनीयता को नातेदारी का तथ्य प्रभावित नहीं करता है । प्रायः ऐसा नहीं है कि नातेदारी वास्तविक अपराधी को छुपा पाती है और निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन करें । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित

---

[1] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 249.

किया है जो इस प्रकार है :–

> "12. हम सर्वप्रथम अभियोजन वृत्तांत को अग्रसर करने के लिए साक्षियों के स्वार्थपरकता के संबंध में दलील पर विचार करते हैं । किसी साक्षी की नातेदारी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रायः ऐसा नहीं है कि नातेदारी वास्तविक अपराधी को छुपाता नहीं है और निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन करें । यदि मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया जाता है तो उसका आधार दिया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या यह अकाट्य और विश्वसनीय है ।"

30. **नानकौनू** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा "आशय" और "जानकारी" के बीच भिन्नता का स्पष्टीकरण दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जानकारी स्पष्ट बोध है और न कि उस बात को आशय के रूप में माना जाए और ऐसे परिणाम निकलेंगे । "जानकारी", "आशय" की तुलना करने पर परिणामों के बारे में केवल दूरदृष्टि की अपेक्षा कुछ और बातें अपेक्षित हैं, अर्थात् सोद्देश्य ऐसा कार्य करना जिससे की विशिष्ट छोर पर पहुंचा जाए । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :–

> "11. आशय हेतु से भिन्न है । आशय से ही कार्य किया जाता है जिससे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अपराध आपराधिक मानव वध है या हत्या । दंड संहिता की धारा 300 के तृतीय खंड के अंतर्गत दो भाग हैं । प्रथम भाग के अंतर्गत यह साबित होना चाहिए कि उस क्षति कारित करने का आशय था जो मौजूद है और दूसरे भाग के अंतर्गत यह साबित होना चाहिए कि यह क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । दंड संहिता की धारा 300 का तृतीय खंड पर विचार करते हुए और जय प्रकाश **बनाम** राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1991) 2 एस. सी. सी. 32, पैरा (12) में वीरसा सिंह वाले मामले के सिद्धांत को दोहराते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है, जो इस प्रकार है –
>
> इन मताभिव्यक्तियों का उल्लेख करते हुए **जगरूप सिंह** (1981) 3 एस. सी. सी. 616 वाले मामले में इस न्यायालय की

---

[1] (2016) 3 एस. सी. सी. 317.

खंड न्यायपीठ ने इस प्रकार मत व्यक्त किया : (एस. सी. सी. पृष्ठ 620; पैरा 7) 'न्यायमूर्ति विवियान बोस की ये मताभिव्यक्तियां नजीर बन गई हैं । तृतीय खंड की प्रयोज्यता के लिए **वीरसा सिंह** ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465 वाले मामले में कसौटी अधिकथित की गई है जो अब हमारे विधिक तंत्र में अन्तर्निहित की गई है और विधि के नियम का भाग हो गई है ।' खंड न्यायपीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि वीरसा सिंह वाले मामले का विनिश्चय (ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465) को अधिकथित दिशानिर्देश सिद्धांतों का संपूर्ण रूप से पालन किया गया है । इन दोनों मामलों में स्पष्ट रूप से यह अधिकथित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना चाहिए,

(1) कि शारीरिक क्षति मौजूद हों,

(2) कि प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करना पर्याप्त हो,

(3) कि अभियुक्त ने साशय विशिष्ट क्षति कारित की जिस पर यह कहा गया है कि यह दुर्घटनावश या बिना आशय के कारित नहीं हुई थी या कि यह किसी दूसरे किस्म की क्षति थी जो साशय की गई थी । खंड के दूसरे शब्दों में,

तृतीय में दो भाग सम्मिलित हैं । प्रथम भाग यह है कि वही क्षति कारित करने का आशय था जो मौजूद पाई गई थी और दूसरा भाग यह है कि उक्त क्षति से प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करना पर्याप्त है । प्रथम भाग के अंतर्गत अभियोजन पक्ष को वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित करना चाहिए कि अभियुक्त का आशय उस विशिष्ट क्षति को कारित करने का था । जबकि दूसरा भाग विषयपरक जांच है कि क्या यह क्षति मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और क्षति की विशिष्टियों से निष्कर्ष या परिणाम निकालना चाहिए ।

धारा 300 के तृतीय खंड की भाषा, प्रत्येक घटनाक्रम में दो स्थिति पर आशय प्रकट करता है और जिसपर अभियोजन पक्ष द्वारा पहले यह सिद्ध करना चाहिए कि मामला उस खंड के अंतर्गत आ सकता है । अभियुक्त का 'आशय' और 'जानकारी' व्यक्तिपरक और

मन की परोक्ष दशा है और उनकी विद्यमानता प्रयुक्त किया गया आयुध हमले की उग्रता, क्षतियों की बहुलता और सभी अन्य चारों ओर की परिस्थितियों से एकत्र होती है ।

संहिता रचयिताओं ने जानबूझकर 'आशय' और 'जानकारी' शब्दों का प्रयोग किया है और यह स्वीकार किया है कि परिणामों की जानकारी जो कार्य करने के परिणाम हो सकती है, आशय के रूप में एक बात नहीं हो सकती है कि ऐसे परिणाम होने चाहिए । प्रथमतः, जब कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तब यह उपधारणा की जाती है कि उसे पता होना चाहिए कि कतिपय विनिर्दिष्ट नुकसानदायक परिणाम निकाले जाएंगे या उसका अनुसरण किया जा सकता है । परंतु ऐसी जानकारी से स्पष्ट पता लगता है और वह बात आशय के रूप में न हो कि ऐसे परिणाम निकलने चाहिए । 'जानकारी', 'आशय' परिणामों पर माल पूर्व विचार कुछ और अपेक्षित है अर्थात् किसी विशिष्ट छोर को प्राप्त करने के लिए प्रयोजनार्थ ऐसी बात करना ।"

31. मेरा सोचा समझा विचार यह है कि मैंने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय में कोई अवैधानिक या दुर्बलता नहीं पाई है, तदुपरि, दंड संहिता की धारा 325 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है ।

32. तथापि, इस न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त 13 मास से भी अधिक समय से पहले की अभिरक्षा में रहा है, इसके साथ यह तथ्य है कि वह 30 वर्ष का युवा व्यक्ति है, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दो वर्ष के कठोर कारावास के दंड से उसके द्वारा पहले ही भोगे गए कारावास को उपांतरित करना उपर्युक्त समझा जाए । तद्नुसार, अपील का निपटारा किया जाता है । अभियुक्त द्वारा दिए गए जमानत बंधपत्रों को रद्द और उन्मोचित किया जाता है ।

अपील का निपटारा किया गया।

आर्य

अशोक कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 30 अगस्त, 2017

न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बरोवालिया

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 438 – अग्रिम जमानत – जहां मामले के अभिलेखों से यह प्रतिबिंबित होता है कि याची अन्वेषण की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है और अभी सच्चाई का पता लगाया जाना शेष है, अतः याची को अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने का कोई ठोस कारण नहीं है ।

अभियोजन वृत्तांत के अनुसार तारीख 20 मई, 2017 को शिकायतकर्ता अमन जोशी ने पुलिस के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जिसमें यह अभिकथन किया कि आवेदक उससे मार्च, 2016 में मिला था और उसने अपने पिता को बताया था कि लोगों को विदेश में नौकरी पर भेजने के लिए परमिट उपलब्ध कराने का काम करता है । आवेदक ने यह भी बताया कि उसने शिकायतकर्ता को सेवा-परमिट पर आस्ट्रेलिया भेजा था और आवेदक ने इस कार्य के लिए उससे 25 लाख रुपए मांगे थे । आवेदक ने उसे यह भी बताया कि वह 20 लाख रुपए काम पूरा होने से पहले और शेष धन वीजा मंजूर होने के पश्चात् लेगा । इसके पश्चात्, शिकायतकर्ता और उसके पिता ने अलग-अलग तारीखों पर कुल मिलाकर 25 लाख रुपए आवेदक को दिए ताकि वह शिकायतकर्ता को आस्ट्रेलिया भेज दे और आवेदक ने भी पासपोर्ट, स्कूल प्रमाणपत्र और पासपोर्ट आकार के शिकायतकर्ता के फोटो प्राप्त कर लिए । लम्बा समय बीत जाने के पश्चात् शिकायतकर्ता ने कुछ नहीं किया और पूछने पर वह अस्पष्ट उत्तर दिया करता था । अन्त में, जब शिकायतकर्ता, ने अपना धन मांगा, तब आवेदक ने उसे जान से मारने की धमकी दी । शिकायतकर्ता ने यह भी अभिकथन किया है कि उसे यह डर है कि आवेदक द्वारा उसके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का अवैध प्रयोग किया जा सकता है । शिकायतकर्ता की उपरोक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने आवेदक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया । पुलिस ने मामले में अन्वेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता को

आस्ट्रेलिया भेजने के बहाने आवेदक ने शिकायतकर्ता से धन प्राप्त किया है । आवेदक से पूछताछ की गई और उसने यह प्रकट किया कि ठेकेदार होने के नाते उसने दमताल में एक होटल का निर्माण करने के लिए एक करार निष्पादित किया था और उक्त होटल का निर्माण चार भागीदारों अर्थात् मोती लाल (शिकायतकर्ता का पिता), अमन जोशी (शिकायतकर्ता), राज विक्रम राय और राम मोहम्मद ईसा **उर्फ** रामी द्वारा किया जा रहा था । उसने उक्त करार की प्रति भी सौंपी । राज विक्रम राय ने यह प्रकट किया कि उसकी भूमि पर एक होटल का निर्माण कर रहा है और उसने आवेदक के साथ उक्त होटल के निर्माण कार्य के लिए एक संविदा निष्पादित की है । उसने यह भी बताया कि मोता लाल और अमन जोशी को होटल से कोई लेना-देना नहीं है । आवेदक ने यह भी प्रकट किया है कि जिस होटल के निर्माण के लिए उसे लगाया गया है, अमन जोशी की दादी भी उसमें एक भागीदार है, तथापि, अमन जोशी की दादी ने यह बताया है कि दमताल में उसके नाम पर कोई भी भूमि रजिस्ट्रीकृत नहीं है । आवेदक ने यह भी प्रकट किया है कि उसे होटल को सुसज्जित करने का कार्य 31/32 लाख रुपए में पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है किन्तु खर्चों का संदाय न किए जाने के कारण उसने वह कार्य बीच में ही छोड़ दिया । अन्वेषण के दौरान यह सामने आया है कि आवेदक और राज विक्रम राय के बीच एक करार निष्पादित हुआ था और राज विक्रम राय इस होटल का मालिक है । इस मामले में पुनः अन्वेषण किया गया और यह पाया गया कि दमताल में स्थित डी. आर. रिसोर्ट्स के भागीदार अमन जोशी, मोती लाल, राज विक्रम राय, राम मोहम्मद ईसा **उर्फ** रामी और सावित्री देवी हैं । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, आवेदक ने सत्य तथ्य नहीं बताए हैं और उसने अन्वेषण में भी सहयोग नहीं किया है । आवेदक अत्यंत चतुर व्यक्ति है यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया गया, तब वह न्याय से भाग सकता है । वर्तमान जमानत आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन आवेदक को जमानत पर छोड़ने के लिए प्रस्तुत की गई है यदि उसे तारीख 20 मई, 2017 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 420 और 506 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के अधीन पुलिस थाना इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 136/2017 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है । उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और

अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आवेदक के अनुसार आवेदक और डी. आर. रिसोर्ट्स के बीच भीतरी सुसज्जा को लेकर करार निष्पादित हुआ था जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना था, चूंकि डी. आर. रिसोर्ट्स और शिकायतकर्ता के बीच यह एक आन्तरिक करार था, इसलिए यह न्यायालय आवेदक की इस दलील से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहमत नहीं है कि आवेदक को शिकायतकर्ता से करार के अनुसार भुगतान किया गया है क्योंकि अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है और न ही अन्वेषण के दौरान ऐसा तथ्य सामने आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि शिकायतकर्ता और उसकी माता ने आवेदक को कोई भुगतान किया था और वे डी. आर. रिसोर्ट्स के लिए किए गए कार्य हेतु आवेदक को भुगतान करने के जिम्मेदार हैं । आवेदक को जमानत मंजूर किए जाने के लिए यह आधार उपलब्ध नहीं हो सकता कि शिकायतकर्ता का पिता आवेदक और डी. आर. रिसोर्ट्स के बीच निष्पादित करार का साक्षी है, अतः इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि शिकायतकर्ता ने आवेदक को धन का संदाय किया था और अन्वेषण अभी आरंभ के प्रक्रम पर है । उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए, वर्तमान मामला ऐसा उचित मामला है जिसमें आवेदक को जमानत मंजूर किए जाने का न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग उसके पक्ष में किया जाना अपेक्षित नहीं है, जैसा कि अभिलेख से प्रतिबिंबित होता है कि आवेदक अन्वेषण में सहयोग नहीं दे रहा है और अभी सच्चाई का पता लगाया जाना शेष है । इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिसके आधार पर आवेदक को अग्रिम जमानत मंजूर की जाए । (पैरा 8)

मूल (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 1032.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन ।

आवेदक की ओर से सर्वश्री आई. पी. एस. कोहली और वीर बहादुर

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री विरेन्दर कुमार वर्मा (अपर महाधिवक्ता), पुष्पिन्दर जसवाल (उप महाधिवक्ता) और रजत चौहान (विधि अधिकारी)

न्यायमूर्ति चन्दर भूषण बरोवालिया – वर्तमान जमानत आवेदन दंड

प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन आवेदक को जमानत पर छोड़ने के लिए प्रस्तुत की गई है यदि उसे तारीख 20 मई, 2017 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 420 और 506 तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के अधीन पुलिस थाना इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 136/2017 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है ।

2. आवेदक के विद्वान् काउंसेल के अनुसार, आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में मिथ्या फंसाया गया है । वह लुधियाना (पंजाब) का मूल निवासी है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे या वह न्याय से दूर भागे, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है ।

3. पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई है । अभियोजन वृत्तांत के अनुसार तारीख 20 मई, 2017 को शिकायतकर्ता अमन जोशी ने पुलिस के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जिसमें यह अभिकथन किया कि आवेदक उससे मार्च 2016 में मिला था और उसने अपने पिता को बताया था कि लोगों को विदेश में नौकरी पर भेजने के लिए परमिट उपलब्ध कराने का काम करता है । आवेदक ने यह भी बताया कि उसने शिकायतकर्ता को सेवा-परमिट पर आस्ट्रेलिया भेजा था और आवेदक ने इस कार्य के लिए उससे 25 लाख रुपए मांगे थे । आवेदक ने उसे यह भी बताया कि वह 20 लाख रुपए काम पूरा होने से पहले और शेष धन वीजा मंजूर होने के पश्चात् लेगा । इसके पश्चात्, शिकायतकर्ता और उसके पिता ने अलग-अलग तारीखों पर कुल मिलाकर 25 लाख रुपए आवेदक को दिए ताकि वह शिकायतकर्ता को आस्ट्रेलिया भेज दे और आवेदक ने भी पासपोर्ट, स्कूल प्रमाणपत्र और पासपोर्ट आकार के शिकायतकर्ता के फोटो प्राप्त कर लिए । लम्बा समय बीत जाने के पश्चात् शिकायतकर्ता ने कुछ नहीं किया और पूछने पर वह अस्पष्ट उत्तर दिया करता था । अन्त में, जब शिकायतकर्ता, ने अपना धन मांगा, तब आवेदक ने उसे जान से मारने की धमकी दी । शिकायतकर्ता ने यह भी अभिकथन किया है कि उसे यह डर है कि आवेदक द्वारा उसके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का अवैध प्रयोग किया जा सकता है । शिकायतकर्ता की उपरोक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने आवेदक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया । पुलिस ने मामले में अन्वेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता को आस्ट्रेलिया भेजने के बहाने आवेदक ने शिकायतकर्ता से धन प्राप्त किया है । आवेदक से

पूछताछ की गई और उसने यह प्रकट किया कि ठेकेदार होने के नाते उसने दमताल में एक होटल का निर्माण करने के लिए एक करार निष्पादित किया था और उक्त होटल का निर्माण चार भागीदारों अर्थात् मोती लाल (शिकायतकर्ता का पिता), अमन जोशी (शिकायतकर्ता), राज विक्रम राय और राम मोहम्मद ईसा **उर्फ** रामी द्वारा किया जा रहा था । उसने उक्त करार की प्रति भी सौंपी । राज विक्रम राय ने यह प्रकट किया कि उसकी भूमि पर एक होटल का निर्माण कर रहा है और उसने आवेदक के साथ उक्त होटल के निर्माण कार्य के लिए एक संविदा निष्पादित की है । उसने यह भी बताया कि मोती लाल और अमन जोशी को होटल से कोई लेना-देना नहीं है । आवेदक ने यह भी प्रकट किया है कि जिस होटल के निर्माण के लिए उसे लगाया गया है, अमन जोशी की दादी भी उसमें एक भागीदार है, तथापि, अमन जोशी की दादी ने यह बताया है कि दमताल में उसके नाम पर कोई भी भूमि रजिस्ट्रीकृत नहीं है । आवेदक ने यह भी प्रकट किया है कि उसे होटल को सुसज्जित करने का कार्य 31/32 लाख रुपए में पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है किन्तु खर्चों का संदाय न किए जाने के कारण उसने वह कार्य बीच में ही छोड़ दिया । अन्वेषण के दौरान यह सामने आया है कि आवेदक और राज विक्रम राय के बीच एक करार निष्पादित हुआ था और राज विक्रम राय इस होटल का मालिक है । इस मामले में पुनः अन्वेषण किया गया और यह पाया गया कि दमताल में स्थित डी. आर. रिसोर्ट्स के भागीदार अमन जोशी, मोती लाल, राज विक्रम राय, राम मोहम्मद ईसा **उर्फ** रामी और सावित्री देवी हैं । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, आवेदक ने सत्य तथ्य नहीं बताए हैं और उसने अन्वेषण में भी सहयोग नहीं किया है । आवेदक अत्यंत चतुर व्यक्ति है यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया गया, तब वह न्याय से भाग सकता है ।

4. मैंने आवेदक की ओर से विद्वान् काउंसेल, राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता और शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन पुलिस रिपोर्ट के साथ सावधानीपूर्वक किया है ।

5. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से यह प्रकट होता है कि शिकायत कर्ता ने आवेदक से इस कारण मांग की थी कि आवेदक रिसोर्ट्स में भीतरी सुसज्जा का कार्य कर रहा था और राज्य विक्रम राय अर्थात् शिकायतकर्ता का दायित्व पक्षकारों के बीच निष्पादित करार के अनुसार, भुगतान करना था । उन्होंने

यह भी दलील दी है कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी प्रकट होता है कि उक्त राज विक्रम राय ने आवेदक से कहा था कि यदि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तब वह कार्य रोक दे । दूसरी ओर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदक अन्वेषण में अपना सहयोग नहीं दे रहा है और इसीलिए जमानत आवेदन खारिज किया जा सकता है और साथ ही अन्वेषण भी अभी आरंभ के ही प्रक्रम पर है ।

6. शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि वास्तव में आवेदक ने शिकायतकर्ता को विदेश भेजने के लिए धन की मांग की थी और अब उसने एक भिन्न अभिवाक् किया है और वह अन्वेषण में सहयोग भी नहीं दे रहा है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता के साथ छल किया है, इसलिए आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाए ।

7. इसके प्रतिकूल, आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि अभिलेख पर ऐसी सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि आवेदक अन्वेषण में भाग नहीं ले रहा है और सहयोग नहीं दे रहा है ।

8. इस प्रक्रम पर पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आवेदक के अनुसार आवेदक और डी. आर. रिसोर्ट्स के बीच भीतरी सुसज्जा को लेकर करार निष्पादित हुआ था जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना था, चूंकि डी. आर. रिसोर्ट्स और शिकायतकर्ता के बीच यह एक आन्तरिक करार था, इसलिए यह न्यायालय आवेदक की इस दलील से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहमत नहीं है कि आवेदक को शिकायतकर्ता से करार के अनुसार भुगतान किया गया है क्योंकि अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है और न ही अन्वेषण के दौरान ऐसा तथ्य सामने आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि शिकायतकर्ता और उसकी माता ने आवेदक को कोई भुगतान किया था और वे डी. आर. रिसोर्ट्स के लिए किए गए कार्य हेतु आवेदक को भुगतान करने के जिम्मेदार हैं । आवेदक को जमानत मंजूर किए जाने के लिए यह आधार उपलब्ध नहीं हो सकता कि शिकायतकर्ता का पिता आवेदक और डी. आर. रिसोर्ट्स के बीच निष्पादित

करार का साक्षी है, अतः इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि शिकायतकर्ता ने आवेदक को धन का संदाय किया था और अन्वेषण अभी आरंभ के प्रक्रम पर है । उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए, वर्तमान मामला ऐसा उचित मामला है जिसमें आवेदक को जमानत मंजूर किए जाने का न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग उसके पक्ष में किया जाना अपेक्षित नहीं है, जैसा कि अभिलेख से प्रतिबिंबित होता है कि आवेदक अन्वेषण में सहयोग नहीं दे रहा है और अभी सच्चाई का पता लगाया जाना शेष है । इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिसके आधार पर आवेदक को अग्रिम जमानत मंजूर की जाए ।

9. ऊपर उल्लिखित चर्चा को दृष्टिगत करते हुए आवेदन जो कि सारहीन है, खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

अस.

गतांक से आगे.....

प्रथम अनुसूची

अपराधों का वर्गीकरण

स्पष्टीकरण नोट : (1) भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों के बारे में, उस धारा के सामने की, जिसका संख्यांक प्रथम स्तम्भ में दिया हुआ है, द्वितीय और तृतीय स्तम्भों की प्रविष्टियां भारतीय दंड संहिता की अपराध की परिभाषा के और उसके लिए विहित दंड के रूप में आशयित नहीं हैं, वरन उस धारा का सारांश बताने के लिए ही आशयित हैं ।

(2) इस अनुसूची में (i) "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" और "कोई मजिस्ट्रेट" पदों के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट भी है, किन्तु कार्यपालन मजिस्ट्रेट नहीं है ; (ii) "संज्ञेय" शब्द "कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा" के लिए है और (iii) "असंज्ञेय" शब्द "कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा" के लिए है ।

1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

अध्याय 5 – दुष्प्रेरण

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6
109	किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम-स्वरूप किया जाता है और जहां उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है ।	वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है ।	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमान-तीय ।	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है ।
110	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
111	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, परन्तुक के अधीन रहते हुए ।	वही जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए आशयित अपराध के लिए है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
113	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब दुष्प्रेरित कार्य से ऐसा प्रभाव पैदा होता है जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न है ।	वही दंड जो किए गए अपराध के लिए है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
114	किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरक अपराध किए जाते समय उपस्थित है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
115	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध नहीं किया जाता ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	अजमानतीय	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है ।
	यदि अपहानि करने वाला कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है ।	चौदह वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
116	कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध नहीं किया जाता है ।	उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास जो अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	यथोक्त
	यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना है ।	उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास, जो अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
117	लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है ।
118	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाता है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
	यदि अपराध नहीं किया जाता है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
119	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, यदि अपराध कर दिया जाता है ।	उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	यथोक्त
	यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है ।	दस वर्ष के लिए कारावास ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
	यदि अपराध नहीं किया जाता है ।	उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
120	कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाता है ।	यथोक्त	यथोक्त	इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	यथोक्त
	यदि अपराध नहीं किया जाता है ।	उस दीर्घतम अवधि के आठवें भाग का कारावास जो अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त

अध्याय 5क – आपराधिक षड्यंत्र

120ख	मृत्यु या आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र ।	वही, जो उस अपराध के, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, दुष्प्रेरण के लिए है ।	इसके अनुसार कि अपराध, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	इसके अनुसार कि वह अपराध जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, जमानतीय है या अजमानतीय ।	उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उस अपराध का दुष्प्रेरण, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, विचारणीय है ।

1	2	3	4	5	6
	कोई अन्य आपराधिक षड्यंत्र ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

अध्याय 6 – राज्य के विरुद्ध अपराध

121	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना ।	मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
121क	राज्य के विरुद्ध कतिपय अपराधों को करने के लिए षड्यंत्र ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
122	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
123	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
124	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
124क	राजद्रोह ।	आजीवन कारावास और जुर्माना, या तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
125	भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली या उससे शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना या ऐसे युद्ध करने का दुष्प्रेरण ।	आजीवन कारावास और जुर्माना, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
126	भारत सरकार के साथ मैत्री संबंध रखने वाली या उससे शान्ति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना और कुछ सम्पत्ति का समपहरण ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
127	धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
128	लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को अपनी अभिरक्षा में से निकल भागने देना ।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
129	अपेक्षा से लोक सेवक का राजकैदी या युद्ध कैदी का अपनी अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना ।	तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
130	ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

अध्याय 7 – सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध

131	विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

1	2	3	4	5	6
132	विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए ।	मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
133	आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जब वह आफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
134	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाता है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
135	आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
136	ऐसे आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को, जिसने अभि-त्यजन किया है, संश्रय देना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
137	मास्टर या भारसाधक व्यक्ति की उपेक्षा से वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक ।	पांच सौ रुपए का जुर्माना ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
138	आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप वह अपराध किया जाता है ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
140	इस आशय से सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या कोई टोकन धारण करना कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है ।	तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 8 – लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध

1	2	3	4	5	6
143	विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
144	किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
145	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है सम्मिलित होना या उसमें बने रहना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
147	बल्वा करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
149	यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर अन्य सदस्य उस अपराध का दोषी होगा ।	वही जो उस अपराध के लिए है ।	इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	इसके अनुसार कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	वह न्यायालय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है ।
150	विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना, वचनबद्ध करना, या नियोजित करना ।	वही जो उस ऐसे जमाव के सदस्य के लिए और ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए है ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
151	पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
152	लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

1	2	3	4	5	6
153	बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बल्वा किया जाता है ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि बल्वा नहीं किया जाता है ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
153क	वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
	पूजा के स्थान आदि में वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन ।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
153ख	राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि सार्वजनिक पूजा स्थल आदि पर किया जाए ।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
154	बल्वे आदि की इत्तिला का भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा न दिया जाना ।	एक हजार रुपए का जुर्माना ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
155	जिस व्यक्ति के फायदे के लिए या जिसकी ओर से बल्वा होता है उस व्यक्ति द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना ।	जुर्माना	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
156	जिस स्वामी या अधिभोगी के फायदे के लिए बल्वा किया जाता है, उसके अभिकर्ता द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
157	विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
158	विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
	या सशस्त्र चलना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
160	दंगा करना ।	एक मास के लिए कारावास, या सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 9 – लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध

161	लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए और पदीय कार्य के बारे में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लेना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
162	लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
163	लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण लेना ।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
164	अंतिम दो पूर्वगामी धाराओं में परिभाषित अपराधों का लोक सेवक द्वारा अपने बारे में दुष्प्रेरण ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
165	लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कार्य से सम्पृक्त व्यक्ति से प्रतिफल के बिना कोई मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
165क	धारा 161 या धारा 165 के अधीन दंडनीय अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
166	लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करता है ।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
[1][166क	लोक सेवक जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है ।	कम से कम छह मास के कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

[1] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
166ख	अस्पताल द्वारा पीड़िता का उपचार न किया जाना ।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
167	लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
168	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है ।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
169	लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है ।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों और यदि संपत्ति क्रय कर ली गई है तो उसका अधिहरण ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
170	लोक सेवक का प्रतिरूपण ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
171	कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना ।	तीन मास के लिए कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त

अध्याय 9क – निर्वाचन संबंधी अपराध

171ङ	रिश्वत ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या यदि सत्कार के रूप में ही ली गई है तो केवल जुर्माना ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
171च	निर्वाचन में असम्यक् असर डालना ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	निर्वाचन में प्रतिरूपण ।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
171छ	निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन ।	जुर्माना	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
171ज	निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय ।	पांच सौ रुपए का जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
171झ	निर्वाचन लेखा रखने में असफलता ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 10 — लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान

172	लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन की तामील से या की गई अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि वह समन या सूचना न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करती है ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
173	किसी समन या सूचना की तामील या लगाया जाना निवारित करना या उसके लगाए जाने के पश्चात् उसे हटाना या उद्घोषणा को निवारित करना ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि समन आदि न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करते हैं ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
174	किसी स्थान में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने का वैध आदेश न मानना या वहां से प्राधिकार के बिना चला जाना ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आदेश न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करता है ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
[1][174क	इस संहिता की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफलता ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से ।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
175	किसी ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति को, उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित करते हुए इस संहिता की धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा की गई है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त]
	दस्तावेज पेश करने या पारित करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी दस्तावेज पेश करने का साशय लोप ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	[2][असंज्ञेय]	[2][जमानतीय]	अध्याय 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है ; या, यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट ।
	यदि उस दस्तावेज का न्यायालय में पेश किया जाना या परिदत्त किया जाना अपेक्षित है ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
176	सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 42 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 42 द्वारा "यथोक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
	यदि अपेक्षित सूचना या इत्तिला अपराध किए जाने आदि के विषय में है ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि सूचना या इत्तिला इस संहिता की धारा 356 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
177	लोक सेवक को जानते हुए मिथ्या इत्तिला देना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि अपेक्षित इत्तिला अपराध किए जाने आदि के विषय में हो ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
178	शपथ से इनकार करना जब लोक सेवक द्वारा वह शपथ लेने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाता है ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
179	सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
180	लोक सेवक से किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना जब वह वैसा करने के लिए वैध रूप से अपेक्षित है ।	तीन मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
181	लोक सेवक से शपथ पर जानते हुए सत्य के रूप में ऐसा कथन करना जो मिथ्या है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
182	किसी लोक सेवक को इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति या क्षोभ करने के लिए करें ।	छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

1	2	3	4	5	6
183	लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
184	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना ।	एक मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
185	विधिपूर्वक प्राधिकृत विक्रय में सम्पत्ति के लिए ऐसे व्यक्ति का, जो उसे क्रय करने के लिए किसी विधिक असमर्थता के अधीन है, बोली लगाना या उपगत बाध्यताओं को पूरा करने का आशय न रखते हुए बोली लगाना ।	एक मास के लिए कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
186	लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना ।	तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
187	लोक सेवक की सहायता करने का लोप जब ऐसी सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के निष्पादन, अपराधों के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझकर उपेक्षा करना ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
188	लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करें ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम आदि को संकट कारित करे ।	छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
189	किसी पदीय कृत्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए लोक सेवक को उत्प्रेरित करने के लिए लोक सेवक या उसको जिसमें वह हितबद्ध है क्षति करने की धमकी देना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
190	क्षति के संरक्षण के लिए वैध आवेदन देने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए उसे धमकी देना ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 11 – मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध

193	न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
194	किसी व्यक्ति की मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि निर्दोष व्यक्ति उसके द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है ।	मृत्यु या यथा उपर्युक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
195	आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।	वही जो उस अपराध के लिए है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
[1][195क	किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है ।

[1] 2006 के अधिनियम सं. 2 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
	यदि निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और मृत्यु या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है ।	वही जो अपराध के लिए है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त]
196	उस साक्ष्य को न्यायिक कार्यवाही में काम में लाना जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना ज्ञात है ।	वही जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है ।	[1][असंज्ञेय]	इसके अनुसार कि ऐसा साक्ष्य देने का अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का अपराध विचारणीय है ।
197	किसी ऐसे तथ्य से संबंधित मिथ्या प्रमाणपत्र जानते हुए देना या हस्ताक्षरित करना जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य है ।	यथोक्त	यथोक्त	जमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है ।
198	प्रमाणपत्र को जिसका तात्विक बात के संबंध में मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में काम में लाना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
199	ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
200	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए साक्षी के रूप में काम में लाना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
201	किए गए अपराध के साक्ष्य का विलोपन कारित करना या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए उस अपराध के बारे में मिथ्या इत्तिला देना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	इसके अनुसार कि ऐसा अपराध जिसकी बाबत साक्ष्य का विलोपन हुआ है संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	जमानतीय	सेशन न्यायालय

[1] 2006 के अधिनियम सं. 2 की धारा 7 द्वारा " यथोक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है ।	उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है ।
202	इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
203	किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
204	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको छिपाना या नष्ट करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
205	वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई कार्य या कार्यवाही करने या जमानतदार या प्रतिभू बनने के प्रयोजन के लिए छद्म प्रतिरूपण ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
206	सम्पत्ति को समपहरण के रूप में या दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या डिक्री के निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, आदि ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
207	सम्पत्ति को समपहरण के रूप में या दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या डिक्री के निष्पादन में लिए जाने से निवारित करने के लिए उस पर अधिकार के बिना दावा करना या उस पर किसी अधिकार के बारे में प्रवंचना करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
208	ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना या डिक्री का तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित किया जाना सहन करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
209	न्यायालय में मिथ्या दावा ।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
210	ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना या डिक्री को तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित करवाना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
211	क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आरोपित अपराध सात वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आरोपित अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
212	अपराधी को संश्रय देना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि एक वर्ष के लिए, न कि दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।	उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का और उस भांति का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
213	अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
	यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दंडनीय है ।	उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
214	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दंडनीय है ।	उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
215	अपराधी को पकड़वाए बिना उस जंगम सम्पत्ति को वापस कराने में सहायता करने के लिए उपहार लेना जिससे कोई व्यक्ति अपराध द्वारा वंचित कर दिया गया है ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों ।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
216	ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।	जुर्माना सहित या रहित तीन वर्ष के लिए कारावास ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि एक वर्ष के लिए, न कि दस वर्ष के लिए, कारावास से दंडनीय है ।	उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
216क	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देना ।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
218	किसी व्यक्ति को दंड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
219	न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा ऐसा आदेश, रिपोर्ट, अभिमत या विनिश्चय भ्रष्टतापूर्वक दिया जाना और सुनाया जाना जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
220	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, जो वह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
221	अपराधी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।	जुर्माना सहित या रहित सात वर्ष के लिए कारावास ।	इसके अनुसार कि ऐसा अपराध जिसकी बाबत लोप हुआ है संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।	जुर्माना सहित या रहित दो वर्ष के लिए कारावास ।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दंडनीय है ।	जुर्माना सहित या रहित दो वर्ष के लिए कारावास ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
222	न्यायालय के दंडादेश के अधीन व्यक्ति को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि वह व्यक्ति मृत्यु के दंडादेश के अधीन है ।	जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास, या चौदह वर्ष के लिए कारावास ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दंडादेश के अधीन है ।	जुर्माना सहित या रहित सात वर्ष के लिए कारावास ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास के दंडादेश के अधीन है या अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
223	लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध में से निकल भागना सहन करना ।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
224	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा ।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
225	किसी व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा या विधिपूर्वक अभिरक्षा से उसे छुड़ाना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध से आरोपित हो ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध से आरोपित है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि वह व्यक्ति आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडादिष्ट है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि मृत्यु दंडादेश के अधीन है ।	आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय

1	2	3	4	5	6
225क	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक को पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना –				
	(क) जब लोप या सहन करना साशय है,	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	(ख) जब लोप या सहन करना उपेक्षापूर्वक है ।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
225ख	उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
227	दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण ।	मूल दंडादेश का दंड, या यदि दंड का भाग भोग लिया गया है तो अवशिष्ट भाग ।	यथोक्त	अजमानतीय	वह न्यायालय जिसके द्वारा मूल अपराध विचारणीय था ।
228	न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	अध्याय 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है ।
[1][228क	कुछ अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण ।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
	न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त]

[1] 1983 के अधिनियम सं. 43 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
229	जूरी-सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
[1][229क	जमानत पर या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट]

अध्याय 12 – सिक्के और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध

231	सिक्के का कूटकरण या उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
232	भारतीय सिक्के का कूटकरण या उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
233	सिक्के के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना, खरीदना या बेचना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
234	भारतीय सिक्के के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना, खरीदना या बेचना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
235	सिक्के के कूटकरण के लिए उपयोग में लाने के प्रयोजन से उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि वह भारतीय सिक्का है ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
236	भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण ।	वही दंड जो भारत में ऐसे सिक्के के कूटकरण के दुष्प्रेरण के लिए उपबंधित है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
237	कूटकृत सिक्के को यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, आयात या निर्यात ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 42 द्वारा अंतःस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
238	भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का यह जानते हुए कि वे कूटकृत हैं, आयात या निर्यात ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
239	किसी कूटकृत सिक्के को, जिसका ऐसा होना वह तब जानता था जब वह उसके कब्जे में आया, रखना और किसी व्यक्ति को उसका परिदान आदि करना ।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
240	भारतीय सिक्के के बारे में वही अपराध ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
241	किसी कूटकृत सिक्के का असली सिक्के के रूप में जानते हुए दूसरे को परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या कूटकृत सिक्के के मूल्य का दस गुना जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
242	कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
243	भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था, जब वह उसके कब्जे में आया था ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
244	टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
245	टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
246	कपटपूर्वक किसी सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

1	2	3	4	5	6
247	कपटपूर्वक भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
248	इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के रूप में चल जाए ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
249	इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
250	दूसरे को ऐसे सिक्के का परिदान, जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया गया है ।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
251	भारतीय सिक्के का परिदान, जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया गया है ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
252	ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवर्तित सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
253	ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया ।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
254	दूसरे सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था उसका परिवर्तित होना नहीं जानता था ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या सिक्के के मूल्य का दस गुना जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
255	सरकारी स्टाम्प का कूटकरण ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
256	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

1	2	3	4	5	6
257	सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना या खरीदना या बेचना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
258	कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय ।	यथोक्त	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
259	कूटकृत सरकारी स्टाम्प को कब्जे में रखना ।	यथोक्त	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
260	किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
261	इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
262	ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका हो ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
263	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छील-कर मिटाना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
263 क	बनावटी स्टाम्प ।	दो सौ रुपए का जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

अध्याय 13 – बाटों और मापों से संबंधित अपराध

264	तोलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
266	खोटे बाटों या मापों को कपटपूर्वक उपयोग के लिए कब्जे में रखना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
267	खोटे बाटों या मापों को कपटपूर्वक उपयोग के लिए बनाना या बेचना ।	यथोक्त	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त

अध्याय 14 – लोक स्वास्थ्य क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध

1	2	3	4	5	6
269	उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
270	परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
271	किसी करन्तीन के नियम की जानते हुए अवज्ञा ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
272	विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिसमें वह अपायकर बन जाए ।	छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
273	खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
274	विक्रय के लिए आशयित किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए या उसकी क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए ।	छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	[1][अजमानतीय]	कोई मजिस्ट्रेट
275	किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है बेचने की प्रस्थापना करना या औषधालय से देना ।	यथोक्त	यथोक्त	[1][जमानतीय]	यथोक्त
276	किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में, जानते हुए, बेचना या औषधालय से देना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 42 द्वारा "यथोक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
277	लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना ।	तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
278	वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना ।	पांच सौ रुपए का जुर्माना ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
279	लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना या सवार होकर हांकना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि ।	छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
280	किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
281	भ्रामक प्रकाश चिह्न या बोये का प्रदर्शन ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
282	जल द्वारा किसी व्यक्ति का भाड़े पर प्रवहण जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो कि उससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो जाए ।	छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
283	किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन-पथ में संकट, बाधा या क्षति कारित करना ।	दो सौ रुपए का जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
284	किसी विषैले पदार्थ से ऐसे बरतना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि ।	छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
285	अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से ऐसे बरतना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
286	किसी विस्फोटक पदार्थ से उसी प्रकार बरतना ।	छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
287	किसी मशीनरी से उसी प्रकार बरतना ।	यथोक्त	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
288	जिस निर्माण को गिराने या जिसकी मरम्मत करने का हक प्रदान करने वाला किसी व्यक्ति को अधिकार है उसके गिरने से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने का उस व्यक्ति द्वारा लोप ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
289	अपने कब्जे में के किसी जीवजन्तु के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का किसी व्यक्ति द्वारा लोप जिससे ऐसे जीवजन्तु से मानव जीवन को संकट या घोर उपहति के संकट से बचाव हो ।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
290	लोक न्यूसेंस करना ।	दो सौ रुपए का जुर्माना ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
291	न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना ।	छह मास के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
292	अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय, आदि ।	प्रथम दोषसिद्धि पर दो वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, पांच वर्ष के लिए कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
293	तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि ।	प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, सात वर्ष के लिए कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
294	अश्लील गाने ।	तीन मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
294क	लाटरी कार्यालय रखना ।	छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	लाटरी संबंधी प्रस्थापनाओं का प्रकाशन ।	एक हजार रुपए का जुर्माना ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

अध्याय 15 – धर्म से संबंधित अपराध

295	व्यक्तियों के किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान अथवा किसी पवित्र वस्तु को नष्ट, नुकसान-ग्रस्त या अपवित्र करना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
295क	किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का विद्वेषतः अपमान ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
296	धार्मिक उपासना में लगे हुए जमाव में विघ्न कारित करना ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
297	किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रस्थान में अतिचार करना या अंत्येष्टि में विघ्न कारित करना या मानव शव की अवहेलना करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
298	किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उनकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करना या कोई ध्वनि करना अथवा उसकी दृष्टिगोचरता में कोई अंग-विक्षेप करना या कोई वस्तु रखना ।	यथोक्त	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 16 — मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध

1	2	3	4	5	6
302	हत्या ।	मृत्यु, या आजीवन कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
303	आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन व्यक्ति द्वारा हत्या ।	मृत्यु ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
304	हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई, मृत्यु आदि कारित करने के आशय से किया जाता है ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किन्तु मृत्यु आदि कारित करने के आशय के बिना, किया जाता है ।	दस वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
304क	उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
[1][304ख	दहेज मृत्यु ।	कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय]
305	शिशु या उन्मत्त या विपर्यस्तचित्त व्यक्ति या जड़ व्यक्ति या मत्तता की अवस्था में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण ।	मृत्यु, या आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
306	आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
307	हत्या करने का प्रयत्न ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

[1] 1986 के अधिनियम सं. 43 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
	यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या का प्रयत्न, यदि उपहति कारित हो जाए ।	मृत्यु या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
308	आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न ।	एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
311	ठग होना ।	आजीवन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
312	गर्भपात कारित करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि स्त्री स्पन्दनगर्भा हो ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
313	स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
314	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाता है ।	आजीवन कारावास या यथा उपर्युक्त ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
315	शिशु का जीवित पैदा होना संभव करने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य ।	दस वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
316	ऐसे कार्य द्वारा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी अजीव अजात् शिशु की मृत्यु कारित करना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
317	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से अरक्षित डाल देना ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
318	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
323	स्वेच्छया उपहति कारित करना ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	[1][अजमानतीय]	यथोक्त
325	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	[1][जमानतीय]	यथोक्त
326	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
[2][326क	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़ित को किया जाएगा ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 42 द्वारा "यथोक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
326 ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना ।	पांच वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय]
327	सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए अथवा कोई बात, जो अवैध है या जिससे अपराध किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
328	उपहति कारित करने के आशय से जरिमाकारी ओषधि देना, आदि ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
329	सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए अथवा कोई बात, जो अवैध है या जिससे अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
330	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के लिए अथवा सम्पत्ति प्रत्यावर्तित करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना, आदि ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
331	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के लिए अथवा सम्पत्ति प्रत्यावर्तित करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना, आदि ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	[1][यथोक्त]	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
333	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	[2][यथोक्त]	सेशन न्यायालय

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 42 द्वारा "जमानतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 42 द्वारा " अजमानतीय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
334	प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना ।	एक मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
335	प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर घोर उपहति कारित करना ।	चार वर्ष के लिए कारावास, या दो हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
336	कोई कार्य करना जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो ।	तीन मास के लिए कारावास, या ढाई सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
337	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो, आदि ।	छह मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
338	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो, आदि ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
341	किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
342	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
343	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
344	दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
345	किसी व्यक्ति को यह जानते हुए सदोष परिरोध में रखना कि उसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है ।	किसी अन्य धारा के अधीन कारावास के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए कारावास ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
346	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
347	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
348	संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने या सम्पत्ति आदि को प्रत्यावर्तित करने के लिए विवश करने आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
352	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।	तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
353	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।	दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	[1][अजमानतीय]	कोई मजिस्ट्रेट
[2][354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।	एक वर्ष के लिए कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 42 द्वारा "यथोक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
354क	अवांछनीय शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति की कोई मांग या अनुरोध करने, अश्लील साहित्य दिखाने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न ।	कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों ।	संज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
	लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न ।	कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
354ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।	कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
354ग	दृश्यरतिकता ।	प्रथम दोषसिद्धि के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	संज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
354घ	पीछा करना ।	प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना । द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय संज्ञेय	जमानतीय अजमानतीय	यथोक्त यथोक्त।
355	गंभीर और अचानक प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
356	किसी व्यक्ति द्वारा पहनी हुई या ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
357	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
358	गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।	एक मास के लिए सादा कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
363	व्यपहरण ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
363क	अप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण या अप्राप्तवय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करना कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
	अप्राप्तवय को इसलिए विकलांग करना कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए ।	आजीवन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
364	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
[1][364क	फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण ।	मृत्यु या आजीवन कारावास, और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त]
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
366	किसी स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करने या भ्रष्ट करने आदि के लिए उसे व्यपहृत या अपहृत करना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
366क	अप्राप्तवय लड़की का उपापन ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
366ख	विदेश से लड़की का आयात करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोवत	यथोक्त
367	किसी व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
368	व्यपहृत व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना ।	व्यपहरण या अपहरण के लिए दंड ।	यथोक्त	यथोक्त	वह न्यायालय जिसके द्वारा व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है ।
369	किसी शिशु के शरीर पर से सम्पत्ति लेने के आशय से उस शिशु का व्यपहरण या अपहरण ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

[1] 1993 के अधिनियम सं. 42 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
[1][370	व्यक्ति का दुर्व्यापार ।	कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
	एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार ।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	किसी अवयस्क का दुर्व्यापार ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार ।	कम से कम चौदह वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाना ।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन-काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का अवयस्क के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

[1] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
370क	ऐसे किसी बालक का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है ।	कम से कम पांच वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है ।	कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
371	दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
372	वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना या भाड़े पर देना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
373	उन्हीं प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय को खरीदना या उसका कब्जा अभिप्राप्त करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
374	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
[1]376	बलात्संग ।	कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

[1] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग ।	कम से दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
376क	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है ।	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन ।	कम से कम दो वर्ष के लिए कासवास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।	संज्ञेय (किन्तु केवल पीड़ता द्वारा परिवाद करने पर)	जमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन ।	कम से कम पांच वर्ष के लिए कठोर कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा ।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
376घ	सामूहिक बलात्संग	कम से बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
376ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त]
[1][377	प्रकृति विरुद्ध अपराध ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट]

[1] 2001 के अधिनियम सं. 30 की धारा 2 और दूसरी अनुसूची द्वारा धारा 377 की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अध्याय 17 – सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध

1	2	3	4	5	6
379	चोरी ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
380	निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
1	2	3	4	5	6
381	लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के या नियोक्ता के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
382	चोरी करने के लिए या उसके करने के पश्चात् निकल भागने के लिए या उसके द्वारा ली गई सम्पत्ति को रखे रखने के लिए मृत्यु या उपहति कारित करने या अवरोध कारित करने अथवा मृत्यु या उपहति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी ।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
384	उद्दापन ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोवत	कोई मजिस्ट्रेट
385	उद्दापन करने के लिए क्षति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
386	किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
387	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
388	मृत्यु, आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
	यदि वह अपराध, जिसकी धमकी दी गई हो, प्रकृति विरुद्ध अपराध हो ।	आजीवन कारावास	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
389	उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि अपराध प्रकृति विरुद्ध अपराध है ।	आजीवन कारावास ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
392	लूट ।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
	यदि राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है ।	चौदह वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
393	लूट करने का प्रयत्न ।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
394	लूट करने में या करने के प्रयत्न में व्यक्ति का या ऐसी लूट में संयुक्त तौर से सम्पृक्त किसी अन्य व्यक्ति का स्वेच्छया उपहति करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
395	डकैती ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
396	डकैती में हत्या ।	मृत्यु, आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
397	मृत्यु, या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती ।	सात वर्ष से कम न होने वाला कठिन कारावास ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
398	घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
399	डकैती करने के लिए तैयारी करना ।	दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
400	अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त व्यक्तियों की टोली का होना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
401	अभ्यासतः चोरी करने के लिए सहयुक्त व्यक्तियों की घूमती-फिरती टोली का होना ।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
402	डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होना ।	सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
403	जंगम संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग या उसे अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
404	किसी सम्पत्ति का, यह जानते हुए बेईमानी से दुर्विनियोग कि वह मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी और तब से वह उसके वैध रूप से हकदार व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
405	यदि वह अपराध मृत व्यक्ति द्वारा नियोजित लिपिक या व्यक्ति द्वारा किया जाता है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
406	आपराधिक न्यासभंग ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	अजमानतीय	यथोक्त
407	वाहक, घाटवाल, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
408	लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
409	लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
411	चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
412	चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई है, अभिप्राप्त करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
413	चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
414	चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
417	छल ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त
418	उस व्यक्ति से छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
419	प्रतिरूपेण द्वारा छल ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
420	छल करना और तद्द्वारा सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना अथवा तद्द्वारा बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को रच देना, परिवर्तित कर देना या नष्ट कर देना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
421	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, आदि ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
422	अपराधी का अपने को शोध्य ऋण या मांग का लेनदारों के लिए उपलब्ध किया जाना कपटपूर्वक निवारित करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
423	अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
424	अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना अथवा उसके करने में सहायता करना अथवा जिस मांग या दावे का वह हकदार है उसे बेईमानी से छोड़ देना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
426	रिष्टि ।	तीन मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
427	रिष्टि और तद्द्वारा पचास रुपए या उससे अधिक रकम का नुकसान कारित करना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
428	दस रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि ।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
429	किसी मूल्य के हाथी, ऊंट, घोड़े, आदि को अथवा पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीव-जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि ।	पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
430	कृषिक प्रयोजनों, आदि के लिए जल प्रदाय में कमी कारित करने द्वारा रिष्टि ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
431	लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी अथवा नाव्य जल सरणी को क्षति पहुंचाने और उसे यात्रा या संपत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना देने द्वारा रिष्टि ।	पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

1	2	3	4	5	6
432	लोक जलनिकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
433	किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न को नष्ट करने या हटाने या कम उपयोगी बनाने अथवा किसी मिथ्या प्रकाश को प्रदर्शित करने द्वारा रिष्टि ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
434	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
435	सौ रुपए या उससे अधिक का, अथवा कृषि उपज की दशा में दस रुपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
436	गृह, आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
437	तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
438	पिछली धारा में वर्णित रिष्टि जब अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई हो ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
439	चोरी आदि करने के आशय से जलयान को किनारे पर चढ़ा देना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
440	मृत्यु या उपहति कारित करने, आदि के लिए की गई तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि ।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

1	2	3	4	5	6
447	आपराधिक अतिचार ।	तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
448	गृह-अतिचार ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
449	मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
450	आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
451	कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार ।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
	यदि वह अपराध चोरी है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
452	उपहति कारित करने, हमला करने, आदि की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
453	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन ।	दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
454	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि वह अपराध चोरी है ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
455	उपहति कारित करने, हमला, आदि की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
456	रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
457	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन ।	पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
	यदि वह अपराध चोरी है ।	चौदह वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
458	उपहति कारित करने, आदि की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
459	प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय कारित घोर उपहति ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
460	रात्रौ गृह-भेदन, आदि में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्तियों में से एक द्वारा कारित मृत्यु या घोर उपहति ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
461	ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, बेईमानी से तोड़ कर खोलना या उपबंधित करना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
462	ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, न्यस्त किए जाने पर कपटपूर्वक खोलना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त

अध्याय 18 – दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों संबंधी अपराध

465	कूटरचना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
466	न्यायालय के अभिलेख या जन्मों के रजिस्टर आदि की, जो लोक सेवक द्वारा रखा जाता है, कूटरचना ।	सात वर्ष के लिए कारावास या, जुर्माना या दोनों ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
667	मूल्यवान प्रतिभूति, वित्त या किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण के प्राधिकार, अथवा किसी धन आदि को प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	जब मूल्यवान प्रतिभूति केन्द्रीय सरकार का वचनपत्र है ।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
468	छल के प्रयोजन के लिए कूटरचना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
469	किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के प्रयोजन से या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाएगा, की गई कूटरचना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
471	कूटरचित दस्तावेज को, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह कूटरचित है, असली के रूप में उपयोग में लाना ।	ऐसी दस्तावेज की कूटरचना के लिए दंड ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	जब कूटरचित दस्तावेज केन्द्रीय सरकार का वचनपत्र है ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
472	भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति तैयार करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना ।	आजीवन कारावास, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
473	भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
474	किसी दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए इस आशय से कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जाए अपने कब्जे में रखना, यदि वह दस्तावेज भारतीय दंड संहिता की धारा 466 में वर्णित भांति की हो ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
	यदि वह दस्तावेज भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में वर्णित भांति की हो ।	आजीवन कारावास, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
475	भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
476	भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
477	विल, आदि को कपटपूर्वक नष्ट या विरूपित करना या उसे नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करना, या छिपाना ।	आजीवन कारावास या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
477क	लेखा का मिथ्याकरण ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
482	मिथ्या सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से उपयोग करना कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित करे या क्षति करे ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
483	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान क्षति कारित हो ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
484	लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का या किसी सम्पत्ति के विनिर्माण, क्वालिटी आदि का द्योतन करने वाले किसी चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
485	किसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति चिह्न के कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी, या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
486	कूटकृत सम्पत्ति चिह्न से चिह्नित माल का जानते हुए विक्रय ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
487	किसी पैकेज या पात्र पर, जिसमें माल रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या चिह्न कपटपूर्वक बनाना कि यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, आदि ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
488	किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
489	क्षति कारित करने के आशय से किसी सम्पत्ति चिह्न को मिटाना, नष्ट करना या विरूपित करना ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
489क	करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारवास और जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

1	2	3	4	5	6
489ख	कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
489ग	कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त
489घ	करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए मशीनरी, उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना ।	आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
489ङ	करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग ।	एक सौ रुपए का जुर्माना ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
490	मुद्रक का नाम और पता बताने से इनकार पर ।	दो सौ रुपए का जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 19 – सेवा संविदाओं का आपराधिक भंग

491	किशोरावस्था या चित्तविकृति या रोग के कारण असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आबद्ध होते हुए उसे करने का स्वेच्छया लोप ।	तीन मास के लिए कारावास या दो सौ रुपए का जुर्माना या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

अध्याय 20 – विवाह संबंधी अपराध

493	पुरुष द्वारा स्त्री को, जो उससे विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से विश्वास कारित करके कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है, उस विश्वास में उससे सहवास करना ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	असंज्ञेय	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
494	पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	जमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
495	वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर, जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है ।	दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
496	कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने के कर्म को यह जानते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है ।	सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
497	जारकर्म ।	पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
498	विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट

[1][अध्याय 20क – पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में

498क	किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड ।	तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।	संज्ञेय यदि अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या रक्त, विवाह अथवा दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा या यदि कोई ऐसा नातेदार नहीं है तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के	अजमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट]

[1] 1983 के अधिनियम सं. 46 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

1	2	3	4	5	6
			किसी लोक सेवक द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, दी गई है ।		

अध्याय 21 — मानहानि

500	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानि जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो ।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	सेशन न्यायालय
	किसी अन्य मामले में मानहानि ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
501(क)	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक जानते हुए ऐसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय
(ख)	किसी अन्य मामले में मानहानिकारक जानते हुए, किसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
502(क)	मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का, यह जानते हुए विक्रय कि उनमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	सेशन न्यायालय

1	2	3	4	5	6
	या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो ।				
(ख)	किसी अन्य मामले में मानहानिकारक बात को अंतर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए विक्रय कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है ।	दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

अध्याय 22 — आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ

504	लोक-शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट
505	मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि को इस आशय से परिचालित करना कि विद्रोह हो अथवा लोक-शान्ति के विरुद्ध अपराध हो ।	तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	अजमानतीय	यथोक्त
	मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि, इस आशय से कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो ।	यथोक्त	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
	पूजा के स्थान आदि में किया गया मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि इस आशय से कि शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो ।	पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
506	आपराधिक अभित्रास ।	दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	जमानतीय	यथोक्त

1	2	3	4	5	6
	यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने, आदि की हो ।	सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
507	अनाम संसूचना द्वारा अथवा वह धमकी कहां से आती है उसके छिपाने की पूर्वावधानी करके किया गया आपराधिक अभित्रास ।	ऊपर की धारा के अधीन दंड के अतिरिक्त, दो वर्ष के लिए कारावास ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
508	व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य ।	एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।	यथोक्त	यथोक्त	कोई मजिस्ट्रेट
509	स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंगविक्षेप करना, आदि ।	[1][तीन वर्ष के लिए सादा कारावास, और जुर्माना ॥	संज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त
510	मत्तता की हालत में लोक स्थान, आदि में प्रवेश करना और किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना ।	चौबीस घंटे के लिए सादा कारावास, या दस रुपए का जुर्माना, या दोनों ।	असंज्ञेय	यथोक्त	यथोक्त

अध्याय 23 – अपराधों को करने के प्रयत्न

511	आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करना और ऐसे प्रयत्न में ऐसे अपराध के किए जाने की दशा में कोई कार्य करना ।	आजीवन कारावास या उस दीर्घतम अवधि के आधे से अधिक न होने वाला कारावास जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।	इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।	इसके अनुसार कि वह अपराध जिसका अपराधी द्वारा प्रयत्न किया गया है जमानतीय है या नहीं ।	वह न्यायालय जिसके द्वारा कि प्रयतित अपराध विचारणीय है ।

[1] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

II– अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण

अपराध	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है
यदि मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
यदि तीन वर्ष और उससे अधिक किंतु सात वर्ष से अनधिक के लिए कारावास से दंडनीय है ।	यथोक्त	यथोक्त	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यदि तीन वर्ष से कम के लिए कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है ।	असंज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट

क्रमश:..... आगामी अंक देखें ।

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	—	—	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. पराजपे - 1990	40	—	—	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	—	—	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	—	—	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	—	—	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	—	—	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	—	—	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	—	—	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	—	—	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	—	—	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	—	—	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	—	—	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	—	—	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	—	—	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	—	—	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	—	290	—
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	—	60	—

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 195/- उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105